राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क १०] द्वितीय विधान सभा के दशम् सत्र, १९६१ का ४९ वां दिवस [संख्या ३२

मंगलवार, दिनांक ११ अप्रेल, १९६१

विधान सभा की बैठक म० पू० ११ बज कर ८ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[सामान्य प्रशासन, राजस्व, समाज-कल्याण, सार्वजनिक निर्माण, शिक्षा, खनिज तथा विद्युत-विभाग]

प्रश्न संख्या ८७०

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में कमी

८७१. श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : क्या मुख्य मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या सरकार ने गत वर्ष अपने विभिन्न विभागों में से चतुर्थ श्रेणी के कतिपय कर्मचारियों को कम किया है? यदि हां, तो गत वर्षान्त तक किस किस विभाग के कितने कितने कर्मचारी कमी में लाये गये? सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

(२) क्या यह सही है कि गत बजट अधिवेशन के दौरान में वित्त मन्त्री ने सदन को यह विश्वास दिलाया था कि उनके बजट भाषण में छंटनी का उल्लेख होते हुए भी कोई कर्मचारी कम नहीं किये जायेंगे?

(३) यदि हां, तो क्या उक्त कर्मचारियों में कमी करने से पूर्वोक्त दिये गये विश्वास के विरुद्ध आचरण नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

नियुक्ति मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (१) जी हां, विभागों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के स्थान कम किये गये हैं किन्तु कर्मचारियों को नहीं। गत वर्षान्त तक

Page No.2

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

जिन जिन विभागों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के स्थान कम किये गये उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) जी हां, विभागों में शासन द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के स्थान कम किये गये थे और जिन जिन कर्मचारियों के स्थानों के कमी किये जाने का प्रभाव पड़ा, उन्हें सरप्लस कर दूसरे विभागों में रिक्त स्थानों पर समावेश कर दिया गया। ऐसे कर्मचारियों को सरप्लस रहने की अवधि में भी वही वेतन दिया जाता रहा जो उन्हें सरप्लस होने के समय मिल रहा था। इस प्रकार कोई भी कर्मचारी कम नहीं किया गया केवल उन कर्मचारियों को एक विभाग से दूसरे विभाग में समावेश होना पड़ा।

(३) चूंकि किसी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को कम नहीं किया गया और केवल एक विभाग से दूसरे विभाग में उनका समावेश किया गया, अतः पूर्वोक्त दिये गये विश्वास के विरुद्ध आचरण किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : क्या यह स्थिति इस वर्ष भी जिन कर्मचारियों को कम करने का आयोजन है उनके साथ रहेगी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह प्रश्न तो पहले के बारे में है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : जिनको कम किया गया और बाद में दूसरी जगह लगाया गया तो क्या उनको बगैर सरप्लस किये दूसरी जगह नहीं लगा सकते थे ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मेरा उत्तर बहुत स्पष्ट है।

श्री मुरलीधर व्यास : स्पष्ट तो है; पर सरप्लस करके फिर दूसरे विभाग में ले लिया। तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस प्रकार से लिये जाने के बजाय वैसे ही ट्रान्सफर क्यों नहीं कर दिया गया, सरप्लस में पहले क्यों लिया गया ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : ट्रान्सफर तो हुए एक डिपार्टमेंन्ट से दूसरे डिपार्टमेंट में।

श्री मुरलीधर व्यास : सर्विसेज़ उनकी उसी प्रकार से है क्या ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जी हां, मैंने निवेदन कर दिया है।

श्री अध्यक्ष : सरप्लस करने का मतलब यह नहीं है कि उनको घर भेज दिया गया है। एक-दो महीने बाद उनको वापिस ले लिया गया।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : जिन लोगों को दूसरे विभाग में रखा गया है उनमें नये कर्मचारी नहीं रखे गये ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जितनी आवश्यकता थी उतने नये रखे गये और वे भी रखे गये।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या यह सही है कि इस वर्ष भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में कमी की जा रही है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसके बारे में तो बजट में काफी चर्चा हो चुकी है।

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द।

जिला जालोर में आबादी योग्य भूमि की कमी

८७२. **श्री लक्ष्मीचन्द** (सांचोर) : क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :–

(क) क्या यह सही है कि जिला जालोर में आबादी के बसने के लिए कोई भी जमीन सिवाय गोचर के नहीं है और इस कारण पब्लिक को गोचर में बसना पड़ता है ?

(ख) क्या सरकार के ध्यान में है कि बढ़ती हुई आबादी के बसने के लिए सांचोर तहसील में कोई भी भूमि नहीं है तथा इस कारण आम जनता को काफी तकलीफ होती है और दफा ९१ एल० आर० एक्ट के अन्तर्गत कई काश्तकारों के बने हुए मकानों को हटाने के ऑर्डर पास किए गए हैं ?

(ग) क्या सरकार उन व्यक्तियों को पुनः बसाने का विचार करती है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (क) जी नहीं।

(ख) सांचोर तहसील में मोजा झाव की भूमि सम्बन्धित पंचायत ने आबादी में तब्दील कराने की सिफारिश राजस्व विभाग को कर दी है व बाकी गांव के कागज़ात तहसीलदार सांचोर के पास विचाराधीन हैं जो भी शीघ्र ही मुकम्मिल कर दिये जायेंगे। तहसील सांचोर में मोजा गोलासण चिलवाणा, अरणाय, सरणाऊ, पालडी, आम्बली वगैरह में लोगों ने आबादी के बाहर अन्य राजस्व विभाग के अधिकार को भूमि पर अनाधिकृत कब्जा कर मकान, झोंपे वगैरह बना दिये थे जिनके विरुद्ध धारा ९१ राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, १९५६ के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा कार्यवाही की गई है। इन लोगों को पुनः बसाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कानून विरुद्ध कार्यवाही करने वाले को सजा मिलती है।

(ग) अतिक्रमणकारियों को पुनः बसाने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता है; क्योंकि राजस्व विभाग की भूमि पर अनाधिकृत कब्जा कर मकान बनाये गये हैं।

श्री लक्ष्मीचन्द : क्या सरकार के यह ध्यान में है कि जिस समय सेटलमेन्ट हुआ उस समय में आबादी के बसने के लिए कोई जमीन नहीं रखी गई थी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी नहीं, सेटलमेन्ट अभी पूरा हुआ है। करीब करीब सब गावों में आबादी की जमीन उपलब्ध की गई है। किसी गांव में जमीन की कमी है तो वहां की सम्बन्धित पंचायत के आबादी के लिए जमीन की मांग करने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

श्री अध्यक्ष : श्री उम्मेदीलाल।

समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित सवाई माधोपुर जिले के छात्रावास

८७३. श्री उम्मेदीलाल (करोली–सु०): क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

समाज कल्याण विभाग द्वारा सन् १६५५ से कितने छात्रावास सवाई माधोपुर जिले में कहां कहां सहायता देकर चलवाये जा रहे हैं और इन छात्रावासों में कितने कितने छात्र हैं ? इन छात्रों में हरिजन छात्र कितने हैं तथा मीणे जातियों के छात्र कितने हैं और उनको क्या क्या सुविधायें उपलब्ध हैं ? प्रत्येक छात्रावास पर कितना कितना रुपया सालाना खर्च हुआ है ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : सूची सदन की मेज पर रखी दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

प्रश्न संख्या ८७४

श्री अध्यक्ष : श्री रावतमल पारीक ।

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ८७५

श्री भैरोंसिंह ।

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

श्री लक्ष्मीचन्द ।

जिला जालोर में चकबन्दी का कार्य

८७६. **श्री लक्ष्मीचन्द** (सांचोर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या जिला जालोर में कन्सोलिडेशन (चकबन्दी) का कार्य चालू करने का सरकार का विचार है ? यदि हां, तो वह कब तक चालू हो जावेगा ? और यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) तहसील जालोर व आहोर के क्रमशः ३२ व ४६ ग्रामों में कन्सोलिडेशन का कार्य समाप्त हो गया है।

कन्सोलिडेशन का कार्य वहां चालू किया जाता है जहां ५० प्रतिशत अथवा उससे अधिक खेतों का बिखरापन होता है और वर्तमान में वहीं कराया जा रहा है।

अतः जिला जालोर की अन्य तहसीलों में कन्सोलिडेशन का कार्य अभी कराना कठिन है, क्योंकि कर्मचारी प्रोजेक्ट क्षेत्र में कन्सोलिडेशन के कार्य में लगे हुए हैं।

अब सेटलमेन्ट व कन्सोलिडेशन विभाग में समन्वय स्थापित हो गया है। जब दोनों कार्यों की आवश्यकता ध्यान में रखी जाकर यदि आवश्यक समझा गया तो इस जिले में एकीकरण किया जावेगा।

प्रश्न संख्या ८७७

श्री अध्यक्ष : श्री रावतमल पारीक ।

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

श्री मुरलीधर व्यास ।

Page No.5

श्री शंकरलाल केडिया द्वारा महाराजा कॉलेज, जयपुर में गबन किया जाना

८७८. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह स्पष्ट हो गया है कि शंकरलाल केडिया ने महाराजा कॉलेज, जयपुर में गबन किया है ? यदि हां, तो क्या विभाग ने उनके विरुद्ध पुलिस कार्यवाही की ? यदि हां, तो क्या ?

उप-मन्त्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : गबन करने वाले लेखक का नाम श्री शंकरलाल शुक्ला है। पुलिस विभाग को जांच के लिए दिनांक ३०–३–६० को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जयपुर की मार्फत लिखा जा चुका है। मामला पुलिस विभाग में जेर जांच है। पुलिस विभाग से जांच के परिणाम की प्रतीक्षा की जा रही है।

प्रश्न संख्या ८७९

श्री अध्यक्ष : श्री रावतमल पारीक।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री लक्ष्मीचन्द।

डिप्टी कलेक्टर्स जागीर के कार्यालय के कर्मचारियों को हार्ड ड्यूटी अलाउन्स

८८०. **श्री लक्ष्मीचन्द** (सांचोर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सत्य है कि डिप्टी कलेक्टर्स जागीर के कार्यालय के कर्मचारियों को १०) रु० हार्ड ड्यूटी एलाउन्स दिया जाता था और दिनांक १३–१०–५९ को यह एलाउन्स बन्द कर दिया है ? यदि हां, तो क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): जी हां। परन्तु अब पुनः विचार के पश्चात् सरकार ने यह एलाउन्स ७–१०–६० की आज्ञा द्वारा १–३–५६ से ही दिये जाने की स्वीकृति प्रचलित कर दी है।

श्री लक्ष्मीचन्द : बीच में तारीख १३–१०–५९ को यह आज्ञा जारी करने का क्या कारण था ?

(उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष : डॉ० चन्द्रकला।

महिला पोलीटैक्निक संस्था की स्थापना

८८१. **डॉ० चन्द्रकला** (किशनपोल बाजार, जयपुर): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) लड़कियों को प्राविधिक शिक्षा देने के सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति तथा योजना है ?

(२) इस समय राज्य में लड़कियों को टैक्निकल शिक्षा देने वाली कौन २ सी संस्थायें हैं ? कृपया सूची दें।

(३) क्या सरकार के सामने राज्य में

(डॉ० चन्द्रकला)

एक महिला पोलीटैक्निक संस्था की स्थापना का प्रश्न विचाराधीन है ? यदि हां, तो उस पर कब तक निर्णय हो जायेगा ?

(४) लड़कियों को टैक्निकल शिक्षा के लिए बढ़ावा देने के लिये सरकार और क्या २ उपाय सोच रही है ?

उप–मन्त्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : अध्यक्ष महोदय; इस प्रश्न को आगे स्थगित करने के लिए प्रार्थना की जा चुकी है। इसका उत्तर प्राप्त नहीं हो सका है इसकेलिए एडजोर्नमेन्ट के लिए प्रार्थना कर दी गई है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री किशनाराम।

राजस्थान साहित्य अकादमी

८८२. **श्री किशनाराम** (रतनगढ़) : क्या शिक्षा मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे:—

(१) क्या यह सही है कि राजस्थान साहित्य अकादमी के सदस्यों की सरकार द्वारा कोई भी योग्यता निर्धारित नहीं की गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

(२) बीकानेर डिविज़न से साहित्य एकेडेमी में कौन कौन सदस्य हैं और उनकी क्या क्या योग्यतायें हैं तथा उन सदस्यों का साहित्य में अब तक क्या योगदान रहा है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(३) क्या यह सत्य है कि एकेडेमी के सदस्यों की संख्या सीमित है ? यदि हां, तो सरकार नये साहित्यकारों को सदस्य बनाने के विषय में क्या कदम उठा रही है ?

उप–मन्त्री, शिक्षा (श्री पूनचन्द बिश्नोई) : (१) जी नहीं।

(२) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) जी हां, सदस्यों की संख्या सीमित है। नये साहित्यकारों को सदस्य बनाने के सम्बन्ध में अकादमी के विधान २ च (४) के अनुसार निम्न व्यवस्था है :—

तीन वर्ष बाद—जो व्यक्ति अकादमी के सदस्य मनोनीत किये जायें—उनकी सदस्यता स्वीकार करने का प्रस्ताव संचालिका समिति (एग्ज़ीक्यूटिव) द्वारा प्रतिष्ठापक सदस्यों की बैठक में किया जायेगा। प्रतिष्ठापक सदस्यों द्वारा स्वीकृत ऐसा प्रस्ताव राज्य सरकार के पास अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा। इस वर्ष पुराने सदस्यों की सदस्यता की अवधि अप्रेल में समाप्त है। अतः शीघ्र ही अकादमी के अध्यक्ष नये प्रस्ताव भेजेंगे।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री किशनाराम : १२ सदस्य बीकानेर डिविज़न के हैं तो उनमें से बीकानेर प्रोपर के कितने हैं और डिविज़न में दूसरे इलाकों के कितने हैं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह तो ऐसे व्यक्ति हैं जिनके बारे में अपन सब को जानकारी है। बीकानेर खास के कितने हैं, यह अभी नहीं कहा जा सकता।

श्री अध्यक्ष : यह तो आप लिस्ट देख

(श्री अध्यक्ष)

लीजिए कि कितने वहां के हैं और कितने बाहर के।

श्री किशनाराम : मैंने देखा तभी तो कह रहा हूँ।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : आपने डिविज़न के बारे में पूछा तो मैंने जवाब दे दिया। अब शहर के कितने और दूसरे कितने, यह कैसे कह सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष : श्री उम्मेदीलाल।

सवाई माधोपुर जिले के अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के भूमिहीन व्यक्तियों को आवंटित भूमि

८८३. **श्री उम्मेदीलाल** (करोली-सु) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

१ अप्रेल, सन् १९५९ से ३१ मार्च, सन् १९६० तक सवाई माधोपुर जिले में अनुसूचित जाति एवं अनूसूचित जन जाति तथा अन्य जातियों के भूमिहीनों को काश्त की कितनी भूमि तहसीलवाईज़ अलॉट की गई और कितनी भूमि वास्तव में इन लोगों के कब्जे में दी जा चुकी है ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का उत्तर नहीं आ सका है इसलिए दूसरी टर्न पर लिया जाये।

प्रश्न संख्या ८८४.

श्री अध्यक्ष : श्री मोहब्बतसिंह।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ८८५.

श्री रावतमल पारीक।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री उम्मेदीलाल।

हिण्डौन—छयमान धोलेटा सड़क का निर्माण

८८६. **श्री उम्मेदीलाल** (करोली-सु०): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या सरकार का हिण्डौन से छयमान धोलेटा तक सड़क बनाने का इरादा था ? यदि हां, तो इस सड़क का कार्य अभी तक क्यों नहीं शुरू हुआ।

(२) क्या यह सच है कि हिण्डौन से बयाना सड़क की मन्जूरी बाद में हुई और उसका कार्य भी पूरा हो चुका है, मगर छयमान धोलेटा सड़क का कार्य अभी तक चालू नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्यों तथा यह काम कब तक चालू होगा ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (१) यह सड़क द्वितीय पंच-वर्षीय योजना में स्वीकृत नहीं है। अतः निर्माण का प्रश्न नहीं उठता।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रभुलाल पुरोहित ।

चाकसू तहसील के बी.टी.सी. अध्यापकों को सिलेक्शन ग्रेड के एरियर की रकम का भुगतान

८८७. श्री प्रभुलाल पुरोहित (लालसोट) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

चाकसू तहसील के कितने बी. टी. सी. अध्यापकों को सिलेक्शन ग्रेड के एरियर की रकम नहीं मिली है ? यदि हां, तो क्यों तथा अब सरकार कब तक उनको उस रकम का पेमेन्ट करा देगी ?

उप-मन्त्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : केवल ७ बी. टी. सी. अध्यापकों को सिलेक्शन ग्रेड के एरियर की रकम नहीं मिली है। ६ अध्यापकों के बिल महालेखापाल कार्यालय में प्री-ऑडिट के लिए भिजवा दिए गए हैं तथा एक पर कार्यवाही हो रही है जो शीघ्र ही महालेखापाल के कार्यालय में भेज दिया जायेगा।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : इसके अन्दर इतनी देर क्यों हुई ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : हर एक के अलग अलग कारण हैं । किसी का रेकॉर्ड नहीं मिलता, किसी का कुछ नहीं। इस काम में ताकीद की जा रही है और जल्दी ही हो जायेगा।

डॉ० चन्द्रकला : अब तो कार्यवाही शुरू हो चुकी है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जी हां।

प्रश्न संख्या ८८८.

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशन ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ८८६.

श्री रामकरणसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री बेनाराम गहलोत ।

सैटल्ड ग्रामों की ५०० रु० तक की आय वाली पुनर्ग्रहीत जागीर भूमि के मुआवजे के वेरीफिकेशन में विलम्ब

८६०. श्री बेनाराम गहलोत (खारची): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या राजस्थान में सैटल्ड ग्रामों की जागीर भूमि जिनकी ग्रोस इन्कम (gross income) रुपया ५००) तक थी दिनांक १—७—१९५८ से पुनर्ग्रहण करली गई है व उनके मुआवजे के फार्म, जागीरदारों द्वारा न भराये जाकर तहसीलों से भराये गये हैं ?

(ख) अगर हां, तो क्या उनके मुआवजे तस्दीक हो चुके हैं ? अगर नहीं, तो देरी का क्या कारण है ?

(ग) क्या सरकार को विदित है कि ऐसे गुजारेदारों की जमीन जो अलग अलग गांवों

(श्री बेनाराम गहलोत)

में क्रमशः रु० २००), ३००) व ४००) की Rental income की है उनका रिजम्शन दिनांक १–६–५८ के पहले किया गया है व उनको Rehabilitation Grant बजाय ग्यारह गुना व दस गुना के नव गुना ही दी गई है ?

(घ) क्या सरकार ने ऐसी जागीरों की सूची तैयार की है, जिनकी लगानी आय पृथक पृथक गांवों में ५००) रु० से नीचे है मगर सब मिला कर ५००) रु० से ऊपर है ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (क) जी हां।

(ख) जी हां। दो लाख, सात हजार नये जागीरों में से १,८७,१८३ दावे फाइनल हो चुके हैं। २,१५५ में प्रोविज़नल एवार्ड हो चुके हैं, बकाया में कार्यवाही जारी है।

(ग) जी हां, रिहेबिलिटेशन ग्रान्ट जागीर एक्ट की शिड्यूल तीसरी के अनुसार दिया जाता है।

(घ) जी हां, ऐसी सूची सम्बन्धित डिप्टी कलेक्टर जागीर के कार्यालय में है।

श्री बेनाराम गहलोत : आपने भाग (घ) में बताया कि ऐसी सूची जागीर कमिश्नर के पास है, तो उनमें जागीर किस तारीख को रिज्यूम हुई थी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : डिप्टी कलेक्टर जागीर के पास है और उनका रिज़म्पशन जिस तारीख को होना चाहिए उसी तारीख को हुआ है।

श्री अध्यक्ष : श्री रावतमल पारीक।

चूरू जिले के चक दडीबा क्षेत्र में स्थित तांबा की खान

८६१. **श्री रावतमल पारीक** (नोखा) : क्या मन्त्री, खनिज विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

क्या सरकार चूरू जिले के चकदडीबा क्षेत्र में तांबा की खान को, जो भूतपूर्व बीकानेर राज्य के समय में चालू की गई थी, उसका सर्वे करा कर पुनः चालू करने का विचार रखती है ?

खनिज मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : चक दरीबा में तांबे की खान का जो क्षेत्र है वह ऊपर से मिट्टी की तरह से ढका हुआ है और जब तक कि ड्रिलिंग या गहरी खुदाई का कार्य करने के पूर्व इस क्षेत्र का भू–भौतिकीय पूर्वेक्षण नहीं किया जाता यहां खनन कार्य उचित खनिज जमाव के क्षेत्र में नहीं किया जा सकता। चूंकि यहां खनिज चट्टान धरातल पर दृष्टिगोचर नहीं होती अतः भौगर्भिक सर्वे भी सम्भव नहीं है। इसलिए इस क्षेत्र में भू–भौतिकीय पूर्वेक्षण करने के लिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इन्डिया से अनुरोध किया गया है कि वह तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रोग्राम में इस कार्य को सम्मिलित करे।

श्री रावतमल पारीक : शुरू कब हो जायेगा ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर निर्भर करता है।

Page No.10

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : आपने जो उत्तर दिया कि क्या पहले कुछ हुआ, इस आधार पर हुआ, क्योंकि बिना सर्वेक्षण के कोई उत्तर नहीं हो सकता था, इसलिए कोई चीज का सर्वेक्षण किया गया पहले से ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसकी जानकारी की गई है। मिट्टी काफी ऊपर है और ऊपर कोई इन्डीकेशन नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : जानकारी किसने की है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: विभाग ने।

श्री मुरलीधर व्यास : जिस विभाग ने जानकारी की है उसको इस चीज़ की स्पेसिफिक जानकारी थी और उनको जिस प्रकार का सर्वे करना चाहिए था उसका सर्वे किया है या केवल ऊपर से देख कर ही किया है ?

श्री अध्यक्ष : विभाग का मतलब स्पेशलिस्ट से ही है।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या यह सही है कि उस खान का सर्वे स्टेट के टाइम में हो चुका था ? रिपोर्ट विभाग के पास उपलब्ध होनी चाहिए।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उसका प्रयत्न किया गया था पर सफल नहीं हुआ।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या पहले ड्रिलिंग किया गयां था ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मेरा उत्तर बड़ा स्पष्ट है कि पहले नहीं चली है। मिट्टी इतनी ऊपर है कि पता नहीं चलता है कि ड्रिलिंग कहां किया जाय।

श्री रावतमल पारीक : क्या यह सही है कि इस खान पर स्टेट के वक्त में काम चलता था और तांबा निकाला गया था ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मेरी जानकारी में नहीं है कि स्टेट के वक्त में काम हुआ। उसका परिणाम सामने है। उसके ऊपर क्या सफलता के आसार हैं वे नजर नहीं आते हैं। काफी जियोलॉजिकल सर्वे करना होगा, सारी चीज़ को डिटेल में देखना होगा। उसके बाद में माइनिंग का फर्दर स्टेप लिया जा सकता है। इसी वजह से जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को लिखा गया है। जियोलॉजिकल सर्वे पहले सारे का सारा करना होगा।

श्री किशनाराम (रतनगढ़) : दरीबा की खान के बारे में प्रश्न पूछा गया था इसके पहले।

श्री अध्यक्ष : आप नया प्रश्न पूछ लें।

श्री किशनाराम : ऐसा प्रश्न पूछा था और ड्रिलिंग मशीन के लिए एश्योरेन्स दिया है। एश्योरेन्स कमेटी के कागज़ तैयार हो चुके हैं। उसमें बताया गया है कि ड्रिलिंग मशीन का ऑर्डर दिया हुआ है, उसके बाद में काम चालू होगा, किन्तु इस प्रश्न के उत्तर में दूसरी बात बता रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : जो स्थिति आज है उसके बारे में उत्तर दिया गया है। भारत सरकार को

(श्री अध्यक्ष)

लिखा है कि आप इसका सर्वेक्षण करें।

श्री किशनाराम : ड्रिलिंग मशीन का कहा है कि वह मंगाई जा रही है। उस वक्त मेरे को भी यही उत्तर दिया जा सकता था।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मुझे याद नहीं आता है।

प्रश्न संख्या ८६२

श्री अध्यक्ष : श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

(अनुपस्थित)

भाखरा क्षेत्र के गोगामेड़ी बीड़ में भूमि का अस्थाई आवंटन

८६३. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) भाखरा क्षेत्र के गोगामेड़ी बीड़ में गत वर्ष कितनी भूमि अस्थाई रूप से आवंटन की गई ?

(ख) उक्त अस्थाई आवंटन से सरकार को कितने राजस्व की प्राप्ति हुई है या होगी ?

(ग) क्या कुछ एक भूमि का आवंटन ग्राम पंचायत, रामगढ़ के सदस्यों के नाबालिग बच्चों व नोहर व चक सरदारपुरा के किन्हीं व्यक्तियों के नाम भी किया गया है ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (क) भाखरा क्षेत्र के गोगामेड़ी बीड़ में गत वर्ष कुल ७,०८४) बीघा भूमि अस्थाई रूप से अलॉट की गई।

(ख) उक्त अस्थाई आवंटन से सरकार को ११,००२) रु० की प्राप्ति हुई।

(ग) रामगढ़ पंचायत के सदस्यों के नाबालिग बच्चों के नाम कोई अस्थाई अलॉटमेंट नहीं किया गया। सरदारपुरा व नोहर के ६ आसामियान को गोगामेड़ी में आवश्यक रकबा दिया गया है लेकिन उनमें भी कोई नाबालिग नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या महेन्द्रसिंह वल्द घनश्यामदास को जो ११ एकड़ अनकमान्डेड जमीन दी गई है, वह नाबालिग नहीं है ? एक नाम मेरे पास है इसलिए कह रहा हूँ।

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, अच्छा होता कि यही सवाल माननीय सदस्य पूछ लेते। जहां हजारों बीघों का एलॉटमेंट होता है वहां नहीं कह सकता। वह यही पूछते तो ज्यादा छानबीन हो सकती थी और मैं सही पता दे सकता था। अब महेन्द्रसिंह का पूछ लिया। कौन महेन्द्रसिंह है, कहां का है? ७०८४ बीघा में से महेन्द्रसिंह को ११ बीघा एलॉट किया होगा तो मेरे लिए कहना मुश्किल है। कहीं ज्यादा अच्छा होता कि अलग से माननीय सदस्य प्रश्न पूछ लेते तो मैं जानकारी करा लेता। अब भी जानकारी करा लूंगा।

श्री मुरलीधर व्यास : आपने देख करके कहा है इसलिए मैंने नाम बता दिया है।

श्री दामोदरलाल व्यास : आप सवाल

Page No.12

(श्री दामोदरलाल व्यास)

पूछ लें तो मैं बता दूंगा। It is better to put a direct question than to put an indirect question.

श्री मुरलीधर व्यास : मैंने एक जनरल तरीके से प्रश्न पूछा था और असेम्बली में नाम दिया था कि इस प्रकार का एलॉटमेंट हुआ है।

श्री दामोदरलाल व्यास : जो नाम दिया उसकी एन्क्वायरी हो गई। उसमें आपकी सूचना ठीक नहीं थी।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं कहता हूँ कि वह बिल्कुल ठीक थी। आपने इन्क्वायरी नहीं की और वैसे ही कह देते हैं कि ठीक बात नहीं है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने क्या कार्यवाही की है, उसका सवाल पूछ लें तो मैं बता दूंगा कि क्या कार्यवाही की है।

श्री मुरलीधर व्यास : मैंने नाम पूछ लिया। आपने उत्तर जो प्रस्तुत किया है उसमें कहा है कि कोई नाबालिग को नहीं दी गई है। इस प्रकार से कहते हैं। ठीक बात है कि इस सम्बन्ध में तमाम डिपोर्टमेंट को पूछना चाहते हैं। आपको तरफ से पूछना चाहिए था कि आपके पास कौन सी लिस्ट है, आप दें, तो मैं आपको देता। सदन में कहते हैं। उसके बाद में आप मुझ से इस प्रकार का आदमी भेज कर पूछ सकते हैं कि कौन सा नाम है जिसको गलत एलॉटमेंट किया गया है। जब मैं लिस्ट देता हूँ तो वे कहते हैं कि यह कहा जाता है।

श्री दामोदरलाल व्यास : सवाल आने पर इस डिपार्टमेंट का आदमी आपके पास पहले चला जाय कि नाम दें और फिर जवाब दिया जाय। It is better to put a direct question than to put an indirect question.

श्री चुन्नीलाल (रायसिंहनगर) : जो जमीन बांटी गई है वह किस किस के नाम पर बांटी गई है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, एक माननीय सदस्य ने जानकारी दी थी और आपने कहा था कि आपकी जानकारी गलत थी, सूचना गलत थी। वह किस आधार पर कहा था जब कि माननीय सदस्य कहते हैं कि पूछा ही नहीं गया ? ज्यादा अच्छा होता कि सूचना ले लेते और जानकारी लेकर फिर कहते।

श्री दामोदरलाल व्यास : किस सूचना की बात है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जिसके बारे में आपने कहा कि सूचना गलत दी गई है।

श्री दामोदरलाल व्यास : Why don't you put a direct question regarding this man ? I am not prepared to answer that question.

श्री मुरलीधर व्यास : यह लिस्ट मैंने पेश की थी....

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या अन्डर रूल्स माइनर्स को जमीन दी जा सकती है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : There is no prohibition to my mind.

श्री अध्यक्ष : रावराजा श्री सरदारसिंह ।

तहसील देवली में स्थित आदर्श गांधी ग्राम

८६४. रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) [श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) द्वारा पूछा गया] : क्या समाज कल्याण मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि तहसील देवली, जिला टोंक में, कोई आदर्श गांधी ग्राम आबाद हुआ है ? अगर हां, तो कब और उसमें कितने कुनबे आबाद हैं और कितनी भूमि है ?

(२) क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार ने उपरोक्त ग्राम के लिए कोई धन राशि प्रदान की है ? अगर हां, तो अब तक कितनी कितनी और उसका उपयोग किस तरह हुआ ?

(३) क्या यह सही है कि उपरोक्त धन-राशि के दुरुपयोग और गबन के मामले सरकार के पास पेश होकर उन पर तहकीकात हो चुकी थी ? अगर हां, तो किसके खिलाफ और अब तक उस पर क्या निर्णय लिया और कितने का गबन साबित हुआ ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) तहसील देवली, डिस्ट्रिक्ट टोंक में भूदान द्वारा प्राप्त एक भूखण्ड पर ही एक ग्राम 'गांधी ग्राम' के नाम से सन् ५५ में आबाद हुआ है । इसमें ४८ चमार परिवार आबाद हैं और इस ग्राम में करीब १,००० बीघा भूमि है ।

(२) गांधी ग्राम में आबाद होने वाले ४८ चमार परिवार के प्रार्थना-पत्र मकान बनाने को सहायता चाहने हेतु प्राप्त हुए थे । समाज कल्याण विभाग द्वारा सन् १९५४-५५ के आर्थिक वर्ष में ३८ परिवारों को ३५०) रू० प्रति परिवार से १३,३३०) रु० तथा सन् ५५-५६ में १० परिवारों को ३५०) रु० प्रति परिवार से ३,५००) रु० की आर्थिक सहायता दी गई थी । ४ परिवारों ने सहायता रकम का उपयोग नहीं किया । अत: यह राशि १,४००) रु० वापिस सरकार में जमा करा दी गई ।

(३) समाज कल्याण विभाग में धन-राशि के गबन अथवा दुरुपयोग की कोई शिकायत न तो पेश हुई और न तहकीकात हुई ।

श्री अध्यक्ष : श्री सोहनलाल भटनागर ।

राजस्थान सरकार द्वारा कोरसपोन्डेन्स कोर्स व रात्रि कॉलेज खोलने के बारे में भारत सरकार को प्रस्तुत सुझाव

८६५. श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या भारत सरकार ने राजस्थान सरकार से उच्च शिक्षा के लिए कोरसपोन्डेन्स कोर्स व रात्रि कॉलेज खोलने के बारे में कोई सुझाव मांगे हैं ?

Page No.14

(श्री सोहनलाल भटनागर)

(२) यदि हां, तो राजस्थान सरकार ने इस बारे में क्या सुझाव दिये हैं ?

उप-मन्त्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई): (१) जी हां ।

(२) यह विषय अभी तक सरकार के विचाराधीन है ।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या अगले सत्र के पहले ले लिया जायेगा ?

श्री सोहनलाल भटनागर : सरकार के सामने यह विषय कब से आया है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : दो महीने पहले से ।

श्री अध्यक्ष: श्री भीमसेन ।

सागर-रिडमलसर सिपाहियान का बास सड़क का निर्माण

८६६. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि सागर से रिड़मलसर सिपाहियान का बास, जिला बीकानेर के लिये एक मील सड़क का टुकड़ा सन् १६५८ या १६५६ में स्वीकृत किया गया था ? अगर हां, तो उस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र) : जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

श्री भीमसेन : अध्यक्ष महोदय, इसकी स्वीकृति दी गई थी ।

श्री हरिश्चन्द्र : पी. डब्ल्यू. डी. के द्वारा नहीं दी गई होगी ।

श्री भीमसेन : चीफ इन्जीनियर द्वारा दी गई है ।

श्री हरिश्चन्द्र : मेरे पास सूचना नहीं है ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी): रिडमलसर तक कितने मील का अन्तर है ?

श्री हरिश्चन्द्र : एक मील का ।

श्री मुरलीधर व्यास : १ मील तक सड़क नहीं बन सकी है ?

श्री हरिश्चन्द्र : सेन्क्शन नहीं है । नहीं बन सकती है ।

श्री भीमसेन : एप्रोच रोड से दिया गया था ।

श्री अध्यक्ष : आप यह कहें कि स्वीकृति अब और दें ।

(विराम)

श्री लादूराम सुलाणिया ।

जयपुर शहर में हुए अग्नि-कांड और वृष्टि से प्रभावित हरिजन परिवारों को सहायता

८६७. **श्री लादूराम सुलाणिया** (दूदू-सु०) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

Page No.15

(श्री लादूराम सुलाणिया)

(क) सन् १९५९–६० में जयपुर सिटी के अग्नि कांड और बरसात कांड में नष्ट हुए मकानों व हर्जे की सहायता के लिये कितने हरिजनों के आवेदन–पत्र प्राप्त हुए थे तथा उनमें से किन २ हरिजनों को कब और कितनी कितनी सहायता दी गई ?

(ख) क्या यह सही है कि इसी विषय में चौकड़ी घाट दरवाजा, जयपुर से रेगरों द्वारा बरसात से हुई हानि की सहायता के आवेदन-पत्र गत ४ साल से दिये हुए हैं और लगातार पत्र–व्यवहार होने पर भी उन्हें कोई सहायता नहीं दी गई ? यदि हां, तो क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (क) सन् १९५९–६० में जयपुर सिटी में कुल १२ हरिजनों के मकानों को अग्नि कांड से नुकसान हुआ। उनके आवेदन–पत्र प्राप्त हुए थे। उनमें से ५ हरिजनों को सहायता इस प्रकार की दी गई —

१.	श्री भैरू बलाई, हसनपुरा-जिला बोर्ड से	
२.	श्री शंकर नायक, अशोकपुरा	२० रु०
३.	श्री मोटू नायक	४७ रु०
३.	श्री विजयलाल	५२ रु०
५.	श्री गंगु बलाई	११० रु०

(ख) गत ४ साल के कोई आवेदन–पत्र बरसात से हुई हानि की सहायता देने के लिए पेन्डिगं नहीं हैं।

श्री लादूराम सुलाणिया : क्या इसकी जांच करवाई है कि पेंडिग नहीं हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां, जांच के आधार पर ही कहता हूँ।

श्री लादूराम सुलाणिया : माननीय अध्यक्ष, यह बताना चाहूँगा कि ४ साल से कागज चल रहे हैं। रिमाइन्डर पत्र प्राप्त हुए हैं। उनके बारे में लिखा है कि पत्र मिल चुके हैं और कार्यवाही चल रही है। ऐसे सारे प्रमाण हैं और माननीय मन्त्रीजी कहते हैं कि प्रार्थना–पत्र मिले नहीं।

श्री दामोदरलाल व्यास : आपने पूछा है कि पेंडिग हैं, उसका जवाब दे रहा हूँ। कोरेपोन्डेन्स भी हुई होगी और फाइनेलाइज़ भी हुए होंगे।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : क्या ऐसा समझा जाय कि जिनके केसेज़ फाइनेलाइज़ हो गये हैं उनको किसी प्रकार की सहायता नहीं दी गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जिनको सहायता मिली है उनके नाम बता दिये हैं और जिनको पानी से नुकसान हुआ है उनको भी सहायता मिलनी चाहिए। पत्र लिखा होगा, मगर पेंडिग केसेज़ कोई नहीं है।

श्री लादूराम सुलाणिया : आपने बताया उसमें घाटगेट का कोई नहीं बताया है और दूसरी जगह हैं। उनको मिली होगी, इसका उल्लेख प्रश्न में नहीं आया है और जो प्रश्न में पूछा है उसका उत्तर नहीं है।

श्री दामोदरलाल व्यास : आपने जो प्रश्न पूछा है उसका उत्तर दिया है।

Page No.16

श्री लादूराम सुलाणिया : मैंने पूछा है घाट दरवाजे के बारे में। वहां पर जो दुर्घटनाएं हुई हैं, वहां के लोगों की सहायता के बारे में पूछा है।

श्री दामोदरलाल व्यास : इसीलिए मैंने अर्ज किया कि पेंडिंग नहीं है घाट गेट में।

श्री लादूराम सुलाणिया : इसकी भी प्राप्त हुई या नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने अर्ज कि जो १६५६–६० के अन्दर २१ आदमियों के बरसात में मकानों की हानि हुई है उनको सहायता दी गई है। उन २१ आदमियों की तशरीह अगर आप चाहते हैं तो बता सकता हूँ। बाकी उनमें कोई पेंडिंग नहीं है।

श्री लादूराम सुलाणिया : वे २१ आदमी कहां के है, वे कहां कहां के हैं ?

श्री अध्यक्ष : आप लिस्ट देख लेना बाद में।

श्री भैरोंसिंह : इन २१ में से घाट दरवाजे के कितने हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : पुराने घाट के बारे में पूछ रहे हैं क्या ?

श्री भैरोंसिंह : घाट दरवाजे के बारे में।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह लिस्ट मेरे पास नहीं है।

श्री लादूराम सुलाणिया : इन २१ आदमियों को कितनी धन राशि दी गई ?

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : जो प्रश्न पूछा गया है उसका जवाब नहीं दिया गया और दूसरा ही उत्तर दे रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : पुराने घाट और सारे शहर के बारे में उत्तर दिया है।

श्री भैरोंसिंह : चौकड़ी घाट दरवाजे का प्रश्न पूछा है। घाट दरवाजे के सम्बन्धित लोगों के आवेदन-पत्र आये थे तो उनको कितनी सहायता दी गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने अपने उत्तर में कह दिया है कि पेन्डिंग कुछ नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : इसमें पूछा गया है कि क्या चौकड़ी घाट-दरवाजा, जयपुर में रेगरों से आवेदन-पत्र आये थे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आवेदन-पत्र आये थे लेकिन पेन्डिंग कुछ नहीं है, २१ आदमियों को सहायता दे दी गई है।

श्री भैरोंसिंह : घाट दरवाजे के बारे में प्रश्न पूछा है और सारे शहर के बारे में बताते हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास . घाट दरवाजा चौकड़ी बहुत बड़ी है। उसमें जितने लोग आते है उनमें से २१ आदमियों की फहरिश्त बता दी है जिनको कि सहायता दी गई।

श्री भैरोंसिंह : माननीय मन्त्रीजी की जानकारी के लिये बता दूं कि चौकड़ी घाट

Page No.17

(श्री भैरोंसिंह)

दरवाजे के पर्टिकुलर आदमियों के बारे में प्रश्न है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं २१ आदमियों की लिस्ट बता रहा हूँ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या ये २१ आदमी चौकड़ी घाट दरवाजा के ही हैं ?

श्री लादूराम सुलाणिया : मैंने रेगरों की जाति वहां बसती है उनके बारे में प्रश्न पूछा था कि क्या उनके आवेदन-पत्र आये हैं और यदि हां, तो उनमें से कितनों को सहायता मिली ? यदि ये २१ आदमी रेगर जाति के हैं तो ठीक है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : फिर करेक्ट कर लें।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन।

डूंगर कॉलेज, बीकानेर में डिग्री स्तर पर समाज शास्त्र विषय का शिक्षण

८६८. श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि बीकानेर डिविज़न के किसी भी डिग्री कॉलेज में डिग्री स्तर तक सोश्योलोजी पढ़ाने की व्यवस्था नहीं है ? अगर हां, तो क्या सरकार इस कमी की पूर्ति हेतु डूंगर कॉलेज में उपरोक्त विषय की पढ़ाई की व्यवस्था करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो यह पढ़ाई कब से चालू कर दी जावेगी ?

उप मन्त्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : सरदारशहर में सोश्योलोजी विषय डिग्री स्तर तक पढ़ाने की व्यवस्था है। इस साल सरकार का डूंगर कॉलेज बीकानेर में सोश्योलोजी विषय खोलने का विचार नहीं है। डूंगर कॉलेज बीकानेर की नई बिल्डिंग बनने पर सोश्योलोजी विषय डिग्री स्तर तक खोलने का विचार किया जावेगा।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : बीकानेर में नई बिल्डिंग बनने के बाद ही खोलने का विचार क्यों हैं ? क्या इससे पहले कोई व्यवस्था नहीं हो सकती ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : स्थान का अभाव है।

श्री मुरलीधर व्यास : स्थान का अभाव ५ साल से है लेकिन केवल एक सब्जेक्ट पढ़ाने का सवाल है जिसके लिये एक कमरे में व्यवस्था हो सकती है। राजस्थान के दूसरे डिवीज़नल हैडक्वार्टर्स में हैं और यहां पर इसकी जबर्दस्त मांग है, एक कमरा मिल सकता हो तो इन्क्वायरी करा लीजिये।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : कमरा नहीं है, इसकी जांच करने के बाद बता रहा हूँ। नई बिल्डिंग होने पर ही व्यवस्था हो सकती है।

श्री भीमसेन : क्या एक कमरे की व्यवस्था कर दें तो खोलने को तैयार हैं ?

श्री अध्यक्ष : श्री बेनाराम।

सोजत सिटी से सोजत रोड एवं बगड़ी को बिजली

८६६. श्री बेनाराम गहलोत(खारची): क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या सरकार के समक्ष सोजत सिटी से बिजली सोजत रोड एवं बगड़ी तक ले जाने का प्रश्न विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब से, और उस पर सरकार द्वारा अंतिम निर्णय कब तक ले लिया जायगा ?

विद्युत मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र) : जी हां। यह प्रश्न तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रस्तावों के बनने के समय से विचाराधीन है। सोजत रोड में विद्युतीकरण १९६१–६२ या १९६२–६३ में सम्भवत: हो सकेगा। बगड़ी की प्रोजेक्ट रिपोर्ट अभी नहीं बनी है। यदि स्कीम प्रोडक्टिव हुई और वांछित धन–राशि व सामान उपलब्ध हुए तो उस पर तृतीय पंचवर्षीय योजना–काल में विचार किया जा सकेगा

प्रश्न संख्या ९००

श्री अध्यक्ष : श्री तेजाराम गहलोत।

(अनुपस्थित)

स्थगित प्रश्न

('४–४–६१)

नगरपालिकाओं को कृषि भूमि अवाप्ति के अधिकार

७२४. श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे ?

(१) क्या नगरपालिकाओं को अपनी बढ़ती हुई आबादी को बसाने के लिये कृषि भूमि अवाप्त करने सम्बन्धी कोई नियम निर्धारित हैं ? यदि हां, तो वे क्या हैं ? प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या ग्राम पंचायतों को भी इसी प्रकार आबादी के लिए भूमि प्राप्त करने सम्बन्धी उसी प्रकार के नियम हैं ? यदि हां, तो क्या वे नगरपालिकाओं से सम्बन्धित नियमों के समान ही हैं या भिन्न ? यदि नहीं, तो क्या भविष्य में इस प्रकार के नियम बनाने का सरकार विचार रखती है ?

(३) क्या इस प्रकार भूमि प्राप्त करने सम्बन्धी कोई आवेदन–पत्र सरकार के पास आये हैं ? यदि हां, तो इस समय उनकी संख्या क्या है ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास):

(१) जी हां।

(२) भूमि अवाप्त करने के सम्बन्ध में राजस्थान लैण्ड एक्वीज़िशन एक्ट, १९५३ बना हुआ है। यह एक्ट नगरपालिकाओं तथा पंचायतों दोनों के लिये भूमि अवाप्त करने हेतु समान रूप से लागू है।

म्युनिसिपल सीमा में स्थित सरकारी कृषि भूमि, जिसकी कि काश्त सम्भव नहीं है, सम्बन्धित म्युनिसिपल बोर्ड की प्रार्थना पर २० गुना लगान लेकर आबादी में परिवर्तित की जा सकती है। पंचायतों के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(३) लैंड एक्वीज़िशन एक्ट के तहत पैन्डिग केसेज़ की सूचना एकत्रित की जा रही हैं। इनके अलावा इस विभाग में ७५ केसेज़ पैन्डिग हैं।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : पहले तो आपने कहा कि दोनों के लिये समान या एक से नियम हैं और फिर आप कहते हैं कि नगरपालिकाओं और पंचायतों को एक से अधिकार नहीं है, यह कैसे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : लैंड एक्वीज़िशन के नियम एक से हैं और नगरपालिका क्षेत्र में जितनी काश्त की भूमि है उसको ट्रान्सफर करने का ऑर्डर हुआ है। लेकिन पंचायत क्षेत्र में बहुत लम्बा-चौड़ा क्षेत्रफल होता है इसलिये पंचायतों के बारे में अभी निर्णय नहीं लिया गया है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : पंचायतें भी क्या एक्वीज़िशन कानून से जमीन ले सकती हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां, ले सकती हैं।

श्री रावतमल पारीक (नोखा) : क्या ये ६५ केसेज़ हैं उनमें........

श्री दामोदरलाल व्यास : कौन से केसेज़ ?

श्री रावतमल पारीक : जो ६५ केसेज़ आपने पेन्डिंग बताये हैं उनका जल्दी निर्णय करके दिलवाने की व्यवस्था करेंगे ?

(उत्तर नहीं दिया)

श्री किशनाराम (रतनगढ़) : क्या आपकी समझ से पंचायत क्षेत्रों की आबादी कम है और म्युनिसिपल क्षेत्रों की ज्यादा है, जिसके कारण पंचायतों के लिये नहीं कह रहे हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : I have not followed.

श्री अध्यक्ष : पंचायतों के लिये आपने कहा कि विचाराधीन है, उसका निर्णय कब तक हो जायगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : पंचायतों के लिये कुछ नहीं किया है। म्युनिसिपल क्षेत्र में जिस भूमि पर काश्त करना सम्भव नहीं है उसे आबादी के लिये ट्रान्सफर कर सकते हैं। यदि कलेक्टर समझते हैं कि जमीन कम है तो कन्वीनियेन्टली ट्रान्सफर कर सकते हैं।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : इसके नियम कोई हैं क्या, गजट में प्रकाशित हुए हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : एग्ज़ीक्यूटिव ऑर्डर दिया जा चुका है।

श्री किशनाराम : पंचायत के बारे में आपके विचाराधीन क्यों नहीं है ? क्या आप समझते हैं कि वहां की आबादी कम है ?

(उत्तर नहीं दिया गया)

श्री रावतमल पारीक : यह ऑर्डर किस कानून की तहत दिया गया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : लैंड रेवेन्यू एक्ट के अन्तर्गत ।

श्री रावतमल पारीक : किस दफा में ?

श्री अध्यक्ष : किताब में देख लीजिये।

नेक्स्ट, श्री रावतमल पारीक

भाखरा की बिजली बीकानेर को सस्ती दर पर प्रदान करना

४४७. **श्री रावतमल पारीक** (नोखा) : क्या मन्त्री, विद्युत् विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सत्य है कि भाखरा की बिजली बीकानेर में दी जाने लगी है, मगर अभी तक घरेलू आवश्यकताओं तथा कारखानेदारों के लिये उसके रेटस वही पुराने चले आ रहे हैं ? क्या रेट्स सस्ते करने की तरफ सरकार ध्यान दे रही है ? यदि हां, तो कब तक ऐसा सम्भव हो सकेगा ? भाखरा वालों से किस रेट से सरकार बिजली ले रही है ?

विद्युत् मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : प्रश्न का पहला खंड सही है और इसका कारण यह है कि भाखरा बिजली सीमित मात्रा में ही उपलब्ध होने के कारण बीकानेर पॉवर हाउस के स्टीम व डीज़ल सेट भी चलाने पड़ते हैं और इस प्रकार बीकानेर क्षेत्र में हाइडल व थरमल दोनों मिलाकर सप्लाई की जाती है। थरमल की कॉस्ट ऑफ जेनरेशन ज्यादा है, इस कारण वहां भाखरा की दरें लागू नहीं की जा सकी हैं। इस वर्ष में ही भाखरा से अधिक बिजली मिलेगी व बीकानेर व रतनगढ़ के सब–स्टेशन बनकर चालू हो जावेंगे। उस समय इस क्षेत्र में भी भाखरा की दरें लागू कर दी जावेंगी। भाखरा से राजगढ़ ग्रिड सब स्टेशन को बिजली मिलती है उसकी दो पार्ट में टेरिफ है। एक तो डिमान्ड चार्ज जो ५) रु० पर के. वी. ए. पर मन्थ है। दूसरा हिस्सा एनर्जी चार्जेज़ का है और उसके अनुसार मासिक पहिले ५ लाख यूनिट की.४५० आना या २.८१ नया पैसा, दूसरे १५ लाख यूनिट की.४२५ आना या २.६६ नया पैसा और फिर तीस लाख से अधिक यूनिट की .४ आना या २.२५ नया पैसा रेट है। मुख्तसिर यह है कि यह रेट ५ नये पैसे से अधिक नहीं हो सकती। ये दरें भाखरा टेरिफ एडवाइज़री कमेटी की सिफारिशों पर आधारित हैं। उन्हीं सिफारिशों के अनुसार कन्ज्यूमर्स के लिये भी दो पार्ट टेरिफ हैं। राजस्थान सरकार ने भी एक टैरिफ कमेटी बनाई है और उसका काम चालू है और उसकी रिपोर्ट जल्दी ही गवर्नमेन्ट को सबमिट की जावेगी उस पर राज्य की टैरिफ नीति निर्धारित होगी। फिलहाल बीकानेर क्षेत्र को छोड़कर भाखरा सर्विस एरिया में भाखरा की रेट चालू है और उसके अनुसार डिमान्ड चार्जेज़ व मिनिमम चार्जेज के अलावा बड़े कारखानों को ४. ७ से ४.०० नया पैसा पर युनिट, मध्यम श्रेणी के कारखानों को ६ नये पैसे से ५ नये पैसे प्रति युनिट, छोटे कारखानों को १३ से ६ नये पैसे फी युनिट व काश्तकारी के लिये ११ से ६ नये पैसे फी युनिट की रेट है। डोमेस्टिक व कॉमर्शियल कन्ज्यूमर्स की रेट अभी नीति निर्धारित न होने तक ६ आने व ३ आने रखी गई है।

श्री रावतमल पारीक : अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि कन्ज्यूमर तक भाखरा का बिजली को पहुँचाने में कितना खर्चा आता है मोटे तौर पर ?

श्री हरिश्चन्द्र : क्या मतलब ?

श्री रावतमल पारीक : कन्ज्यूमर तक सप्लाई होती है बिजली उसमें कितना खर्चा आता है? पांच पैसे राजगढ़ तक है।

श्री हरिश्चन्द्र : टेरिफ चार्जेज़ के जोड़ने के बाद जितना होता है, वह जोड़ दिया जाता है।

श्री रावतमल पारीक : कितना ?

श्री हरिश्चन्द्र : ये फिगर्स नहीं हैं।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : डॉमेस्टिक पर्पज़ के लिए जो बिजली दी जाती है वह उस रेट्स पर नहीं होगी जिन पर कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए दी जाती है। जिस प्रकार इन्डस्ट्रियल एस्टेट बीकानेर में हो गया, वहां पर जब तक रेट्स कम नहीं करेंगे तब तक किस प्रकार प्रोत्साहन मिल सकेगा ?

श्री हरिश्चन्द्र : मैंने कहा कि जब तक स्टीम और डीज़ल सेट्स चल रहे हैं तब तक ये रेट्स चल रही हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : ठीक बात है, यह रेट्स चल रही हैं, भाखरा से जो बिजली मिलती है, वह बिजली इन्डस्ट्रियल पर्पजेज के लिए कम रेट्स पर मिलनी चाहिए, भले हो आप डॉमेस्टिक पर्पज के लिए वहीं रहने दें। जो इन्डस्ट्रीज के अन्दर बिजली देना चाहते हैं, वह कम रेट्स पर क्यों नहीं देते ?

श्री हरिश्चन्द्र : मैंने आपसे अर्ज़ किया कि बीकानेर में इस वक्त ४६०० किलोवाट बिजली दे रहे हैं, इसके अलावा कम से कम १२००, १५०० किलोवाट और दी जा रही है, वहां पर हाईडल और थरमल दोनों मिलाकर दे रहे हैं, इस वास्ते रेट्स कम नहीं कर सकते, जब ज्यादा पॉवर आयेगी भाखरा से, तब रेट्स कम कर देंगे।

श्री मुरलीधर व्यास : आर्थिक दृष्टिकोण रखा जायगा, इतना तो हम समझते हैं कि इन्डस्ट्रीज को प्रोत्साहन नहीं मिल सकेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या यह सही है कि डॉमेस्टिक पर्पज के लिए बिजली उस रेट पर दी जायेगी जिस रेट पर अभी दे रहे हैं ?

श्री हरिश्चन्द्र : मैंने आपसे अर्ज किया कि टेरिफ कमेटी की रिपोर्ट आने पर जो कुछ उसमें होगा वह होगा।

श्री किशनाराम (रतनगढ़) : टेरिफ कमेटी के मेम्बर कौन कौन हैं ? उनके नाम फर्मा दीजिये।

(उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

मैनेजर, राजस्थान स्टेट होटल, जयपुर द्वारा स्टेनलेस स्टील की वस्तुओं की खरीद हेतु स्वीकृत टेण्डर

८७०. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या मुख्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे:—

(१) क्या यह सही है कि मैनेजर, राजस्थान स्टेट होटल, जयपुर द्वारा स्टेनलेस स्टील के २०० थाल, कटोरी १२००, प्लेट ४००, गिलास २००, चम्मच २०० खरीदने के लिए टेन्डर आमंत्रित किये थे ? यदि हां,

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

तो कुल कितने टेन्डर आये और उन्होंने क्या क्या कोटेशन्स दिये ? इसकी एक कम्पेरेटिव टेबल सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या यह सही है कि सबसे लोएस्ट टेन्डर को मन्जूर न करके सबसे हाइएस्ट को स्वीकार किया गया है और इन दोनों की रेट्स में लगभग २५ प्रतिशत का फर्क है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों, जब कि स्टेनलेस स्टील एक स्टेन्डर्ड इम्पोर्टेड मेटीरियल (standard imported material) है।

(३) क्या यह सही है कि जिस पार्टी को ऑर्डर दिया जा रहा है उसने इन्कम टैक्स क्लियरेन्स सर्टिफिकेट भी पेश नहीं किया है जो टेन्डर के साथ ही किया जाना जरूरी था ?

(४) क्या यह सही है कि स्टेनलेस स्टील का कोई खास ट्रेड मार्क अथवा Gauge टेन्डर में अंकित नहीं किया गया था ? यदि हां, तो फिर सेम्पल्स का कम्पेरिज़न किस प्रकार किया गया ?

(५) क्या यह सही है कि जिसका टेन्डर अब स्वीकार किया गया है उसके नाम की सिफारिश डाइरेक्टर ने नहीं की बल्कि लोएस्ट की की थी; तो फिर किस आधार पर यह टेन्डर स्वीकार किया गया ?

सामान्य प्रशासन मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (१) जी हां। टेण्डर आमंत्रित करने पर पांच टेन्डर्स आये, जिनकी विस्तृत जानकारी संलग्न सूची में उपलब्ध कर दी गई है।

(२) जी हां। यद्यपि स्टेनलेस स्टील एक स्टेन्डर्ड इम्पोर्टेड मेटीरियल है, किन्तु चद्दरों के वजन एवं मोटाई में भिन्नता होती है और बर्तनों के बनाने एवं ढलाई का कार्य भिन्न भिन्न फर्मों द्वारा अपने अपने ढंग से किया जाता है, जिनके फिनिश में भी अन्तर होता है, जिससे दरें भिन्न होती हैं।

(३) जी नहीं।

(४) जी हां। सैम्पल का कम्पैरिज़न टेन्डर में दिये गये साइज़ एवं नमूने के अनुसार किया गया।

(५) जी हां। टेन्डर की शर्तों के अनुसार अन्य टेन्डरों में, जो स्वीकृत नहीं किये, उनमें कमियां पाई गईं, अतः उस टेन्डरर का टेन्डर स्वीकृत किया गया जिसकी टेन्डर में सब शर्तों की पूर्ति थी।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : स्टेनलेस स्टील के बर्तनों की खरीद के लिए टेन्डर आमन्त्रित किये गये, उसमें थाली और कटोरी के क्या क्या स्पेसिफिकेशन थे ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मुझे उनकी साइज़–वाइज़ का पता नहीं; क्या स्पेसिफिकेशन्स थे, जिन्होंने टेन्डर दिये और जिनका मन्जूर किया गया, उसके लिए निवेदन किया कि जो स्टेन्डर्ड रखा गया ,था उसके अनुसार जिन्होंने दिया उनका स्वीकार किया गया।

श्री चुन्नीलाल (रायसिंहनगर) : कितने टेन्डर आये और किस किस के मंजूर किये गये ?

(उत्तर नहीं दिया गया)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि जो सूची प्रस्तुत की है, उसमें है थाल १५ इंच डाइमीटर इनसाइड, कोटरी ३ इंच डाइमीटर इनसाइड, राइस प्लेट ५ इंच डाइमीटर इनसाइड, यह साइज है। जो मेसर्स जोगेन्द्र पाल जगदीश कुमार का इन तीनों चीजों का टेन्डर स्वीकृत किया गया है और उसके द्वारा जो सप्लाई की गई है वह इन स्पेसिफिकेशन्स के हिसाब से नहीं थी !

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने निवेदन किया कि जो स्पेसिफिकेशन्स थे उनके मुताबिक खरीदा गया। अगर आप कोई अन्य सूचना दें तो मैं जानकारी करूंगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जो सूची दी है उसमें स्पेसिफिकेशन लिखे हैं, उसके हिसाब से सप्लाई नहीं की गई है। अध्यक्ष महोदय, कम्पैरिज़न की टेबल तीन है, इसमें है सप्लाई किस किस ने करने के लिए टेन्डर दिये, इसमें एक मेसर्स भौंरीलाल हनुमान सहाय है, इसका लोएस्ट टेन्डर है, इसमें आता है ६०१२.२० और जिसका टेन्डर एक्सेप्ट हो जाता है, जिसको ऑर्डर प्लेस किया है, उसमें आता है १२६५३.००, इसमें लगभग ३६०० रुपये का अन्तर है, यानी ३३ पर्सेन्ट हायर रेट्स पर टेन्डर एक्सेप्ट किया है, जब कि डाइरेक्टर ने रिकमन्डेशन में जो स्टेन्डर्ड इम्पोर्टेड मेटीरियल था, जो ट्रेड मार्क और गॉज था, उसके हिसाब से नहीं था, जो डाइरेक्टर ने रिकमन्डेशन की थी उसको और लोएस्ट टेन्डर को एक्सेप्ट नहीं किया तो हायर ऑथोरिटी के पास कौनसी ऑथोरिटी थी कि वजन, फिनिश को नज करके इसे एक्सेप्ट किया है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जिनके नाम की आपने इस जगह अभी चर्चा की, उन्होंने जो नमूना प्रस्तुत किया वह टेन्डर में वर्णित साइज़ और नमूनें के अनुकूल नहीं था, दूसरे टेन्डर सील्ड नहीं था, तीसरे, इन्कम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं था।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मेरा कहना है कि जो ऑब्जेक्शन आपने बताये, इसमें यह कुछ नहीं लिखा है कि सील्ड नहीं था। पोज़ीशन यह है कि इसमें जिस पार्टी का टेन्डर एक्सेप्ट किया है उस पार्टी ने जितने सेम्पल सप्लाई किये वे सेम्पल, स्पेसिफिकेशन्स से, जो टेन्डर में दिये हैं, मेल नहीं खाते। जब उनसे मेल नहीं खाते तो क्यों एक्सेप्ट किया गया है ? देखिये, २०० थाली, १,२०० कटोरी, ४०० राइस प्लेट्स के टेन्डर्स थे, किसी ने सेट के हिसाब से टेन्डर दिया, किसी ने दर्जन के हिसाब से टेन्डर दिया, किसी ने पीस के हिसाब से टेन्डर दिया। एक पार्टी के नाम के आगे नोट दिया गया है इस स्टेट में:—

"Comparative Statement worked out after getting rates per piece at page 2 and 3 M/s Bhonri Lal Hanuman Das promised for supply before 30th March, 1961 if the order is given in the second week". एक पार्टी का टेन्डर लोएस्ट था, जिसने पर किलो के

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

हिसाब से टेन्डर दिया, दूसरी पार्टी ने पर पीस के हिसाब से दिया, जिससे पर पीस के हिसाब से लिया गया था । जो कम्पेरेटिव लिस्ट दी है, इसके हिसाब से एक पार्टी लोएस्ट आती है, इसको क्यों नहीं दिया गया टेन्डर ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह मैंने निवेदन कर दिया है कि लोएस्ट को क्यों मंजूर नहीं किया गया ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जब डाइरेक्टर ने रिकमन्डेशन की थी, उसके बाद हायर ऑथोरिटीज़ के पास कौनसी चीज थी, जिससे हायर ऑथोरिटीज़ ने कम्पेअर किया कि फिनिश वगैरह लोएस्ट टेन्डरर का अच्छा नहीं है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : सिर्फ उतना नहीं है, मैंने निवेदन किया कि सील्ड टेन्डर तक नहीं था । दूसरा निवेदन किया कि उनका इन्कम टैक्स क्लियरेन्स सर्टिफिकेट नहीं था । तीसरे, निवेदन किया कि नमूने के मुताबिक नहीं था । इन तीनों कन्डीशन्स में से एक भी कन्डीशन पूरी नहीं होती तब भी रिजेक्ट हो सकता है ।

श्री अध्यक्ष : श्री रावतमल पारीक ।

बीकानेर शहर के सार्वजनिक पानी के स्टैन्ड

८७४. श्री रावतमल पारीक (नोखा) : क्या मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

बीकानेर शहर में कुल कितने सार्वजनिक पानी के स्टेंड पोस्ट हैं तथा उनमें से कितने चालू हैं और कितने बन्द पड़े हैं ? जो बन्द हैं वे किस कारण से ?

मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री हरिश्चन्द्र) : २८५ हैं । उनमें से २७८ चालू हैं तथा ७ (सात) बन्द हैं । इन ७ में से २ मोहल्लों वालों की शिकायत पर बन्द किये गये हैं तथा ५ नल गल जाने की वजह से बन्द हैं ।

श्री रावतमल पारीक : नल गल जाने के कारण बन्द हैं, तो गले नलों को कौन सुधारेगा, साहब ?

श्री हरिश्चन्द्र : डिपार्टमेंट बदलेगा और कौन ।

श्री रावतमल पारीक : कब तक ?

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह ।

श्री रावतमल पारीक: यह खुलासा हो जाना चाहिये । अध्यक्ष महोदय, नलों को गले हुए पांच साल हो गये....

श्री अध्यक्ष : देखिये, छोटा सा प्रश्न है, उन्होंने कहा कर देंगे । पांच–सात हैं २००–३०० में से, काफी कम रेश्यो है ।

(विराम)

श्री भैरोंसिंह ।

हटुंडी बालिका विद्यालय, अजमेर

८७५. **श्री भैरोंसिंह** (श्रीमाधोपुर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—
(क) हटूंडी बालिका विद्यालय, अजमेर को सन् १६५७–५८ में भारत सरकार तथा राजस्थान सरकार से विद्यालय साइन्स ब्लॉक तथा विद्यालय फाइन आर्ट्स एण्ड होम साइन्स ब्लॉक के लिये कितनी कितनी सहायता किस किस तारीख को मिली थी ?

(ख) इस सहायता की शर्तों के अनुसार यह निर्माण कार्य कब कब समाप्त होना चाहिये था और वास्तव में कब कब समाप्त हुआ ?

(ग) क्या यह सही है कि इन निर्माण कार्यों का पी. डब्ल्यू. डी. से सर्टिफिकेट हासिल किया गया था ? यदि हां, तो यह कार्य कितनी कितनी कीमत के आंके गये ?

(घ) क्या यह सही है कि सहायता की उक्त धन राशि इन्हीं भवनों के निर्माण में व्यय की गई ? यदि नहीं, तो कितनी ? बाकी की रकम का किस कार्य में और किसकी स्वीकृति से कितना कितना व्यय किया गया ?

(ङ) क्या हटुंडी बालिका विद्यालय की सन् ५७–५८ ५८–५६ व ५६–६० की ऑडिट रिपोर्ट पेश हुई है ? यदि हां, तो कब कब ? कृपया इन ऑडिट रिपोर्ट्स की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

उप-मन्त्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (क) हटुंडी बालिका विद्यालय, अजमेर को सन् ५७–५८ में किसी भी प्रकार का अनावर्तक अनुदान नहीं दिया गया ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ङ) हटूंडी बालिका विद्यालय की ऑडिट चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा सन् ५७–५८ व ५८–५६ तक का ही हुआ है ।

श्री भैरोंसिंह : यह १६५७–५८ व १६५८–५६ की ऑडिट रिपोर्ट सरकार के सामने कब कब पेश हुई ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : सरकार के सामने पेश होने का प्रश्न नहीं, विभाग के सामने पेश होती है ।

श्री भैरोंसिंह : वही मतलब है । विभाग का मतलब सरकार है, सरकार के सामने कब पेश हुई ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : ये तारीखें नहीं हैं ।

श्री भैरोंसिंह : यह प्रश्न मैंने पूछा है खास तौर पर, कब कब रिपोर्ट पेश हुई है !

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह आपने कहां पूछा है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : लास्ट में है ।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई :....ऑडिट रिपोर्ट पेश हुई, है ? यदि हां, तो कब कब ! ये तारीखें नहीं हैं ।

Page No.26

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : फिर जवाब क्या है ?

श्री भैरोंसिंह : १६५६-६० की ऑडिट रिपोर्ट पेश नहीं हुई है, तो क्या यह समझा जाय कि ऑडिट रिपोर्ट पेश न होने के अभाव में ग्रान्ट-इन-एड नहीं दी गई है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : १६६०-६१ तो अभी खत्म हुआ है, जो पिछली साल ग्रॉन्ट दी जाती है उसको देख कर ग्रान्ट देते हैं।

श्री भैरोंसिंह : यह पूछा है कि १६५६-६० में ऑडिट रिपोर्ट पेश नहीं हुई, तो क्या यह समझा जाय कि आगे आने वाले वर्ष के लिए सरकार की ओर से ग्रान्ट-इन-ऐड नहीं दी गई है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह अलग से प्रश्न है। ऐसा है तो ऐसा हुआ हो। हो सकता है कि पांच दिन या सात दिन पहले इस साल के जब नया वित्तीय वर्ष शुरू हुआ उस वक्त पेश कर दी हो। सवाल जिस वक्त पेश हुआ है उसके आने में देर लगती है उस दर्मियान में पेश हो गई हो, २६ को, ३० को हो गई हो।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि ग्रान्ट-इन-एड के नियमों के अनुसार जब तक पिछले साल का अकाउन्ट और युटिलाइजेशन सर्टिफिकेट पेश नहीं किया जाता तब तक अगले वर्ष के लिये ग्रान्ट-इन-एड नहीं दी जाती ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): तो हर महीने यह तो सही नहीं है। अनुदान देना पड़ता है। ५६-६० की रिपोर्ट आने का सवाल है तो वह नहीं आती है तो भी ग्रान्ट-इन-एड तो चालू रहती है। पिछले एक्सपेन्सेज़ के हिसाब से दिया जाता है और हिसाब आने पर बाद में एडजस्ट किया जाता है।

श्री भैरोंसिंह : क्वार्टरली एड या ग्रान्ट का है वह तो ठीक है, पर ५६-६० की रिपोर्ट पेश नहीं होती है तो क्या ग्रान्ट-इन-एड के रूल्स के माफिक आइन्दा किसी प्रकार की ग्रान्ट-इन-एड नहीं देने की व्यवस्था है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मेरे ख्याल से तो पेश हो जानी चाहिये। पर नहीं पेश हो तो डिस्क्रीशन यूज़ किया जाता है। संस्था का कार्य रुक नहीं जाय, इसके लिये रिमाइन्डर भेजे जाते हैं कि जल्दी से जल्दी रिपोर्ट भेजें।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि बालिका विद्यालय हट्डी को ५६-५७ में २४हजार की सहायता दी है, for the construction of Science Block Building. और फिर गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया की तरफ से सहायता दी गई है ? साइन्स बिल्डिंग के लिये ५४ हजार रुपया दिये जाने का उल्लेख दिया है तो क्या यह समझा जाय कि जिस वर्ष मिला है उससे पहले इस प्रकार के साइन्स भवन का सरकार के सामने कोई उल्लेख नहीं किया और उसके आधार पर गवर्नमेंट ने कोई ग्रान्ट-इन-एड या लोन संस्था को नहीं दिया ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मैं इसका उत्तर दे देता हूँ। ५६-५७ में बिल्डिंग के किये ग्रान्ट थी इसलिये इसका युटिलाइजेशन

Page No.27

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

सर्टिफिकेट हो और फिर रेकरिंग ग्रान्ट दी जाय, ऐसा नहीं है। नॉनरेकरिंग के लिये अवधि दी जाती है वह अवधि खत्म हो जाय तो अवधि बढ़ाई भी जाती है। समय पर युटिलाइज नहीं हुई तो प्रार्थना-पत्र आया और मयाद को आगे बढ़ा दिया।

श्री भैरोंसिंह : मेरा सवाल अवधि बढ़ाने का नहीं, मेरा सवाल यह है कि साइन्स ब्लॉक के लिये हटूंडी विद्यालय को ग्रान्ट दी गई, ५४ हजार रुपये एक जगह दिये और २४ हजार रुपये दूसरी जगह दिये तो मैं जानकारी चाहता हूँ कि ये ग्रान्ट्स दी हैं इनके लिये विद्यालय ने क्या पहले लिख कर नहीं दिया था कि इतनी ग्रान्ट की आवश्यकता है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह प्रार्थना-पत्र पहले आता है, बाद में ग्रान्ट दी जाती है।

श्री भैरोंसिंह : फिर कैसे कह दिया (क) के उत्तर में कि किसी प्रकार का अनावर्त्तक अनुदान नहीं दिया गया ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : माननीय सदस्य गलती कर रहे हैं। आपने ५६-५७ का नहीं पूछा है, ५७-५८ का पूछा है। मैंने ५७-५८ के लिये कहा है कि नहीं दी है। दरअसल ५६-५७ में दी गई है। तो गलती आपको तरफ से है मेरी तरफ से नहीं।

श्री भैरोंसिंह : जब आप यह कह रहे हैं कि ५६-५७ में कुछ नहीं दिया तो ऑडिट रिपोर्ट में ५४ हजार का उल्लेख कैसे आया ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : गलती आपकी तरफ से रही है, फिर भी इसके सम्बन्ध में उत्तर देने को तैयार हूँ। आपने साफ पूछा है : "(क) हटूंडी बालिका विद्यालय, अजमेर को सन् १९५७-५८ में भारत सरकार तथा राजस्थान सरकार से विद्यालय साइन्स ब्लॉक तथा विद्यालय फाइन आर्ट्स एण्ड होम साइन्स ब्लॉक के लिये कितनी २ सहायता किस किस तारीख को मिली थी ?" तो यह ५६-५७ में दी गई है ५७-५८ का आपने गलत पूछा है।

श्री भैरोंसिंह : मैं यह पूछना चाहता हूँ कि ५६-५७ में दी है पर ऑडिट रिपोर्ट पेश की है उसमें वह रकम कैसे आ गई है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : ५६-५७ के दो टुकड़े हैं। एक ५६-५७ में आता है और दूसरा टुकड़ा ५७ अप्रेल के बाद का ५८ में पड़ता है।

श्री भैरोंसिंह : ५७ का टुकड़ा है उसमें कितना दिया है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : ५७ के ३१ मार्च तक हो नहीं सका, दूसरे साल शुरू हो गया। साल खत्म हुआ उससे १० दिन पहले दिया, इसलिए अमाउन्ट समय पर समाप्त नहीं हो सकी ?

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि ५६-५७ की यह ग्रान्ट उसी वर्ष में खर्च नहीं की गई, वह अगले वर्ष में शामिल की गई है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जी नहीं। लम्प-सम में एक साथ दे दी, नेक्स्ट इयर में जोड़ने का प्रश्न नहीं।

श्री भैरोंसिंह : ५६-५७ के ४ दिन बाकी थे तब २४ हजार की ग्रान्ट दी गई और फिर ५४ हजार की ग्रान्ट दी, तो यह रकम ४ दिन उस साल के बाकी रहे उस समय देते हुए सरकार के समक्ष यह सवाल नहीं आया क्या कि इतनी रकम ४ दिन में कैसे खत्म हो सकेगी ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : कायदा ऐसा है कि हर स्कीम को एप्रूव करते हैं। एप्रूव करने के बाद ऐसी संस्थाएं भी होती हैं जो अपनी खुद की रकम लगा सकती हैं। मार्च में बिल आता है तो बिल्डिंग कम्प्लीट नहीं होती है, कुछ की इन्कम्प्लीट होती है, तो प्रार्थना-पत्र आने पर तीन-चार महीने की मयाद और बढ़ा देते हैं।

श्री भैरोंसिंह : इस रकम के विषय में आपने लिखा है : "Building construction subject to verification of P. W. D." 'सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन' लिखा है तो क्या यह सही है कि ५६-५७ में देने का लिखते हैं और ५७-५८ में खर्च करते हैं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई: जी हां।

श्री भैरोंसिंह : क्या इस संस्था ने पी.-डब्लू. डी. का सर्टिफिकेट हासिल किया है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जी हां।

श्री भैरोंसिंह : क्या जितनी रकम संस्था की ओर से दिखाई गई है उतनी ही रकम का सर्टिफिकेट पी. डब्लू. डी से हासिल किया गया है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह बिल्कुल अलग प्रश्न है। जो इसका ऑडिट करते हैं वे जैसा वह संस्था बताती है उसके ऊपर लिख देते हैं। पी. डब्लू. डी. का सर्टिफिकेट साथ में नहीं होता है तो नोट नत्थी कर देते हैं कि पी. डब्लू. डी. का सर्टिफिकेट नहीं है। पी.-डब्ल्यू. डी. कम कर सकती है, उसमें ४ हजार रुपया युटिलाइज़ नहीं हुआ तो उसको वापिस वसूल कर लिया जाता है।

श्री भैरोंसिंह : जिस अमाउन्ट का हिसाब संस्था ने विभाग को दिया है उन्होंने जितना अमाउन्ट बताया है, तो इसके अगेन्स्ट में उन्होंने कितना अमाउन्ट बताया है ?

श्री अध्यक्ष : इसमें नोट है :

"subject to verification by P. W. D,"

इसके नीचे लिखा है :

"less deduction on P. W. D. verification for the work upto 30-6-59.."

श्री भैरोंसिंह : यह केवल ५७-५८ के लिये लिखा है। यह अकाउन्ट चलता है ५८-५९ तक।

श्री अध्यक्ष : डिडक्शन किया है, कम हुआ है उसका....

श्री भैरोंसिंह : ८८,३७४ का दिया है संस्था ने और पी. डब्ल्यू. डी. ने सर्टिफिकेट दिया है १५ हजार का। पी. डब्ल्यू. डी. के

(श्री भैरोंसिंह)

सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ती है तो ये जो सारे कागजात ऑडिट में पेश करने चाहिये थे वे पेश नहीं किये ।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : एक साथ लम्प सम ग्रान्ट-इन-एड दे दी है ।

श्री अध्यक्ष : नॉनरेकरिंग ग्रान्ट है उसके साथ रेकरिंग को आपने जोड़ दिया है । मन्त्री महोदय ने कहा न कि नॉनरेकरिंग ग्रान्ट लम्पसम में दे दी ।

श्री भैरोंसिंह : तीन वर्ष में राजस्थान सरकार और भारत सरकार से दोनों से, मिला कर २४ हजार, २५ हजार और ५४ हजार, तीन नॉनरेकरिंग ग्रान्टस ली हैं बिल्डिंग पर्पज़ के लिये, संस्था की तरफ से ८८,३७४ का खर्चा दिखाया गया है जब कि पी. डब्ल्यू. डी. की तरफ से केवल १५ हजार का सर्टिफिकेट दिया गया है । तो क्या इसे युटिलाइजेशन सर्टिफिकेट मानें ?

श्री अध्यक्ष : Is it true what the Hon'ble member states ?

श्री भैरोंसिंह : Yes, it is true, Sir.

श्री मोहनलाल सुखाडिया: पी. डब्ल्यू. डी. ने सर्टिफिकेट दिया उसमें इसके लिये ४६,६७८. ६७ कीमत आंकी गई ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि बिल्डिंग के लिये खर्चा हुआ उसके लिये पी. डब्ल्यू. डी. ने १५ हजार का सर्टिफिकेट दिया? यह ४६ हजार का दिया है । वह वहां कॉन्ट्रेक्टर था नरसिंह यादव उसका मेटीरियल पड़ा हुआ था उसको मिला कर सर्टिफिकेट दिया है ।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : यह हो सकता है कि जो बिल्डिंग के लिये मेटीरियल हो उसको साथ में लिया हो ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि इसके लिये ऑब्जेक्शन किया गया था कि यह इसमें शुमार नहीं किया जावे ।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : मैं नहीं कह सकता कि ठेकेदार से कितना.....

श्री अध्यक्ष : और मौके पर इस पर चर्चा हो सकती है, मगर इस पर प्रश्नों के दौरान में बहस नहीं हो सकती ।

श्री भैरोंसिंह : आखिर ८६ हजार का मामला है और १५ हजार के सर्टिफिकेट ही लेते हैं । मामूली मामला नहीं है । जिस संस्था के हमारे वित मन्त्री संचालक हैं उसका यह मामला है, इसलिये प्रश्न करता हूँ ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री रावतमल पारीक ।

बीकानेर के भुट्टा कुए के होज में भिष्टा डालनेवालों के विरूद्ध कार्यवाही

८७७. श्री रावतमल पारीक (नोखा): क्या मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :-

Page No.30

(श्री रावतमल पारीक)

क्या सरकार को विदित है कि कुछ दिनों पहले हौज खुला होने के कारण किन्हीं व्यक्तियों ने बीकानेर के भुट्टा कुए के हौज में भिष्टा डाल दी थी ? यदि हां, तो इसके बारे में विभाग ने क्या कार्यवाही की ? यदि कोई कार्यवाही नहीं की, तो क्यों ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र) : यह सत्य है । विभाग के ध्यान में आते ही तुरन्त उस हौज की समुचित सफाई करवा दी गई है ।

श्री रावतमल पारीक : यह हौज खुला होने से ऐसा होता है । क्या इसको ढकने के के लिये कोई कार्यवाही हो रही है ?

श्री हरिश्चन्द्र : जी हां, हो रही है । आपको जैसा मालूम है, बीकानेर के वाटर वर्क्स इम्प्रूवमेंट की सारी स्कीम बना कर तैयार है ।

श्री रावतमल पारीक : मैं यह जानकारी दूंगा कि हौज को ढकने की कोई तजवीज नहीं है ।

श्री हरिश्चन्द्र : रिजरवॉयर बनाये जा रहे हैं जल्दी ।

श्री रावतमल पारीक : जब तक ये नहीं बने तब तक क्या हम भिष्टा मिला हुआ पानी पीवेंगे ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री रावतमल पारीक ।

हनुमानगढ़—तलवाड़ा सड़क

८७६. **श्री रावतमल पारीक** (नोखा): क्या मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

हनुमानगढ़—तलवाड़ा सड़क के तखमीने आदि मंजूर हुए काफी समय हो जाने पर भी काम अभी तक चालू क्यों नहीं हुआ तथा अब कब तक शुरू होने की संभावना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र) : इस सड़क को हनुमानगढ़—तलवाड़ा की बजाय हनुमानगढ़—सिरसा होकर ले जाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ।

श्री रावतमल पारीक : यह जवाब कुछ जचा नहीं । सिरसा तक ही होगी ?

श्री हरिश्चन्द्र : सिरसा से होकर पंजाब में जावेगी ।

श्री रावतमल पारीक : क्या इसके लिये आइन्दा विचार किया जाएगा ?

श्री हरिश्चन्द्र : जी नहीं ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट । श्री मोहब्बतसिंह ।

जन-संख्या के आधार पर अनुसूचित क्षेत्रों में आबू रोड तहसील का समावेश

८८४. **श्री मोहब्बतसिंह** (सिरोही) : Will the Minister for Social Welfare be pleased to state :-

(a) Is it a fact that inclusion of

Page No.31

(श्री मोहब्बतसिंह)

Abu Road Tehsil in scheduled areas on population basis was recommended to the Government of India by the State Government ?

(b) If so, what has been the progress so far made in this direction ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता): (a) Not to the Government of India, but to the Scheduled Tribes Commission.

(b) The matter is under consideration of the Commission.

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री रावतमल पारीक।

अवकाश प्राप्त अधिकारियों के कार्य काल में अभिवृद्धि या पुनर्नियुक्ति

८८५. श्री रावतमल पारीक (नोखा) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राजस्थान में इस समय कितने अवकाश प्राप्त अफसर समय बढ़ा कर या पुनर्नियुक्ति द्वारा कहां कहां काम पर लगाए हुए हैं और ऐसा करने का कारण क्या है ? ऐसे अफसरों की सूची कारण सहित सदन की मेज पर रखी जावे।

मुख्य मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): अध्यक्ष महोदय, इसकी अभी पूरी सूचना उपलब्ध नहीं हुई है। सूचना उपलब्ध होने पर उत्तर दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशन

(अनुपस्थित)

श्री रामकरणसिंह

(अनुपस्थित)

श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

(अनुपस्थित)

श्री तेजाराम गहलोत

(अनुपस्थित)

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय इसका उत्तर मिलना चाहिए।

पाली व जोधपुर जिले में शिकमी काश्तकारों का खातेदारी हक

९००. श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) [श्री गहलोत की अनुपस्थिति में किसी अन्य माननीय सदस्य द्वारा पूछा गया] : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) पाली जिले व जोधपुर जिले में तहसीलवार निम्न प्रकार के कितने कृषक दिनांक १५. १०. ५५ को कितनी जमीन पर काबिज थे :

(क) शिकमी काश्तकार,

(ख) कृषक जो १५. १०. ५५ को बगैर पर्चे के काबिज थे ?

(श्री तेजाराम गहलोत)

(२) उक्त कृषकों में से दिनांक ३१. १२-६० तक तहसीलवार कितने शिकमी काश्तकारों को खातेदार दर्ज किया गया व कितनी जमीन पर ?

(३) १५. १०. ५५ को बगैर पट्टे खुद प्रश्न नं० (१) व (२) में दर्ज काबिज कृषकों में से दिनांक ३१. १२. ६० तक तहसीलवार कितनों को खातेदार दर्ज किया व कितनी जमीन पर दर्ज किया गया ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

(१२ म.)

श्री भैरोंसिंह।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई के बोलने के लिये खड़े होने पर)

इसके बाद में। श्री भैरोंसिंह।

प्रारम्भिक गणित तथा अंग्रेजी के प्रश्न-पत्रों के आउट होने आदि विषय पर आधे घंटे की चर्चा

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : माननीय अध्यक्ष, सदन के समक्ष मैं एक बहुत महत्व का प्रश्न माननीय मुख्य मंत्री द्वारा उत्तर प्रदान किये जाने हेतु जन हित के लिये तथा सदन की जानकारी के लिये प्रस्तुत करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, इस वर्ष बोर्ड ऑफ सेकन्डरी एज्युकेशन राजस्थान, द्वारा हाई स्कूल, सेकन्डरी एज्युकेशन व हायर सेकन्डरी तथा इन्टरमीजिएट के एग्जामिनेशन्स की व्यवस्था कराई गई। हाई स्कूल के एग्जामिनेशन १३ मार्च, १९६१ को प्रारम्भ हुए और निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार यह परीक्षा १९-३-६१ को समाप्त हो जानी चाहिये। लेकिन उसके बीच एलिमेन्ट्री मैथेमेटिक तथा इंग्लिश कम्पलसरी के पेपर्स आउट हो गये।

एलिमेन्ट्री मैथेमेटिक के पेपर्स लड़कों ने दे दिये। लड़कों ने आन्सर बुक्स में अपने जवाब दे दिये। उसके बाद में पेपर को आउट समझा जाकर पोस्टपोन किया और उसकी तारीख ३१ मार्च निश्चित की गई। इसके साथ साथ सरकार का या बोर्ड का कहना है कि इंग्लिश का कम्पलसरी पेपर भी आउट हो गया। इसलिये सरकार ने इसको भी पोस्टपोन करके १ अप्रेल इसके लिये मुकर्रर कर दी। जैसी मेरी जानकारी है उसकी तुलना में इस वर्ष हाई स्कूल एग्जामिनेशन के लिए ही माननीय मंत्री यह कहें कि एलिमेन्ट्री मैथेमेटिक्स या इंग्लिश का ही पेपर आउट हुआ है, तो यह उचित नहीं होगा। मैं यह समझता हूँ कि बोर्ड को भी जानकारी दी गई थी और उसका आधार यही हो सकता है कि मैथेमेटिक्स के पर्चे बाजार में एक एक रुपये में बेचे गये थे। जयपुर बैंक है, उसके पास जिस तरह बैंक में रुपयों के लिये क्यू लगता

(श्री भैरोंसिंह)

है उसी तरह से इस परीक्षा के पहले दिन पेपर के लिये लड़कों का क्यू लगा हुआ था। इससे पहले दिन ही पेपर आउट हो गया। इसको खरीदने के लिये सारे शहर के छात्र वर्ग में जिक्र हो गया कि पेपर आउट हो गया है। सरकार यदि सारी सूचना के आधार पर मैथेमेटिक्स का पेपर लड़कों को वितरण करने के पूर्व ही आउट हो जाने की घोषणा कर देती तो लड़कों को किसी प्रकार की मेहनत उत्तर देने में करनी नहीं पड़ती। मैं यह भी कहूँ कि बोर्ड के कुछ इन्वेजिलेटर्स थे या सुपरिन्टेन्डेन्ट थे, उन्होंने इस सम्बन्ध की सूचना सरकार को, बोर्ड को दे दी थी और उन्होंने यह कहा था कि १४ तारीख को जब फिज़िक्स और कैमिस्ट्री का एग्ज़ामिनेशन हो रहा था तो वे इस बात को सुनते थे। कई स्कूलों के लड़कों के नोट बुक्स जो वे साथ में ले जाते हैं और बाद में हॉल के बाहर छोड़ कर चले जाते हैं उनको कई एग्ज़ामिनेशन सुपरिन्टेन्डेन्ट्स और इन वेजिलेटर्स ने देखा और वे इस परिणाम पर पहुँचे कि अगले परीक्षा-पत्र भी सोल्ड हैं और उसके साथ साथ परीक्षा-पत्र जो कैमिस्ट्री और फिज़िक्स में वे दे रहे थे उनके प्रश्नों के उत्तर भी उनमें मिले थे। उन प्रश्नों का उत्तर या सोल्यूशन कौनसा अच्छा हो सकता है, वह भी उनमें दिया गया था। यह सब सरकार के सामने, बोर्ड के सामने जानकारी आई। लेकिन मुझे खेद है कि जहां सरकार के सामने फिज़िक्स और कैमिस्ट्री के पेपर्स की बात आई उनको देखते हुए यदि सरकार सतर्क होकर चेष्टा करती कि ये पेपर्स किस प्रकार से आउट हो रहे हैं, लड़कों में किस प्रकार की जानकारी है और सरकार को क्या कार्यवाही करनी चाहिये, तो सरकार आगे के पेपर्स आउट न हों और उनका बुरा असर न पड़े इसका नियंत्रण कर सकती थी, लेकिन सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की। जब ज्यादा चीजें खुल गई और हर नागरिक के सामने यह प्रश्न आया तो सरकार ने कहा कि पेपर आउट हो गये। सरकार क्या यह बताने की कृपा करेगी कि मैथेमेटिक्स का पेपर आउट हुआ, मगर सरकार ने किस आधार पर इंग्लिश के पेपर को आउट हुआ मान लिया? मैं यह मानता हूँ कि यह पहली बार ही राजस्थान में ऐसा नहीं हुआ है। पिछली बार लड़कों ने कहा कि आउट करने का आसान तरीका है। इंग्लिश, मैथेमेटिक्स और फिज़िक्स के आउट हो गये। जब लड़कों ने कहा तो हमने इस बात की चिन्ता नहीं की। हमने दो पेपरों को ही आउट मान कर उनको पोस्टपोन कर दिया। हमारे पास बाकी के पेपर्स भी हैं। ये लड़के किस आधार पर कह रहे थे, यह मैं नहीं कह सकता। लेकिन बड़े कॉन्फिडेन्स से लड़के कह रहे थे।

मैंने इसकी जानकारी करने की भी कोशिश की और मैं यह जानकारी कर सका हूँ कि कुछ लड़कों ने कहा कि जो प्रश्न उनको बताये गये थे और जो प्रश्न परीक्षा में आने वाले थे उनमें कोई अन्तर नहीं था। मैंने अपनी जानकारी के अनुसार 'कपूर गैस पेपर्स' को देखा और 'रावत गैस पेपर्स' को भी देखा। मैंने कई छात्रों के हाथों में 'कपूर गैस पेपर्स' और 'रावत गैस पेपर्स' को देखा था और जब मैंने उनको टेली किया तो इस सदन को जानकारी दूं, जिसको सुन कर बड़ा अचम्भा होगा कि इन प्रश्न-पत्रों में कुछ प्रश्न पत्र ऐसे हैं जिनको यदि 'कपूर गैस-

(श्री भैरोंसिंह)

पेपर्स' से मिलान किया जाय तो टेली करने पर पांच पांच प्रश्नों में कहीं भी, जो ऐसे हैं कि उनमें कहीं भी, कोमा और फुलस्टॉप का भी अन्तर नहीं है । इसी प्रकार का हाल 'रावत गैस पेपर्स' का भी है । जानकारी के लिए मेरे पास वे प्रश्न पत्र और गैस पेपर्स हैं; 'कपूर गैस पेपर्स' और 'रावत गैस पेपर्स' हैं। यदि सदन उनको पढ़ कर जानकारी प्राप्त करना चाहे तो कर सकता है । 'कपूर गैस पेपर्स' में पांच प्रश्न ऐसे हैं जो विदा-उट कोमा–फुलस्टॉप के हमारे दिये गये प्रश्न–पत्रों से टेली करते हैं । इंग्लिश कम्पलसरी में भी तीन प्रश्न ऐसे हैं....

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : On a point of order, Sir, एजेन्डा दिया हुआ है उसमें तो अंग्रेजी और गणित के बारे में ही है....

श्री अर्जुनदास (अजमेर-पश्चिम) : जोर से तो बोलें।

लिए माननीय सदस्य और माननीय मुख्य मंत्रीजी को कोई एतराज नहीं होना चाहिये। जहां ३० हजार छात्रों के साथ अहित होता हो तो इसको रखना चाहिये और मैं यह महसूस करता हूँ, मैं मानता हूँ कि सदन का समय कीमती है और इसके बारे में मैं आपसे ज्यादा जानता हूँ कि सदन का समय कितना कीमती है ।

इसी प्रकार से जनरल साइन्स, कम्पलसरी हिन्दी, गणित, हिस्ट्री के प्रश्न पत्र हैं । मैंने, उन पर निशान लगा रखे हैं और यदि माननीय मुख्य मंत्रीजी उनको देखना चाहें तो देख सकते हैं । किसी में तीन प्रश्न हैं, किसी में पांच प्रश्न हैं, किसी में चार प्रश्न हैं और किसी में दो प्रश्न हैं । हमारे बोर्ड द्वारा दिये गये प्रश्न–पत्रों के प्रश्नों में और जो 'कपूर और रावत गैस पेपर्स' में एपीयर हुए हैं उनमें कोई अन्तर नहीं है । इसके साथ ही साथ प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन्स में जो लड़के पढ़ते थे उनकी नोट बुक्स भी मेरे पास पड़ी हुई हैं। उनको देखने से आपको मालूम हो सकता है कि अगले दिन और उसके बाद किस किस दिन कौनसा कौनसा पर्चा आने वाला है। उन प्रश्नों के [illegible]

(श्री भैरोंसिंह)

प्रकार की कोई घटना नहीं हुई थी और अब की बार यह घटना हुई है । सरकार की ओर से जितनी इसके लिए सीरियसनैस बरतनी चाहिये थी उतनी सीरियसनैस नहीं बरती गई । मैं यह कहना चाहूँगा कि इस प्रकार से जो पर्चे आउट होते हैं इसके लिए सरकार क्या कर रही है, यह तो माननीय मुख्य मंत्रीजो के उत्तर से पता लगेगा ।

इसके साथ साथ, अध्यक्ष महोदय, एक अजीब स्थिति मैंने इस घटना के सम्बन्ध में और देखी है । प्रश्न तो पूछना क्या है और प्रिन्ट क्या हुआ है; जैसे मेथेमेटिक्स का पर्चा है। ये पर्चे वे पर्चे हैं जिनके बारे में मैंने अभी निवेदन किया था । प्रश्न १ है, चतुर्भुज बनाना है । १०८ का एंगल बनाना है । जहां १०८ का एंगल बन सकता है लेकिन इस प्रश्न-पत्र में १८० का एंगल बनाओ, यह पूछा गया है । राजस्थान में ही नहीं; भारतवर्ष में भी ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं मिलेगा कि वह चतुर्भुज का १८० का एंगल बना दे । इस तरह से १०८ की जगह १८० छप गया है । दूसरे पेपर में है, हिन्दी से अंग्रेजी । दूसरे पेपर में १०८ है और फिर १८० हो गया है । यह कहा जा सकता है कि अनुवाद के कारण यह खामी रह गई । कुछ ऐसे छात्र हैं जो हिन्दी नहीं जानते और कुछ ऐसे छात्र हैं जो अंग्रेजी नहीं जानते । कुछ ऐसे छात्र हैं जो अंग्रेजी से हिन्दी और हिन्दी से अंग्रेजी नहीं जानते । यदि इस सीरियसनैस को लाइटली लिया गया तो आगे चल कर बड़े इसके भयंकर परिणाम निकल सकते हैं । इसके साथ साथ अध्यक्ष महोदय, दूसरे इम्तिहान हुए उन पर्चों के सम्बन्ध में है । एक ग्राफ बनवाया है । पूछना चाहते थे उसमें उम्र । यह है हायर सेकन्डरी एग्ज़ामिनेशन ६१, कम्पलसरी एलीमेंटरी मैथेमेटिक्स जो पोस्टपोन होकर हुआ । उसमें एक ग्राफ बनवाया है । प्रश्न ६ में लिखा है भिन्न २ आयु पर एक बालक और बालिका का वजन नीचे दिये हुए आंकड़ों से प्रकट होता है । रेखा-चित्र बनाओ और ४, ८ तथा १२ वर्ष के बालक और बालिका के औसत वजन ज्ञात करो । इसका इंग्लिश ट्रान्सलेशन किया है :

"The following table gives the weights of a boy and a girl at different ages. Draw graphs from this table and find the average age of a boy and a girl at ages 4, 8 and 12 years."

मैं ऐसा समझता हूँ कि यह अन्तर कोई मामूली नहीं है। इस अन्तर को लेकर केवल प्रिन्टिंग मिस्टेक कहा जाय, यह नहीं हो सकता । ऐसे छात्र मेरे पास आये हैं, उन्होंने उसके बारे में कहा कि उन्होंने हिन्दी को नहीं देखा और ऐसा समझा था कि एग्ज़ामिनर्स जनरल इन्टेलीजेन्स का प्रश्न कर रहे हैं। एज के बारे में पूछा जाय । गलत जवाब देना नहीं चाहते थे । जो हमको ब्लफ करना चाहते थे उनके ब्लफ में हम नहीं आये । इसको सरकार ब्लफ समझती है या कैसे ? इसी प्रकार से टेलरिंग का प्रश्न-पत्र है; जगह जगह पर प्रिन्टिंग मिस्टेक है । छठा प्रश्न है । इसमें लिखा है, "यदि आपकी सिलाई मशीन में निम्नलिखित दोष हो गये तो उनको ठीक करने के उपाय लिखिये ।" "ब" में लिखा है, "जबड़ा सिकुड़ता हो ";

(श्री भैरोंसिंह)

जब कि सही यह है कि "कपड़ा सिकुड़ता हो"। इस प्रश्न-पत्र में 'जबड़ा सिकुड़ता हो' यह कर दिया गया है।

प्रश्न ५ में है "राइट नोट्स ओन दी फोलोइंग"। 'वेल्ट पोकेट' किया है जब कि 'बेल्ट पोकेट' होना चाहिये। 'बेल्ट' की जगह 'वेल्ट' कर दिया गया। 'थ्रेड टेक अप लीवर, होना चाहिये और कर दिया है 'थ्रेड टेप अप लीवर'।

इसी प्रकार एक प्रश्न-पत्र में नहीं, सारे प्रश्न-पत्रों में जांच करने पर कई गलतियां मिलेंगी। मैं सरकार से कहना चाहूँगा कि केवल गलतियों का ही प्रश्न नहीं है। लेकिन ऐसे भी प्रश्न-पत्र छात्रों के सामने रखे गये हैं कि जो कोर्स उनके लिए प्रेस्क्राइब्ड था उसके अगेन्स्ट कोर्स में से प्रश्न-पत्र सेट कर दिये गये। इकॉनॉमिक्स के बारे में थ्री ईयर्स डिग्री कोर्स की सलेबस था, जो उसके पर्चे आने चाहिये थे वहां उसके अगेन्स्ट वे सारे के सारे पर्चे दे दिये गये और इसी प्रकार से इंग्लिश ऑप्शनल का पर्चा था, जहां नया कोर्स प्रेस्क्राइब्ड था ओल्ड में से दे दिया। लड़के उन पर्चों को कर नहीं सके। उसका नतीजा तो उनको परीक्षा में फेल होकर भुगतना पड़ेगा।

इतना ही नहीं, राज्य सरकार का एक कैलेन्डर प्रकाशित होता है। इसका नाम है "स्कूल कैलेन्डर"। इसमें डेडस निश्चित की हुई होती हैं कि फलां फलां डेट्स को इम्तिहान होंगे। डेट्स डाइरेक्टर चेन्ज कर सकता है या नहीं, यह मैं नहीं कह सकता, यह लेकिन यह कह सकता हूँ कि डिप्टी डाइरेक्टर तो नहीं कर सकता। तारीखें दी हुई हैं उनसे पहले इम्तिहान नहीं हो सकते। अप्रेल का महीना स्थानीय परीक्षाओं के लिए निश्चित होता है। इसमें वार्षिक परीक्षायें प्रारम्भ होंगी। २१ अप्रेल से होनी चाहिये। डिप्टी डाइरेक्टर को इस कलेन्डर में परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन डिप्टी डाइरेक्टर ने चेन्ज कर दिया है और सारी परीक्षाओं को १७ अप्रेल से कराया है। उसका कारण यह है कि ३० अप्रेल के बाद महाराजा हायर सेकन्डरी मल्टीपर्पज गांधीनगर में जावेगा, गांधीनगर हायर सेकन्डरी स्कूल, आदर्श नगर में जावेगा और इस प्रकार से जयपुर में रहने वाली तमाम इन्स्टीट्यूशन्स को अपने मकान बदलने पड़ेंगे। इसमें एक लाख रुपये के करीब खर्चा होगा। उसके लिये ऑर्डर्स इश्यू कर दिये गये हैं। इसका क्या नतीजा निकलने वाला है, यह तो आगे मालूम होगा लेकिन डिप्टी डाइरेक्टर के ऑर्डर्स के कारण जिस प्रकार की हालत हुई है उसके बारे में मैं सदन में कुछ कहना नहीं चाहूंगा। इस सम्बन्ध में अगर माननीय मन्त्री महोदय चाहेंगे तो मैं जानकारी दे सकूंगा कि इस प्रकार की शिफ्टिंग में क्या रहस्य है, किस प्रकार का षड़यन्त्र है, किस प्रकार से लड़कों के साथ में मखौल किया जाता है, किस प्रकार का आर्थिक संकट पैदा किया जाता है ? आज उन लड़कों को जिन्होंने अपने घरों के पास की स्कूलों में एडमिशन लिया है आदर्श नगर, गांधीनगर आदि स्कूलों में जाना पड़ेगा। वहां वे स्कूलें शिफ्ट होकर जा रही हैं।

अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार राज-

(श्री भैरोंसिंह)

स्थान की परीक्षा सम्बन्धी जो व्यवस्था है वह इतनी दोषपूर्ण है कि जिस दोष के लिये कोई जिम्मेदार नहीं और यह कह चलना कि इसके लिये बोर्ड जिम्मेदार है, डायरेक्टर जिम्मेदार है; मैं यह नहीं मानता। यह बड़ा सीरियस मामला है। इस विभाग में प्रशासनिक सजगता नहीं होने के कारण इस प्रकार की गड़बड़ हुई है। पहले पर्चे आउट हो गये। उसके बाद पेपर्स में प्रिन्टिंग मिस्टेक्स रहने लगीं। उस पर सरकार को एक्शन लेना चाहिये था, मगर कोई एक्शन नहीं लिया गया। मुझे यह भी मालूम हुआ है कि इन्टरमीजियेट की कॉमर्स क्लासेज़ में भी पांच पांच पर्सेन्ट की जगह दस पर्सेंट कर दिया गया, 'हिम सेल्फ' की जगह 'हर सेल्फ' कर दिया। वे पर्चे भी मेरे पास हैं। अगर समय हो तो पढ़ कर सुनाऊं। आज जिस प्रकार की मुसीबत लड़कों के सामने है उससे उनका जीवन बिगड़ता जा रहा है। उस पर हमारी सरकार विचार नहीं करती। माननीय मुख्य मन्त्री महोदय को उस पर विचार करने की फुर्सत नहीं। इस तरह से लड़कों का जीवन दूषित होता जा रहा है। मैं माननीय मुख्य मन्त्री महोदय से खास तौर से निवेदन करूंगा कि यह विभाग आपका है, हम आपसे अपेक्षा रखते हैं कि निश्चित रूप से इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशियेन्सी होनी चाहिये। जहां तक बोर्ड की एफिशियेन्सी का सवाल है, उसके लिये बोर्ड के चेयरमैन के सम्बन्ध में जब उनकी टर्म वृद्धि का सवाल सदन के सामने आया था उस समय उनके बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है। इन सारी स्थितियों में मैं माननीय मुख्य मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि इस प्रश्न को गोलमाल निपटाने की चेष्टा न करें। वे इस बारे में अपनी जिम्मेदारी को समझ कर उन सारे व्यक्तियों के खिलाफ जिनके कारण परीक्षा सम्बन्धी प्रश्न-पत्रों में जो अनियमिततायें, प्रिन्टिंग मिस्टेक्स आदि रह गई हैं सख्तसेसख्त एक्शन लें ताकि आयन्दा इस प्रकार की गलतियां न हों और जो लड़कों के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है वह न होने पावे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इस बारे में सदन को जानकारी दें।

(श्री जनार्दनराय नागर के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष : It is not a discussion open to all the members.

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : ये तो शिक्षा विशेषज्ञ हैं, इन्हें तो बोलने दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्री।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री) : माननीय अध्यक्षजी, अभी अभी जो परीक्षायें ली गईं उनके सम्बन्ध में श्रीमाधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ बातें जब बजट पर चर्चा हो रही थी उस वक्त भी उठाई थीं और उनके अलावा कुछ नई बातें इस समय भी सदन के सामने प्रस्तुत कीं। सबसे पहले तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि परीक्षाओं के अन्दर जो पेपर्स लीक होने का समाचार था; जैसे एलीमेंटरी मेथेमेटिक्स और इंग्लिश कम्पल-

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

सरी के पेपर्स—इनके बारे में मैं पहले भी सदन में निवेदन कर चुका कि इन परीक्षाओं के लिये दूसरी तारीख निर्धारित कर दी गई थी। विद्यार्थियों को इसकी वजह से तकलीफ न हो, इसके लिए एग्ज़ामिनेशन कन्टिन्युएशन में हो जायं, इस प्रकार की बोर्ड द्वारा व्यवस्था कर दी गई थी। जो पेपर्स लीक हुए उनके बारे में पुलिस के उच्च अधिकारी जांच कर रहे हैं और बोर्ड और पुलिस अधिकारी द्वारा मिल कर इसमें जिस किसी का दोष पाया जायेगा उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी, यह मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूं। इसलिये प्रश्न—पत्रों के लीकेज हो जाने के बाद भी सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर रही है एवं शिथिलता बरत रही है, मैं समझता हूं, जो कार्यवाही हम करने जा रहे हैं उससे सरकार द्वारा इस मामले में शिथिलता बरती जा रही हो, यह प्रश्न ही नहीं आता। इसके कारण विद्यार्थियों को दिक्कत न हो, इसीलिये इन प्रश्न—पत्रों की फिर से परीक्षा लेने की व्यवस्था तुरन्त कर दी गई। इस दिक्कत को जितना कम से कम किया जा सकता था हमने करने की कोशिश की और उसी के अनुसार कार्यवाही की गई।

दूसरा सवाल जैसा कि अभी कहा गया कि एक पेपर में १०८ डिग्री की जगह १८० डिग्री छप गया। यह प्रिन्टिंग के अन्दर हुआ। यह बहुत बड़ी गल्ती हुई, इसके लिये विद्यार्थियों को काफी दिक्कत उठानी पड़ी। सब से पहले मैं सदन की जानकारी के लिये यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो एग्जामिनेशन पेपर्स दिये गये वे अंग्रेजी और हिन्दी दोनों भाषाओं में छपे होते हैं, दोनों का अनुवाद साथ ही होता है। मैं समझता हूं, यह माननीय सदस्यों से छिपा हुआ नहीं है कि राजस्थान में हिन्दी नहीं जानने वाले और केवल अंग्रेजी जानने वाले छात्रों की तादाद कितनी है, इसका अन्दाजा शायद सभी कर सकते हैं। हिन्दी के अन्दर १०८ डिग्री छपा है उसके नीचे अंग्रेजी में कुछ पेपर्स में १०८ है और कुछ के अन्दर १८० है। तो इससे विद्यार्थियों पर काफी असर पड़ा हो, यह बात नहीं प्रकट होती....

श्री अर्जुनदास (अजमेर—पश्चिम) : Were the papers printed at two places ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : दो जगह पर नहीं छपे हैं।

श्री अर्जुनदास : Then how can there be a mistake in English papers ? Composition must be one.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसमें कहीं न कहीं कुछ रिप्लेसमेंट हुआ हो, उसकी वजह से हो सकता है। मैं तो आपके सामने फैक्ट्स रख रहा हूं।

श्री अर्जुनदास : Either you might have been misinformed by your staff or your statement is not correct.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : I am narrating facts. इसी प्रकार हिन्दी में 'बेल्ट' की जगह 'वेल्ट' छप गया, इससे काफी फर्क पड़ा। एक भाषा में बेल्ट है दूसरी में वेल्ट है। इन सब के लिये यही निवेदन

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

है कि इसके लिये विद्यार्थियों को ऑप्शन था । जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा १८० डिग्री का एंगल किस प्रकार से बन सकता है, तो उसके सामने यह पहला प्रश्न स्वाभाविक था । कोई भी विद्यार्थी १८० डिग्री का एंगल बनाने से पहले हिन्दी में जो दिया हुआ है १०८ उसको भी देखता तो इतना अन्तर नहीं रह सकता था । इसके अलावा उनको दिये गये सवालों में केवल तीन को ही अटेम्प्ट करना था । उसके अलावा भी तीन अटेम्प्ट करने की गुन्जाइश थी । इस प्रश्न को छोड़ कर भी वे दूसरा प्रश्न ले सकते थे । इसके बाद भी बोर्ड द्वारा पेपर्स में इस प्रकार की गलतियां रख देने से विद्यार्थियों को असुविधा हुई है, उसके लिये एक्ज़ामिनर्स को भी यह बात ख्याल में रख कर परिणाम पर पहुंचना है । इस बारे में इमीजियेटली इन्स्ट्रक्शन्स इश्यू कर दिये गये हैं कि मिसप्रिन्ट होने को वजह से विद्यार्थियों को कुछ सफर न करना पड़े, इस बात को भी वे ध्यान में रखें ।

इसके साथ साथ मैं यह स्पष्ट कर दूं कि मैं जो यहां यह जवाब दे रहा हूँ वह किसी को [illegible]न्ड करने के ख्याल से नहीं दे रहा हूँ । [illegible] ठीक नहीं कि इन दो पेपर्स के अलावा और भी पेपर्स आउट हुए हैं । इस प्रकार की बात भी सरकार के सामने लाई गई है । मैं निवेदन करूं, ज्यादातर जो गैस पेपर्स हमारे यहां से निकलते हैं, जो कि निकाले जाने नहीं चाहिये, फिर भी निकालते हैं; कुछ लोग कॉमर्शियल तौर पर; उन पेपर्स में कुछ प्रश्न आ गये । गैस के हिसाब से प्रोबेबल क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं; इस प्रकार के टीचर्स बतलाते रहते हैं । इसी तरह से कुछ क्वेश्चन्स उन गैस पेपर्स में से इस प्रकार के आये कि जिसके लिये कहा जाता है कि क्वेश्चन्स आउट हो गये । मैं समझता हूँ, अगर १५ सवालों में से दो चार सवाल उस तरह के निकल आते हैं तो ऐसी कोई बात नहीं । कुछ ऐसे क्वेश्चन्स रिपीट होते रहते हैं । उसका सम्बन्ध पेपर लीक हो गये; इससे माना नहीं जा सकता । इस प्रकार का सन्देह करने का कोई कारण नहीं हो सकती ।

जहां तक एक पेपर आउट हो गया था उसका प्रश्न है तो उसके लिये हमने दुबारा इम्तिहान के लिये कह दिया था । दूसरे पेपर के लीकेज होने का हमें अन्देशा हो गया था । उसके इम्तिहान से पहले ही उसको केन्सिल कर दिया गया और यदि अन्य पेपर्स के लीकेज होने का आभास मिलता तो उनके [illegible] नहीं की जाती । इसको छिपाने [illegible] का कोई कारण [illegible]

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

लीकेज हुआ हो।

एक पेपर जो कोर्स के बाहर के सबजेक्ट आ जाने के बारे में चर्चा में आया। इसके लिये भी निवेदन करना चाहता हूँ कि जब मालूम हुआ कि इस प्रकार पेपर सेट किया गया है तो उसे केन्सिल करके विद्यार्थियों को दिक्कत न हो इसके लिये जो विद्यार्थी जहां पर हैं वहीं पर परीक्षा लेने का तय किया गया है। यह इंग्लिश ऑप्शनल के बारे में है। फिर इसमें जितने विद्यार्थी शरीक हुए हैं सब की तादाद मिला कर १७० के करीब आती है। १७० विद्यार्थी कुल सबजेक्ट में बैठने वाले हैं। इसलिये आसानी से यह इन्तजाम हो सकता था। १७ अप्रेल की इम्तिहान की तारीख निश्चित की गई।

दूसरा, कुछ और चीजों के बारे में कहा गया। प्रिन्टिंग मिस्टेक हैं। 'जबड़े' का और दूसरे उदाहरण दिये गये। असल में ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है, मैं मानता हूँ; इस प्रकार की प्रिन्टिंग मिस्टेक्स न आवें। यों सेकन्डरी बोर्ड स्वयं एक ऑटोनोमस बॉडी है। गवर्नमेंट उसका ध्यान ज्यादा से ज्यादा आकर्षित करती रही है और जो बात हुई है उसकी तरफ भी ध्यान आकर्षित करेगी और सरकार यह मान कर चलती है कि इन चीजों के बारे में ज्यादा सतर्कता के साथ काम लेना चाहिये। इस बारे में इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ।

दूसरी बातें बहुत सी इनके साथ जोड़ी गईं। उन चीजों की चर्चा में मैं पड़ना नहीं चाहता और इससे सम्बन्धित इम्तिहान और दूसरी पढ़ाई वाली बातों के बारे में कह कर अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : थर्ड इयर इकॉनोमिक्स के पर्चे में भी आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चन्स हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसका बोर्ड से क्या ताल्लुक ?

श्री भैरोंसिंह : आपसे तो है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आपने जितना पूछा उसकी जानकारी लेकर आया; अब आप यह भी पूछें, तो सारी जानकारी तो लेकर आया नहीं।

श्री भैरोंसिंह : इस समय जानकारी नहीं दे सकते तो विश्वास तो दिला सकते है कि जैसी व्यवस्था इंग्लिश ऑप्शनल के लिये की गई है वैसी व्यवस्था इसके लिये भी हो सकेगी।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : यह युनिवर्सिटी का मामला है, इसमें सरकार का कोई वश नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : वाइस चान्सलर यहां बैठे हैं।

श्री जनार्दनराय नागर : विश्व विद्यालय एक ऑटोनोमस बॉडी है।

राजस्थान वित्तीय निगम का पांचवां वार्षिक प्रतिवेदन

(सदन की मेज पर रखना)

उप-मन्त्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : मैं राजस्थान वित्तीय निगम

Page No.41

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

पांचवां वार्षिक प्रतिवेदन (३१ मार्च, १९६० तक) सदन की मेज पर रखता हूँ ।

(१२. ३०. म. प.)

राजस्थान कसर भोम उत्सादन विधेयक, १९६१

(प्रवर समिति को)

श्री अध्यक्ष : राजस्थान कसर भोम उत्सादन विधेयक, १९६१ ।

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि आज ७ विधेयक ऐसे हैं जो सदन को विचार करके पारित करने हैं । ऐसा निश्चय सदन द्वारा पहले लिया जा चुका है और माननीय सदस्यों के सहयोग से ही यह सम्भव हो सकता है । इसलिये कृपया इस बात को ध्यान में रखते हुए विभिन्न विधेयकों पर बहस करें ।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय,....

श्री अध्यक्ष : Revenue Minister.

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): I have moved the motion for consideration. Last time I moved it.

श्री अध्यक्ष : श्री दयाकृष्ण विजय ।

(अनुपस्थित)

कोई माननीय सदस्य बोलना चाहें तो बोल सकते हैं ।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर): सिलेक्ट कमेटी को मूव करने का प्रस्ताव श्री दयाकृष्ण विजय का है । अगर अध्यक्ष महोदय, आज्ञा दें तो मैं प्रस्ताव रख दूं कि इसे सिलेक्ट कमेटी को मूव कर दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष : नहीं, इसकी आज्ञा नहीं मिलेगी ।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान कसर भोम उत्सादन के सम्बन्ध में जो विधेयक सदन में प्रस्तुत किया गया है उस विधेयक को सिलेक्ट कमेटी के पास मूव कर दिया जाता तो मैं उसका समर्थन करता और चूंकि इस प्रकार की कोई....

श्री अध्यक्ष : ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें यह प्रस्ताव पिछले दिन नहीं किया गया था इसलिये आप (श्री दामोदरलाल व्यास से) इसे पुनः कर दीजिये ।

श्री दामोदरलाल व्यास : अच्छा मैं कर देता हूं ।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान कसर भोम उत्सादन विधेयक, १९६१ को विचारार्थ लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष : Motion moved.

(विराम)

Shri Bhaiorn Singh.

श्री भैरोंसिंह : मैं राजस्व मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि वे इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति न करें कि इसको सिलेक्ट कमेटी को

Page No.42

(श्री भैरोंसिंह)

मूव कर दिया जावे। तो मैं एक प्रस्ताव इस सम्बन्ध का प्रस्तुत कर सकता हूँ और ऐसी स्थिति में आपत्ति न हो माननीय राजस्व मन्त्री को तो मौखिक रूप से यह प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत करता हूँ ! आपत्ति नही है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : बहुत ज्यादा असर है। वैसे तो कायदे से नहीं होना चाहिये, पर मैं उनकी बात मान लेता हूँ।

श्री अध्यक्ष : आपको ऐतराज नहीं है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : क्या करें उनका दबाव है तो ! है बेकार, आयेगा वापिस वैसा का वैसा ही।

श्री अध्यक्ष : तब तो वगैर बहस ही इसे भेज दें साहब।

(विराम)

आप (श्री भैरोंसिंह से) प्रस्ताव कर दीजिये।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान कसर भोम उत्सादन विधेयक, १९६१ को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जिसकी सदस्य नामावली अभी प्रस्तुत कर दी जावेगी।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि 'राजस्थान कसर भोम उत्सादन विधेयक, १९६१' को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय। इसकी नामावली सदन के सम्मुख प्रस्तुत कर दी जावेगी।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

राजस्थान भूदान यज्ञ (संशोधन तथा विस्तारक) विधेयक, १९६१

(विचारार्थ एवं पारित)

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान भूदान यज्ञ (संशोधक तथा विस्तारक) विधेयक, १९६१ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : मोशन मूव्ड । आप (श्री दामोदरलाल व्यास से) बता दें थोड़ा।

श्री दामोदरलाल व्यास(राजस्व मंत्री): इसमें इतनी सी बात है कि अभी सुनेल का, अजमेर का और आबू का राजस्थान में विलीनीकरण हुआ। उस वक्त मध्य प्रदेश का भूदान यज्ञ बोर्ड और अजमेर का भूदान यज्ञ बोर्ड अलग अलग थे और इसलिये जब यह मर्जर हुआ तो उनका सम्बन्ध रहा नहीं और उन इलाकों में भी राजस्थान का भूदान बोर्ड और भूदान यज्ञ एक्ट एक्सटेन्ड करना जरूरी हो गया इसलिये इस बिल को लाया गया है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान भूदान यज्ञ (संशोधक तथा विस्तारक) विधेयक, १९६१ को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

श्री दामोदरलाल व्यास(राजस्व मंत्री): मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह कि राजस्थान भूदान यज्ञ (संशोधक तथा विस्तारका) विधेयक, १९६१ को पारित किया जाय ।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया ।

राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, १९६१

(विचारार्थ एवं पारित)

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (संशोधन) विधेयक, १९६१ को विचारार्थ लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष : Motion moved

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : इसमें क्या है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : ट्रैस पासर्स पर इम्पोज़ीशन है, पेनल्टी १५ गुना कर दी है टिनेन्सी एक्ट में, पर कॉन्सीक्वेन्श्यल अमेन्डमेन्ट इसमें नहीं है । वह किया गया है ।

श्री भैरोंसिह (श्रीमाधोपुर) : इसके अलावा तो और कुछ नहीं है ?

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : इसके सम्बन्ध में मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूँ । राजस्थान टीनेन्सी एक्ट में ट्रैसपासर्स के लिये १५ गुना पैनल्टी इम्पोज करने का प्रावधान है उसके अनुरूप इसमें प्रावधान कर रहे हैं । वैसे, अध्यक्ष महोदय, देखा जावे तो राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत में यह प्रोविज़न वहां फोर्स में आता है जब कि किन्हीं दो टिनेन्ट्स के बीच में खेत पर कब्जा करने का झगड़ा हो । दो के बीच में जब डिस्प्यूट होता है तो इसका उपयोग होता है । पर यहां इस वक्त जो अमेन्डमेन्ट हम ला रहे हैं इसमें सरकारी जमीन से सम्बन्ध है ।

राजस्थान में जो कॉलोनीज़ हैं, जैसे गंग-एरिया, चम्बल और भाखरा का एरिया है ऐसी और भी कॉलोनीज हैं, उनके लिये कॉलोनाइजेशन एक्ट बना है। उसमें सरकारी जमीन कीमती होती है और उस पर कोई कब्जा करता है तो उस एक्ट के तहत कार्यवाही करने का सरकार को अधिकार है । अब यह ऐसे वर्क से और ऐसी जगह से सम्बन्ध रखता है जो या तो डेजर्ट है या सेमी डेजर्ट एरिया है । ऐसे एरिया के लिये १५ टाइम पैनल्टी इम्पोज़ करना वाजिब नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपने एरिया के बारे में निवेदन करूं कि बीकानेर डिविजन में, यह तो सब जानते हैं कि हमारे राजस्थान में इस एरिया में जो रेगिस्तान है वहां अनसर्टेन मानसून रहती है और अनसर्टेन मानसून के कारण किस वक्त किस इलाके में किस तरफ गांव में बरसात हुई है इसको देख कर उसी जमीन में काश्त करनी पड़ती है ।

तो इस तरह से यह काश्तकार के लिए सम्भव नहीं होता है अध्यक्ष महोदय डेजर्ट एरिया में ।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री): अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माननीय सदस्य से जानना चाहता हूँ कि बीकानेर

(श्री दामोदरलाल व्यास)

डिविज़न में ६ गुना तो हर समय लगा दिया जाये या उसमें भी उनको एतराज है ?

श्री भीमसेन : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता था कि डेजर्ट एरिया में जहां जमीन की बहुतायत है और लाखों एकड़ जमीन बन्जर पड़ी है तो जहां बरसात होती है........

श्री दामोदरलाल व्यास : My question has not been answered.

श्री भीमसेन : अध्यक्ष महोदय, उसी का मैं जवाब दे रहा हूँ। डेजर्ट एरिया के अन्दर लाखों एकड़ जमीन बंजर पड़ी है और सरकार के काम में नहीं आती है और अगर कोई काश्तकार उस जमीन को काश्त करके कुछ लैण्ड रेवेन्यू देता है तो सरकार को उसको वहन करना चाहिए। कोई काश्तकार ऐसी बन्जर जमीन पर कब्जा करके कृषि उत्पादन को बढ़ाता है तो सरकार उस पर एक्स्ट्रा पैनल्टी इम्पोज़ करती है। तो मैं समझता हूँ, अध्यक्ष महोदय, यह न्यायोचित व्यवस्था नहीं। बीकानेर स्टेट के समय इन्हीं प्राकृतिक दिक्कतों को देखते हुए उस समय की सरकार ने निर्णय लिया था कि जो काश्तकार जमीन को काश्त करेगा सरकार उससे सिर्फ एक पैसा फी बीघा एक्स्ट्रा पैनल्टी चार्ज करेगी और इस तरह से ऐसे काश्तकार वहां पर हजारों की तादाद में हैं जो कि अब भी २०–३० वर्ष से उस जमीन पर काश्त करते हैं और जमीन उनके कब्जे में है और सरकार उनको ट्रेसपासर मान कर उनसे पैनल्टी चार्ज कर रही है। अभी राजस्थान में जो भी लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत लैण्ड अलॉटमेंट के रूल्स बने हैं वे भी काश्तकार इसमें नहीं आते हैं। तो इस तरह हजारों की तादाद में काश्तकार इससे प्रभावित होंगे और रेन फॉल के कारण ऐसी स्थिति आई और मान लीजिए कि पश्चिम की तरफ लैण्ड अलॉट करवाई है और बाकी बारि पूर्व की तरफ से आती है तो पूर्व की तरफ ही जमीन काश्त करनी पड़ती है और लाखों एकड़ जमीन बन्जर पड़ी रहने के कारण यह हालत है तो क्या सरकार यह वाजिब नहीं समझती कि ऐसे इलाके के लिए जो डेजर्टेड ऐरिया है और जहां लाखों एकड़ जमीन बन्जर पड़ी है और वहां के काश्तकार अगर काश्त करते हैं तो सरकार ऐसी व्यवस्था कर दे कि जमीन को काश्त करने के बाद सरकार को ऐसी सूचना काश्तकार दे दे कि मैंने फलां जमीन काश्त कर ली है तो ऐसे काश्तकारों के ऊपर पैनल्टी इम्पोज़ न की जाये। ऐसी अगर व्यवस्था हो जाये तो उचित है। इससे सरकार की मन्शा भी पूरी हो सकती है और काश्तकारों को भी लाभ हो सकता है। इस तरह से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि पैनल्टी इम्पोज़ करने के बारे में जो १५ टाइम्स का प्रावधान रखा जा रहा है यह कम से कम उस एरिया के लिए जो कि डेजर्टेड है वहां के लिए अनुचित होगा।

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता था कि जो माननीय सदस्य लूणकरणसर से आये हुए हैं उनकी तरफ से बहस नहीं आनी चाहिए थी, क्योंकि उनके यहां जमीन का मसला ऐसा है कि उनके यहां इतनी जमीन ज्यादा है कि वहां के लोग ट्रेसपास करने के आदी हैं और

Page No.45

(श्री दामोदरलाल व्यास)

उनको ज्यादा एनकरेज नहीं किया जाये, इसमें किसी को एतराज नहीं होगा । उनके यहां इस मामले में काफी रियायत की जाती है । मैंने माननीय सदस्य को उनके एरिया के लिए ६ गुना के लिए कहा था कि वह ६ गुना पर भी रजामन्द हों तो मैं उसके लिए भी मन्जूर कर सकता हूँ । लेकिन वह मन्जूर नहीं करेंगे और वह आधा गुना या १ गुना से ज्यादा बढ़ने वाले नहीं हैं....

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर): 'May extend' का क्या मतलब है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह एनोमोली पैदा हो गई है । मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि सेकशन १८३ टिनेन्सी एक्ट को अमेन्ड करके यह कर दिया गया है कि लैंड के ऊपर जो ट्रेसपार्स हैं उसकी पेनल्टी एक्सटेन्ड की है १५ टाइम्स । जिस समय टीनेन्सी एक्ट पर बहस हो रही थी उस समय मैंने सदन को बताया था कि कुछ ऐसे उदाहरण होने लगे हैं कि ट्रेसपासर ज्यादा हो गये हैं । चूंकि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की रेट्स बिल्कुल हाई हैं इसलिए यह डिटरेन्ट पनिशमेन्ट नहीं है । लोग परवाह नहीं करते, इसलिए इसको १५ टाइम्स बढ़ा दिया । लैंड हैल्ड डाइरेक्टली फ्रॉम दी स्टेट गवर्नमेंट उसके लिए तो तहसीलदार को पॉवर्स दी गई है कि लैंड रेवेन्यू की धारा ६० के तहत कार्यवाही करे । तो एक ही ट्रेसपासर के लिए डिफरेन्ट पैनल्टी प्रेसक्राइब हो गई । टिनेन्सी एक्ट में तो कोई ट्रेसपास करे तो धारा १८३ के तहत में पेनल्टी १५ टाइम्स तक होगी और अगर कोई गवर्नमेंट की लैंड है उसके लिए ट्रेसपासिंग होता है तो लैंड रेवेन्यू की धारा ६० के तहत ६ गुना ही पेनल्टी होगी । इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि दोनों की पैनल्टी एक होनी चाहिए । इसलिए मैंने जो अमेन्डमेंट रखा है यह बहुत जरूरी है वर्ना इसके बिना डिस्क्रिमिनेशन है और कॉन्ट्राडिक्शन है दोनों खण्डों में....

श्री अध्यक्ष : 'Mav esctnd to 15 times', यह जरूरी नहीं है कि १५ टाइम्स हो ।

श्री दामोदरलाल व्यास : This is a provision of the Tenancy Act. 15 times is not mandatory. The word 'may' is there. It is in the discretion of the Court whether they may impose a penalty upto three times, four times, one time. For example, in the big Lunkarnasar area, they do not impose more than one time if I remember correctly. So 15 times will not have any effect upon them. There won't be trespass every time.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि....

श्री किशनाराम (रतनगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं भी बोलना चाहता हूँ ।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं जवाब दे चुका हूँ ।

श्री अध्यक्ष : आपकी भी आदत है बोलने की ।

इस प्रस्ताव को पास कर लें फिर आप बोल लें ।

(विराम)

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि लैंड रेवेन्यू (अमेंडमेंट) बिल, १९६१ को विचारार्थ लिया जाये ?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान लैंड रेवेन्यू 'अमेंडमेंट' बिल, १९६१ को पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष : Motion moved.

(विराम)

Shri Kishna Ram.

श्री किशनाराम (रतनगढ़) : अध्यक्ष महोदय, आज हमारे माल मन्त्री ने लैंड रेवेन्यू अमेंडमेंट बिल की धारा ८१ में संशोधन रखा है। इन्होंने फर्माया है कि जिन काश्तकारों ने सरकारी भूमि पर कब्जा कर लिया है उनको हम ट्रेसपासर की तारीफ में लाते हैं। सबसे पहले तो मैं यह कहूँ कि हमारे माननीय माल मन्त्रीजी ने जब से यह डिपार्टमेंट संभाला है तब से यह १६ वां संशोधन आ चुका है। टिनेन्सी में १५ आ गये थे।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री) : जो सतीशचन्द्रजी ने कहा था वह आपने समझ लिया।

श्री किशनाराम : अगर आप से थोड़ा समझूं तो दोष की बात नहीं है। आप तो माल मन्त्रीजी हैं और मैं मेम्बर हूँ, यह बेजा बात नहीं है, अगर मैं कम समझूं। लेकिन कम से कम मैं इतना तो समझता हूँ कि आप किसानों के साथ क्या करने जा रहे हैं ? अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा बता दूं कि जब तक हमारे माननीय माल मन्त्रीजी टिनेन्सी एक्ट में और लैंड रेवेन्यू एक्ट में सेशन में एक-आध संशोधन नहीं कर दें तो मैं कहता हूँ कि उनकी तारीफ में धब्बा लगता है। यह तो हमेशा करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है।

मैं 'अध्यक्ष महोदय' आपके द्वारा माननीय मन्त्रीजी से यह अर्ज कर दूं कि आपने जितने भी अमेंडमेंटस यहां सदन में रखे हैं उनसे किसानों के दिल पर क्या बीती है, कभी सोचा है ? कभी नहीं सोचा। आपको तो कानून बनाने में इन्टरेस्ट है और किसानों के ऊपर क्या असर पड़ता है यह तो किसान ही समझ सकते हैं। मैं इसके बारे में थोड़ा अर्ज कर दूं कि आपने टिनेन्सी एक्ट में इस प्रकार का प्रोविज़ो रख दिया कि अगर ट्रेसपास होता है तो उसके लिए कार्यवाही करें और इसी प्रकार से लैंड रेवेन्यू के तहत भी कार्यवाही हो सकती है। इसलिए दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है, इसलिए हम धारा ८१ में संशोधन करने जा रहे हैं। लेकिन मैं आप से निवेदन करूं, अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्रीजी को आपके द्वारा कि बीकानेर डिविज़न में, दूसरे डिविज़न्स की बात तो नहीं कह सकता लेकिन बीकानेर डिविज़न के अन्दर जितने भी काश्तकार हैं, मैं समझता हूँ कि उनमें एक भी ट्रेसपासर की तारीफ में नहीं आ सकता। जितने भी काश्तकार हैंजो मौजूदा टाइम के हैं या उनके बुजुर्गों ने, या उनके भाइयों ने,याउनके पिता ने या चाचाओं ने जितना भी कब्जा उस

(श्री किशनाराम)

भूमि पर किया है उनको माननीय मंत्री महोदय ट्रेसपासर की तारीफ में लाना चाहते हैं। लेकिन दरअसल में वे हैं नहीं। वे हमेशा से काबिज़दार रहे हैं और हमेशा से काश्त की है। लेकिन कभी कभी आपके बनाये हुए कानून के अन्दर हो सकता है कि आपके डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स जिनमें पटवारी भी शामिल हैं और ऊपर के ऑफिसर हैं उन्होंने रेकॉर्ड के अन्दर जान बूझकर या लापरवाही से या गलती से दूसरा रिकार्ड कर सकते हैं, उसी रेकार्ड के आधार पर माननीय मन्त्रीजी उनको ट्रेसपासर की तारीफ में लाना चाहते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं है। जितने भी किसान हैं राजस्थान के वे हमेशा से काश्त पर जिन्दा रहे हैं। उनके बाप दादे, भाइयों और चाचाओं ने हमेशा से काश्त की है। मैं नहीं समझता कि वे ट्रेसपासर की तारीफ में कहां से कैसे आते हैं ? मैं कहता हूँ कि ट्रेसपासर शब्द तो एक्ट में लाना ही नहीं चाहिए। कोई किसान ऐसा हो कि दूकानदार हो, कोई किसान ऐसा हो कि ऑफिसर हो जिसको कि आप ट्रेसपासर की तारीफ में लाना चाहते हैं; हमेशा से काश्त उनका पुश्तैनी धन्धा है और काश्त करते आये हैं, उनके लिए हमारे माल मन्त्री रोज २ एमेंडमेंट टिनेन्सी एक्ट में लाना चाहते हैं, लैण्ड रेवेन्यू एक्ट में एमेंडमेंट ला ला कर ट्रेसपासर क्यों बनाना चाहते हैं, इसका कुछ समझ में नहीं आया। चूरू जिले में, बल्कि गंगानगर जिले में और बीकानेर जिले में कोई भी किसान ऐसा नहीं है जिसको आप कहें कि आइन्दा आने वाले टाइम में ट्रेसपासर कहलायेगा और अब भी हैं नहीं, बल्कि कानून बना कर किसानों के सिर पर थोपने की माननीय माल मन्त्रीजी की आदत बन गई है। राजस्थान के तमाम किसानों को मालूम है कि माननीय माल मन्त्रीजी आये दिन कानून बनाते हैं। तो वे चाहते क्या हैं, यह समझ में नहीं आता है। आपके द्वारा कहना चाहता हूँ माननीय माल मन्त्रीजी को कि कोई भी काश्तकार कहीं नहीं है जो कि ट्रेसपासर की तारीफ में आता है। फिर भी यह अगर आवश्यक हो गया तो कम से कम १५ गुना जो आपने रखा है प्रावधान, उसको घटा कर थोड़ा बहुत कर दिया जाय। क्यों ? इसलिए कर दिया जाय, इसके लिए मेरा सजेशन है कि आपने लाखों के करीब रुपयों की तकावी दी है वह इसलिए कि 'ग्रो मोर फूड' जो है वह ज्यादा होना चाहिए और किसान का यह हक जो जाता है कि जहां बंजर जमीन पड़ी है उसको फाड़ दे।

एक तरफ तो आप कहते हैं कि बंजर जमीन जो बीकानेर स्टेट के पैमाइश के टाइम जो मकबूजा ठिकाने के अलावा जो जमीन रिफाये आम कहलाती थी वह जमीन किसान जोते और अनाज ज्यादा पैदा करे, ताकि जयपुर के मार्केट में आये, जोधपुर में जाय, दिल्ली में नेताओं की तरफ वह जाय। दूसरी तरफ आप ऐसे कानून बनाते हैं और किसानों को तंग करते हैं। तो दोनों में से एक पर कायम रहें कि या तो अनाज ज्यादा पैदा करें और किसी किसान को ट्रेसपासर नहीं बनायें और आये दिन किसानों के खेती के काम में रुकावट पैदा करेंगे, कानून बना कर रुकावटें डालते रहेंगे तो कोई किसान जमीन नहीं जोतेगा। वह उतना ही अनाज पैदा करेगा जितना कि आप खायेगा, तो

(श्री किशनाराम)

आपके लिए मुश्किल हो जायेगी। यह मन्त्री पद हमेशा नहीं रहने का है। न मेरे पास मेम्बरशिप रहेगी, न आपके पास मन्त्री पद रहेगा। मैं समझता हूँ कि किसान के हित में होना चाहिए। जो सरकार बनती है वह हमेशा अपने भाइयों के हित के लिए बनती है। किसी के बाप का बदला लेने के लिए नहीं बनती है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये माननीय मन्त्रीजी से यह पूछूं कि आज राजस्थान में किसानों के दिमाग में यह चीज़ बन चुकी है कि सरकार हमारे हित में नहीं है, क्योंकि आये दिन ऐसे ऐसे कानून बनाती है, जो कानून यहां सदन में पास होते हैं और मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं। जब जाते हैं तब जाते हैं लेकिन जाने से पहले ही फैसला हो जाता है। उसमें मारा मारा फिरना पड़ता है कभी किसी अदालत में, कभी किसी अदालत में। यहां आये दिन कानून बनते हैं। मैं कहता हूँ कि इतने कानून आज दिन बना दिये हैं कि एक साल और आगे है और आज से कानून माननीय माल मन्त्रीजी बनाना बन्द कर दें एक साल के लिए तो किसानों के जी में चैन ला सकते हैं। बहुत कानून पास किये हैं, एमेंडमेंट लाये हैं, कोई टिनेन्सी एक्ट में, कोई लैंड रेवेन्यू एक्ट में, मन्त्रीजी रोजाना बनाना बन्द कर दें कि यह जो एमेंडमेंट रखा है इसको न रख कर हमारे सदन में यह विश्वास दिला दें तो मैं बहुत तारीफ करूंगा और राजस्थान के जो किसान हैं वे बहुत तारीफ करेंगे। (एक माननीय सदस्य के हंसने पर) यह हंसने की बात नहीं है। किसानों का दिल जानता है कि क्या क्या कानून बनाये गये हैं। मुझे विश्वास है कि आप नहीं मानेंगे। आपके रेकॉर्ड में जमीन आ गई। किसान ट्रेसपासर नहीं है। लेकिन आपके कानून में ट्रेसपासर बन गया। नहीं बनता है तो आपको भी चैन नहीं।

अब इस बिल के अन्दर मैं आपके द्वारा, अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित करूंगा मेरी तरफ कि थोड़ा सा इसको घटा कर पांच गुना ज्यादा से ज्यादा कर दे तो अच्छा हो। इससे अगर ज्यादा करते हैं तो आप करेंगे ही। हम भोगेंगे, क्या बड़ी बात है?

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मेरे खयाल से माननीय सदस्य की कुछ बातें ऐसी हैं जो कि जिस तरह से वे चाहते हैं कि ट्रेसपासर नाम इस कानून में नहीं होना चाहिए और फिर........

श्री हरिप्रसाद यादव (वल्लभनगर-सु) : अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा सा स्पष्टीकरण कर दूं, माननीय मन्त्रीजी से........

श्री अध्यक्ष : एक ही भाषण बहुत है।

श्री दामोदरलाल व्यास : और दूसरी बात बिल में रखी है उसको घटा कर पांच गुना चार गुना कर दिया जाय। तो मैं पहले अर्ज कर दूं कि नई बात नहीं की गई है। वह ऑलरेडी टिनेन्सी एक्ट में प्रोवाइड कर दिया है और जिस वक्त लैण्ड रेवेन्यू में प्रोविजन करना चाहिए था, क्योंकि 'trespass' is defined in the Tenancy Act, ट्रेसपास को किस तरह से डील करें, वह प्रोसीजर में लिखा है। यह नई बात नहीं है। ट्रेसपास के प्रोसीजर के अनुसार तारीख का [illegible] देकर [illegible] ...दार नोटिस ...[illegible] और करता है। केवल वहां

Page No.49

(श्री दामोदरलाल व्यास)

पर पेनल्टी होनी चाहिए उसके लिए जो कि ट्रेसपास के लिए दोषी है । इसका एमेंडमेंट करना बहुत जरूरी है, उसके बिना काम नहीं चल सकता है । इसलिए मेरे खयाल से समय समय पर किसानों के लिए माननीय सदस्य ने बतलाया है और जितने लैण्ड लेजिस्लेशन हुए हैं उनको खास तौर से परेशानी हुई है, उसके लिए मैं समझता हूँ कि मुझे जवाब देने की आवश्यकता नहीं है । इतना ही मैं अर्ज करूंगा कि ट्रेसपास का नहीं रहे तो क्या सब जमीन के ऊपर किसान चाहे जहां कब्जा कर लें, चाहे जहां पर नाजायज़ मदाखलत करें, उनके साथ कुछ नहीं हो ? मेरे ख्याल से यह कानून का जमाना है, इसके अन्दर ऐसी बात नहीं हो सकती है और जिस बात के लिए वे सोचते हैं वह जमाना अभी आया नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (एमेंडमेंट) बिल, १९६१ को पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया ।

राजस्थान साहूकार विधेयक, १९६१

(प्रवर समिति को)

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान साहूकार विधेयक, १९६१ को विचारार्थ लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

(विराम)

श्री दयाकृष्ण विजय ।

(अनुपस्थित)

डॉ० चन्द्रकला ।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजने के लिए अगर स्वीकार कर लें तो....

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां, मैं स्वीकार करता हूँ ।

श्री अध्यक्ष : आप प्रस्ताव प्रस्तुत कर दें ।

श्री दामोदरलाल व्यास : आप नाम दे दें । प्रस्ताव को मैं मन्जूर करता हूँ ।

डॉ० चन्द्रकला : बिना प्रस्ताव रखे मन्जूर क्या करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव रखें तथा बोलें भी सही ।

डॉ० चन्द्रकला : माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री दामोदरलाल व्यास : तो फिर मैं इसको मन्जूर नहीं करूंगा ।

डॉ० चन्द्रकला : प्रस्ताव बिना रखे मन्जूर क्या करेंगे आप ?

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर-पूर्व) : प्रस्ताव तो रखा नहीं, चर्चा किस पर कर रही हैं।

डॉ० चन्द्रकला : मोशन मूव हुआ है। प्रस्ताव रखे बिना कैसे मन्जूर करेंगे ?

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : आप प्रस्ताव रखें और चर्चा भी करें।

डॉ० चन्द्रकला : माननीय अध्यक्ष, राजस्थान साहूकार विधेयक। १९६१ सदन में विचारार्थ प्रस्तुत हुआ है, इसके सम्बन्ध में मेरा संशोधन प्रस्ताव इस प्रकार का है कि विधेयक को एक प्रवर समिति को सौंप दिया जाय, जो अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह में प्रस्तुत करे और जिसके सदस्यों की नामावली बाद में प्रस्तुत की जायेगी।

माननीय अध्यक्ष, जैसा कि इस विधेयक के उद्देश्य और कारणों के विवरण में बताया गया है कि इस विधेयक के द्वारा साहूकारों पर नियन्त्रण की व्यवस्था की गई है। वास्तव में हमारे किसानों के या ग्रामीण जनता के जीवन में घुन यह साहूकार हैं और हम देखते हैं कि इनका प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। हम देखते हैं कि दुनिया दिनों दिन आगे बढ़ती जा रही है। हमारी योजनाएं उन्नति की ओर जा रही हैं, लेकिन हमारे किसानों के जीवन में आज भी वही शोषण है, वही अभाव है और उनका ठीक उसी तरह का दीन-हीन जीवन है और इसका खास कारण वहां की साहूकारी प्रथा है। आश्चर्य इस बात का है कि हमारी सरकार को जिस ओर बहुत पहले ध्यान देना चाहिये था उस ओर सरकार ने अब ध्यान दिया है। लेकिन देर आये दुरूस्त आये। यदि हम आज भी किसानों के कष्ट को महसूस करते हैं और उसे दूर करने की ओर अग्रसर होते हैं तो यह अच्छा कदम है। लेकिन यहां जिस तरह से उद्देश्य में और कारणों में बताया गया है उससे साहूकार बहुत ऊंची दर से ब्याज लेते हैं, ऋण लेने वालों को सताते हैं और उनको धोखा भी देते हैं इसलिये साहूकारी पेशा करने वालों को रजिस्टर किया जायेगा, उनको लाइसेन्स दिया जायेगा। इस तरह से उन पर नियन्त्रण किया जायेगा। जहां तक इस बिल के उद्देश्य और कारणों को देखते हैं वहां तक इसका कोई विरोध नहीं हो सकता, सभी इसका समर्थन ही करेंगे। लेकिन जब विधेयक को अच्छी तरह से देखते हैं तो लगता है कि कोई कमी न रह जाय। जब मैंने किसानों की दृष्टि से इसे देखा तो इसमें केवल दो प्रावधान ऐसे हैं जिनसे किसानों को राहत मिलेगी। इसके दो खण्डों से किसानों को राहत मिलेगी। जो महाजन किसानों को सतायेगा वह दोषी होगा। लेकिन जो परिभाषा सताने की गई की है उसमें यह साफ नहीं है कि कहां सताया हुआ माना जायेगा, कहां नहीं माना जायेगा इसलिये यह स्पष्ट किया जाना चाहिये कि जो महाजन किसी तरह से किसानों को सताना चाहेगा वह सता नहीं पावे।

(१.०१ म० प०)

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

इसी तरह से कुड़की के बारे में यह है कि जायादाद का १।३ भाग ही कुड़क कर सकते हैं और उसके पास जो २।३ भाग रहेगा उससे वह अपना पालन-पोषण कर सकता

(डॉ० चन्द्रकला)

है । यहां तक तो इन धाराओं से किसानों को या ऋण लेने वालों को राहत मिलती है । लेकिन इसके उपरान्त जितने प्रावधान हैं वे साहूकार के पक्ष में हैं । उनका रजिस्टर रखा जायेगा उसमें उनका नाम होगा, उनको लाइसेन्स दिया जायेगा । एक जगह काम करना चाहता है तो अमुक शुल्क देकर लाइसेन्स मिलेगा और दूसरी जगह और करना चाहता है तो २) रु० और देगा । दूसरी जगह भी किसानों के साथ लेन-देन का रजिस्टर रहेगा । ये सारी बातें साहूकार की सुविधा के लिये है ।

माननीय उपाध्यक्ष, मैं सरकार को बताना चाहती हूँ कि साहूकार आज भी कागज-पत्र रखता है और इस तरह से रखता है कि पूरी तरह से किसानों का शोषण करने में उसको मदद मिले और ये कागज-पत्र कोर्ट में दस्तावेज़ के रूप में काम आते हैं । लेकिन इनसे किसानों को राहत कम मिलती है । आज किसान पढ़ा लिखा नहीं है । वह बीसी का हिसाब तो जानता है, एक बीसी, दो बीसी या उसके ऊपर एक, दो या चार तक की गिनती जानता है लेकिन ऊपर की गिनती नही जानता । इससे उसको किसी तरह की मदद नहीं मिलती । लेकिन उसका फायदा साहूकार लोग उठाते हैं । वे ८०) रुपये देते हैं और १००) रुपये लिखा लेते हैं । किसान ८०) रुपये लेकर घर जाता है और १००) रु० का कर्जदार बनता है और इसके अलावा वे जो ब्याज लेते हैं उसकी दर पर नियंत्रण किस तरह रखेंगे, यह इस बिल में नहीं है । उनको लाइसेन्स देंगे और रजिस्टर रखेंगे, लेकिन ब्याज की दर किस तरह रहेगी, यह नहीं दिया है । किसान दोनों तरह से उधारी करते हैं । वे पैसा भी लेते हैं नकद रूप में और फसल के लिए व खाने के लिए अनाज भी लेते हैं, बीच में भी लेते हैं । शादी-विवाह पर दूसरी चीजें भी लेते हैं और वापिस सवाया, ड्योढ़ा देना पड़ता है । इसके लिए इस बिल में प्रावधान स्पष्ट होना चाहिए ।

इसके साथ ही इसमें साहूकार के लिए, ऋण लेने वाले व्यक्ति के लिए या उसके परिवार के लिए और कम्पनियों के लिए एक सा प्रावधान किया है और एक से नियम लागू किये है । जहां तक विधेयक का सवाल है, यह अच्छा है, सुन्दर है, किसानों को राहत देने वाला है, लेकिन साथ ही यह देखना पड़ेगा कि किसानों को राहत वास्तव में मिलती है या नहीं । वे मनमाने ढंग से ब्याज लेते हैं और किसान उऋण नहीं हो पाते हैं, कर्जदार हो रह जाते हैं । उन पर नियन्त्रण किस तरह से करेंगे ? रजिस्ट्रार या अधिकारी कर लेंगे या सरकार गजट नोटिफिकेशन निकाल कर ऐसा करेगी कि उनसे ब्याज कम लिया जाय और शोषण कम हो, यह नहीं दिखाया गया है । इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि यह विधेयक जो बहुत सारी जनता से सम्बन्धित है और जो जनता त्राहि-त्राहि कर रही है उसको राहत दिलाने का सवाल है । इसको हमें इस रूप में पारित करना पड़ेगा जिससे उद्देश्य पूरा हो । केवल विधेयक बनना ही सदन की मंशा नहीं है । और प्रान्तों में ऐसा हुआ है, इसलिए यहां भी पारित कर दें, इतना ही मकसद नहीं है, बल्कि जो ऋण से दबी हुई जनता रहती है जिनके लिए साहूकार अभिशाप हैं वे

(डॉ० चन्द्रकला)

किसी तरह से सेफ अनुभव नहीं करते हैं, गाढ़ी कमाई से नाज का जो उत्पादन होता है उसको महाजन के घर में भरना पड़ता है, उनको राहत देने के लिए यह बहुत बड़ा विधेयक ला रहे हैं । इस पर सोचने की आवश्यकता है । इस दृष्टि से मैंने प्रस्ताव रखा है कि इसको जल्दी में पारित न करके सिलेक्ट कमेटी को देंगे तो वहां पर अच्छी तरह से विचार करके उस तरह से पारित करेंगे जिससे किसानों को वास्तव में राहत मिल सके ।

श्री उपाध्यक्ष : रावराजा श्री सरदार सिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री अनूपसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री सोहनलाल भटनागर ।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर): माननीय उपाध्यक्ष, मैं वैसे तो इस बिल का स्वागत करता हूँ क्योंकि हमने जो समाजवादी समाज बनाने की बात कही है उसकी ओर यह बहुत बड़ा कदम है....

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : यह समाजवाद की ओर कदम है ?

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : आप क्यों घबरा रहे हैं ?

श्री सोहनलाल भटनागर : आज हमने किसानों को कई तरह के शोषण से बचाया है, लेकिन एक बहुत बुरी प्रचलित प्रथा है वह है ब्याज की आदत । हमने एग्रीकल्चरिस्ट इन्डेटेडनिस बिल पारित किया लेकिन दूसरों पर वह प्रभावित नहीं होता, इसलिये इस दृष्टिकोण से बिल लाये हैं जो स्वागत योग्य है । फिर भी कुछ ऐसी बातें रह गई हैं जिनके कारण इसे सिलेक्ट कमेटी में भेजना आवश्यक है । एक तो यह है कि 'एडवान्स' की डेफिनिशन दी है इसमें क्लॉज़ ३ में एक लैंड लोर्ड टिनेन्ट को ५०) रुपये तक कर्जा देगा वह एडवान्स की डेफिनिशन में नहीं आयेगा, यह ठीक नहीं है । आज हम देखते हैं कि जितने शोषण करते हैं, टिनेन्ट को कर्जा देते हैं वे ब्याज से शोषण करते हैं । इसलिये ५०) रुपयों का एग्जेम्पशन रखा है वह नहीं रहना चाहिये ।

दूसरा मेन प्रोविज़न किया है अपोइन्टमें ऑफ रजिस्ट्रार जनरल, रजिस्ट्रार्स और असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार्स । हम ऑफिसर्स के अधिकार दिन दिन बढ़ा रहे हैं । कई सदस्यों ने भाषण दिये हैं पार्किन्सन्स लॉ आदि के बारे में कहा है । मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन उनके फंक्शन्स को देखें तो मेरे ख्याल से तीन केटेगरीज़ के ऑफिसर्स को रखने की आवश्यकता नहीं है । यहां केवल दो केटेगरी के ऑफिसर्स से ही काम चल सकता है क्योंकि असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार को कोई अधिकार नहीं दिया है, लाइसेन्स के लिये जो एप्लीकेशन्स आती हैं उनको फॉर्वर्ड करने का अधिकार है । रजिस्ट्रार सेंक्शन करेंगे और रजिस्ट्रार जनरल अपील सुनेंगे । आज हमने डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रलाइज़ेशन किया है,

Page No.53

(श्री सोहनलाल भटनागर)

कमिश्नरों के पद हटा रहे हैं, इस दृष्टिकोण से भी इतने पद रखना ठीक नहीं है, दो ही रहने चाहिये।

तीसरी बात है, उपाध्यक्ष महोदय, वह यह है कि हमने जो लाइसेन्स की फीस मुकर्रर की है उसकी धारा इस बिल में मौजूद है। लेकिन इसके साथ ही जो क्लॉज़ ६ (७) है उसके अन्तर्गत आती है तो रिन्यूवल होगा उसमें यह नियम लागू होगा। मेरे ख्याल से उनके साथ यह हार्डशिप होगी क्योंकि हम देखते हैं कि जब शुरुआत में लाइसेन्स लिया जाता है उसकी ज्यादा फीस होनी चाहिये, लेकिन रिन्युअल में आर्म्स एक्ट वगैरह में होता है उसी तरह से होना चाहिये। इस दृष्टिकोण से सिलेक्ट कमेटी इस चीज़ को देखेगी।

तीसरे, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ ८ के अन्दर ग्राउन्ड्स ऑफ रिजेक्शन दिये हुए हैं। ग्राउन्ड्स ऑफ रिजेक्शन में सबसे पहली बात है, जो सब क्लॉज़ (१) है उसमें लिखा हुआ है :

"(a) that the applicant, or any person responsible or proposed to be responsible for the management of his business as a money-lender, is disqualified from holding a licence," तो डिस्क्वालिफिकेशन के लिए आगे प्रोविजन नहीं है। डिस्क्वालिफिकेशन क्या क्या होंगी और उनको रिफ्यूज़ किया जायेगा, इस दृष्टिकोण से भी यह स्पष्ट नहीं है।

एक बात, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, और है कि धारा २० के अन्तर्गत हमने मनी लेन्डर के ऊपर यह कर्त्तव्य रखा है कि वह कुछ स्टेटमेंट दे, असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार को भेजे और उस स्टेटमेंट की नकल वह डेटर को भी दे। इसके साथ ही क्लॉज़ २१ के अन्दर यह जिम्मेदारी डाली है डेटर पर, उसके लिए वह फीस दे। फीस के दो रुपये रखे हैं, वे बहुत पड़ेंगे जब कि हम उसको रिलीफ देना चाहते हैं, जो डेटर है उस पर भार नहीं हो। इसलिए स्टेटमेंट दिया जाय, उसके लिए फीस का न रखना बहुत जरूरी है।

एक बात और है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो कि खास है, वह धारा २७ है। उसमें लिमिटेशन ऑफ इन्ट्रेस्ट है। उसमें निश्चित तौर पर यह नहीं बताया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, यह अच्छा होता कि जिस तरह एग्रीकल्चर इनडेटेडनैस एक्ट के अन्दर हमने लिमिटेशन ऑफ इन्ट्रेस्ट रखा है, कितना क्वान्टम होना चाहिए, यह बता दिया है। तो मेरे ख्याल से जब मेन पर्पज यह है कि इन्ट्रेस्ट कम किया जाय और उन पर ज्यादा भार नहीं हो तो यह डेलीगेशन ऑफ पॉवर सरकार के ऊपर रखनी ठीक नहीं है। इन्ट्रेस्ट की दर है वह इस बिल में बता दें, तो ठीक रहेगा।

एक बात, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, और रखी गई है और वह यह है कि क्लॉज़ ४० के अन्दर, मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि काश्तकार की जो पर्सनल कल्टीवेशन है, उस पर कर्ज की अवस्था में उसको अरेस्ट या इम्प्रिजनमेंट नहीं करने के लिए व्यवस्था की है। यह खुशी की बात है कि यह सेक्शन रखा है इसका १५ हजार तक वालों को लाभ मिलेगा। जो पर्सनल कल्टीवेशन की डेफिनिशन दी गई है, वह जो टिनेन्सी एक्ट में

Page No.54

(श्री सोहनलाल भटनागर)

दी गई है वह इसके साथ लागू की गई है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पर्सनल कल्टीवेशन की डेफिनिशन टीनेन्सी एक्ट में है वह बड़ी है। उसके अन्दर जो सर्वेन्ट से काश्त कराये, दूसरों से काश्त कराये उसको भी पर्सनल कल्टीवेशन माना है। इस दृष्टिकोण से जो बड़े काश्तकार हैं, भूमिदार हैं, जो खुद मेहनत नहीं करते हैं उनको भी माना है। हमारा खास उद्देश्य है कि जो गरीब हैं, जो काश्त करते हैं उनको लाभ दिया जाय। जिन दूसरे व्यक्तियों ने काफी कर्जा कर रखा है, जिनके पास दूसरे जरिये हैं आमदनी के उनको लाभ नहीं मिलना चाहिए।

इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैंने खास खास पोइन्ट इस सदन के सामने रखे हैं। वे इसलिए रखे हैं कि वे सिलेक्ट कमेटी के सामने ठीक तरह आ सकेंगे और सिलेक्ट कमेटी ठीक तरह से देख सकेगी। इसलिए माननीय मंत्रीजी से निवेदन है कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी को भेजने के प्रस्ताव को वे स्वीकार करें।

श्री उपाध्यक्ष : डॉ० बहादुरसिंह।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री) : मेरा ख्याल है कि मैं स्वीकार कर लूं तो सदन का टाइम बच जायेगा और इस पर सिलेक्ट कमेटी में विचार हो जायेगा ! Provided the Hon'ble members have no objection, I am prepared to refer it to a Select Committee, whose personnel may be...

मेजर श्री फतहसिंह (भीम) : I have to make some suggestions.

श्री दामोदरलाल व्यास : Suggestion you can make in the Select Committee.

मेजर श्री फतहसिंह : But I may not be in the Select Committee.

श्री उपाध्यक्ष : But let me refer this point to the Hon'ble members, who have moved the amendment. I think, Dr. Bahadur Singh would not like to speak.

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : थोड़ा सा कह दूं।

श्री उपाध्यक्ष: हां, कह दें।

श्री दामोदरलाल व्यास : Than let there be discussion, why not ? It is meant for passing.

डॉ० बहादुरसिंह : अगर आप मंजूर करते हैं....

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : वे मंजूर कर रहे हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : अगर सजेशन यहां आ जाते हैं तो इसे यहां मंजूर कर सकते हैं, फिर सिलेक्ट कमेटी के सामने जाने की जरूर नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : When the Hon-ble' Minister-in-Charge is prepared to accept the amendment there should not be any hitch.

डॉ० बहादुरसिंह : मैं समझता हूँ, जब आप स्वीकार कर रहे हैं, तो कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : Yes. Major Fateh Singh.

मेजर श्री फतहसिंह (भीम) : श्रीमान्, हमको राजनैतिक स्वतंत्रता मिली, उसके बाद में हमारे सामने आर्थिक दासता से छुटकारा पाने का प्रश्न उठा और इस ओर हमारे राजस्थान ने काफी कदम बढ़ाये। सबसे पहला कदम था वह जागीरदारी प्रथा को खत्म करने का था। उसके बाद जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण समस्या से हमारे किसानों और गरीबों को राहत पहुंचानेवाली थी वह साहूकारों के ऊपर, ब्याज लेकर अपना धन्धा चलाने वालों के ऊपर प्रतिबन्ध लगाने की थी। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि अब तक हमारी सरकार ने उस ओर कोई ठोस कदम नहीं बढ़ाया, जैसा कि माननीया डॉक्टर चन्द्रकला ने कहा। जिस तरह से यह विधेयक हमारे सामने आया है इसकी भावनाओं की तो हम कद्र करते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारी खामियां हैं जिससे मालूम पड़ता है कि यह सरकार वेस्टेड इन्ट्रेस्ट से कुछ प्रभावित है और उसके प्रभावित होने की सड़ाध, उसकी बदबू इसमें आती है। उस ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मुझे खुशी है कि माननीय राजस्व मन्त्रीजी जो इस विधेयक का संचालन कर रहे हैं वे इस विधेयक को प्रवर समिति के समक्ष भेजने के लिए तैयार हैं। इसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि जिस वक्त प्रवर समिति में विधेयक पर पुनः विचार करें उस वक्त इन मुद्दों की ओर ध्यान दें।

अभी माननीय सदस्य श्री भटनागर ने कहा था और उन्होंने एक आपत्ति उठाई थी, क्लॉज़ ६ के सम्बन्ध में कि जो साहूकार ब्याज से धन्धा करने के लिए लाइसेन्स लेना चाहता है उसकी जो फीस मुकर्रर की है, वह पांच रुपये पहली एप्लीकेशन के लिए और दूसरे लाइसेन्स के लिए दो-दो रुपये मुकर्रर की है। आपने कहा कि यह अधिक है। मैं तो कहूँगा सरकार एक एक पैसे के लिए तरस रही है। हमने देखा है कि हमारी पंचायत समितियों के जरिये, ग्राम पंचायतों के जरिये सरकार एक एक पैसे के पीछे दौड़ रही है और अधिक से अधिक धन उपार्जन कर रही है। वह इन साहूकारों से, जो सम्पत्तिशाली हैं, पूंजीपति हैं। उनसे अधिक फीस न लेकर कम फीस ले रही है, इसलिए मेरा निवेदन है कि जब प्रवर समिति इस पर विचार करे तो मैं कहूँगा कि पांच रुपये के बजाय २५) रुपये फीस ली जाय पहली एप्लीकेशन के लिए और दूसरे लाइसेन्स के लिए पांच पांच रुपये लिये जायं, क्योंकि आखिर जो धन्धा करता है, जो ब्याज पर रुपये देता है उसके पास पैसा है, वह वेस्टेड इन्ट्रेस्ट वाला है उससे राज्य कोष में पैसा आना चाहिए। लाइसेन्स के जरिये पैसा लेने का साधन है। हां, मैं मानता हूँ कि जो कुछ हमारे सामने विधेयक आया है यह केवल बम्बई मनी लैण्डर एक्ट की कार्बन कॉपी है। लेकिन राजस्थान की वस्तु स्थिति देख कर यह देखना होगा कि हम अधिक फीस ले सकते हैं या नहीं। मैं समझता हूँ राजस्थान में जो मनी लैण्डर का काम करते हैं वे पैसे वाले हैं,

(मेजर श्री फतहसिंह)

वे अधिक पैसा देने और अधिक फीस देने की क्षमता रखते हैं। उनसे पहली एप्ली-केशन के लिए २५) रुपये और दूसरे लाइ-सेन्स के लिए पांच पांच रुपये लिये जाने चाहिए।

उसके बाद मैं, श्रीमान्, इस सदन का ध्यान क्लॉज़ १३ की ओर आकर्षित करता हूँ। क्लॉज़ १३ है एप्लीकेशन फॉर केन्सले-शन ऑफ लाइसेन्स इस विधेयक में यह प्रावधान बनाया गया है कि किन किन सूरतों में मनी लैण्डर का लाइसेन्स केंसिल किया जा सकता है। इसमें यह कहा गया है कि किसी व्यक्ति के दरख्वास्त देने पर कि उस मनी लैण्डर ने सेक्शन ८ का उल्लंघन किया है और और भी अनियमिततायें की हैं, जालसाजी की है तो उसका लाइसेन्स कैंसल किया जा सकता है, लेकिन श्रीमान्, इसके क्लॉज़ १३ (२) में बताया गया है:

"(2) Alongwith such application the said person shall deposit such amount not exceeding one hundred rupees as the Registrar General may deem fit."

तो जो दरख्वास्त देने वाला है कि इसका लाइसेंस केन्सिल होना चाहिये उस दरख्वास्त देने वाले से यह अपेक्षा की जाय कि पहले १००) रु० जमा कराये, यह बहुत बड़ी शर्त है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इस शर्त को नहीं रखना चाहिये। वह गरीब आदमी है, रजिस्ट्रार जनरल के पास वह सबूत रखना चाहता है कि साहूकार का लाइसेन्स जब्त होना चाहिये। उसके पास १००) रु० नहीं होंगे तो वह दरख्वास्त नहीं दे सकेगा। इसलिये प्रवर समिति और राजस्व मन्त्रीजी इस पर विचार करेंगे कि १००) रु० की जो धन राशि रखी गई है वह उचित नहीं है। अगर कुछ रखना उचित समझते हैं तो इसको घटा कर कम करना चाहिये।

इसके बाद क्लॉज़ २० में बताया गया है:

"Duty of money-lenders to keep accounts and furnish copies."

मनी लैंडर्स की यह ड्यूटी बताई है कि कर्जदार को कर्जा देने के बाद अपने हिसाब–किताब की नकल भेजे। उसमें वह बताये कि कर्जा कब किस तारीख को दिया और कब वह कर्ज पकेगा। उसकी सिक्योरिटी है कि नहीं, किन शर्तों पर कर्ज दिया पर इसके सब क्लॉज़ (२) के क्लॉज़ 'ए' के पार्ट (i) में कहा है कि तीन महीने के भीतर भीतर वह इस प्रकार की कॉपीज़ कर्जदार को और असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार को भेजेगा। मैं सदन को बताना चाहता हूँ कि तीन महीने की अवधि इस प्रकार का हिसाब भेजने की दी है वह बहुत ज्यादा है। यदि बोम्बे मनी लैंडर्स एक्ट की नकल की है तो वहां ३० दिन की अवधि रखी है। within thirty days वहां हिसाब भेजा जाता है तो यहां पर भी ३० दिन की मयाद रखनी चाहिये, नहीं तो हम उस साहूकार को बहुत लम्बी छूट दे रहे हैं।

इसके अलावा मैं एक सुझाव देता हूँ, माननीय राजस्व मन्त्रीजी और प्रवर समिति उस पर ध्यान दें। बॉम्बे मनी लैंडर्स एक्ट की धारा १६ में अच्छा प्रावधान है कि प्रति वर्ष साहूकार कर्जदार को, जितना उसके नाम कर्ज है जितना ब्याज चढ़ा है और कर्ज के सम्बन्ध में जितनी सूचना है कि

Page No.57

(मेजर श्री फतहसिंह)

सिक्योरिटी कोई है कि नहीं, कर्ज कब पकता है, इस प्रकार की सूचना प्रतिवर्ष देना लाजिमी है, यह प्रावधान हमारे किसान कर्जदारों के लिये बड़ा लाभदायक सिद्ध होगा। इस पर भी प्रवर समिति और राजस्व मंत्रीजी विचार करें।

फिर श्रीमन्, मैं आपकी मार्फत क्लॉज़ २३ की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करता हूं; इसमें लिखा है :

"23. Procedure of court in suits regarding loans.-Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, in any suit to which this Act applies—

(a) a court shall, before deciding the claim on merits, frame and decide the issue whether the money-lenderhas complied with the provisions of section 20,''

सब क्लॉज़ (बी) में बताया है : "(b) if the court finds that the provisions of section 20 have not been complied with by the money-lender, it may, if the plaintiff's claim is established, in whole or in part, disallow the whole or any portion of the interest found due, as may seem reasonable to it in the circumstances of the case and may disallow costs."

यह यहां पर 'May' शब्द का प्रयोग किया है कि अदालत चाहे तो क्लेम को अलाउ या डिस्अलाउ कर सकती है। मैं चाहूंगा कि प्रवर समिति 'May' के बजाय 'shall' शब्द का प्रयोग करके मेन्डेटरी प्रोविज़न कोर्ट के ऊपर लागू करे।

इस विधेयक का सबसे इम्पोर्टेन्ट क्लॉज़ २७ है। क्लॉज़ २७ में बताया है कि कितना ब्याज साहूकार ले सकता है। इस सेक्शन के सब क्लॉज़ (१) में कहा है :

"(1) The State Government may, from time to time, by notification in the official Gazette, fix the maximum rates of simple interest for any class of business of money-lending in respect of secured and unsecured loans.

सब क्लॉज़ (२) कहता है : (2) "No money-lender shall charge or receive from a debtor interest at a rate exceeding the maximum rate fixed by the State Government under sub-section (1)."

क्या ब्याज लिया जाय और क्या नहीं लिया जाय, यह स्टेट गवर्नमेंट पर छोड़ा है। पर मैं समझता हूं कि स्टेट गवर्नमेंट को पूरी छूट देना उचित नहीं होगा। हम चाहते हैं कि प्रवर समिति इस पर विचार करे और इस बिल के अन्दर ही, दुबारा यह बिल विधान सभा में आये तो इस प्रकार का प्रावधान हो कि सिक्योर्ड डेट पर कितना ब्याज और अन्सिक्योर्ड डेट पर कितना ब्याज होना चाहिये। बोम्बे मनी-लैंडर्स एक्ट की कॉपी की है तो उस कानून के सैक्शन २५ में प्रोविज़ो है वह प्रोविज़ो इसमें एड कर दिया जाय, सब क्लॉज़ (१) के बाद में :—

"Provided that maximum rate of

(मेजर श्री फतहसिंह)

interest shall not exceed 6% per annum in case of secured loans and 9% per annum in case of unsecured loans."

इस तरह से सब लोगों को मालूम होगा कि आखिर सरकार कितना ब्याज मुकर्रर करना चाहती है।

सेक्शन ३१, श्रीमान् और इम्पोर्टेन्ट प्रावधान है। वह है : "Reopening of transactions or accounts already taken."

इस क्लॉज़ के मुताबिक अदालत को अधिकार दिया गया है कि जब उसके समक्ष कोई कर्जदार मामला ले जाता है तो वह अदालत पुराना हिसाब भी देख सकती है। जहां तक पुराना हिसाब देखने का प्रावधान है उसका मैं स्वागत करता हूँ, पर इसका प्रोविज़ो है :

"Provided that, in the exercise of these powers, the court shall not-

(i) re-open any adjustment or agreement purporting to close previous dealings and to create new obligations which have been entered into by the parties or any person through whom they claim at a date more than six years from the date of the suit."

तो यह प्रोविज़ो अच्छा नहीं रहेगा। इस प्रोविज़ो को हटा दिया जाय। जब कि हम चाहते हैं कि पुराने हिसाब को अदालत दुबारा वापिस देखे, फिर हम यह कहें कि ६ साल से पहले का हिसाब नहीं देखे, दो साल पहले का, तीन साल पहले का, चार साल पहले का और पांच साल पहले का व छः साल पहले का हिसाब देखे पर छः साल से पहले का न देखे, तो यह उचित नहीं होगा क्योंकि कई मौकों पर साहूकार ने ६ साल पहले, १० साल पहले या १२ साल पहले अनियमितताएं की हैं, बेईमानियां की हैं और गरीबों से, किसानों से उनका शोषण करके अधिक ब्याज लिया है। तो मैं चाहूँगा कि यह प्रोविज़ो नहीं रखा जाय तो अधिक संरक्षण गरीबों को और किसानों को मिलेगा।

श्रीमन्, इस विधेयक का क्लॉज़ ३४ कहता है : "When interest to be paid for entire month."

इस क्लॉज़ में बताया गया है कि अगर कोई कर्जदार किसी महीने की १० तारीख तक पेमेंट कर देता है तो उसको आधे महीने का ब्याज देना पड़ेगा और १० तारीख के बाद में देता है तो सारे महीने का ब्याज देना पड़ेगा। मैं समझता हूँ यह बहुत अनजस्ट क्लॉज़ है, यह जस्टिस और इक्विटी के हिसाब से ठीक नहीं है। मैं समझता हूँ, इस क्लॉज़ को सर्वथा यहां से हटा दिया जाय तो अच्छा होगा।

क्लॉज़ ३६ साहूकार द्वारा कर्जदार को मोलेस्ट करने व सताने के सम्बन्ध में है। उसमें कहा है :

"Whoever molests, or abets the molestation of, a debtor for the recovery of a debt due by him to a creditor shall, on conviction, be puni-

(मेजर श्री फतहसिंह)

shable with imprisonment of either description which may extend to three months or with fine which may extend to five hundred rupees or with both."

यहां पर यह कहना कि "punishable with imprisonment of either description" मैं यह कहूँगा कि 'आइदर डैस्क्रिप्शन' का रखा है, इसके अलावा और रिगरस इम्प्रिज़नमेंट रखा जावे तो अच्छा होगा, ताकि इससे बेईमानी करने वाले, किसानों और गरीबों को सताने वाले, शोषक साहूकार हैं उनको एक तरह की नसीहत मिलेगी और इसमें आगे कह दिया गया है, "which may extend to three months or with fine" 'or' के स्थान पर 'and' होना चाहिये ताकि उनको सजा भी मिले और उसके साथ साथ जुर्माना भी भुगतना पड़े, ताकि लेन देन के मामलों में सुधार हो। जब तक आप उनके साथ सख्ती नहीं करेंगे सुधार नहीं होगा। जब आप देखें कि अब उनका कैरेक्टर अच्छा हो गया है, उन्होंने, जो ब्याज पर रुपया लेते हैं उनको सताना छोड़ दिया है तो उस समय उनके साथ में रियायत बरत सकते हैं। लेकिन जब तक ऐसा नहीं हो तब तक आपको ऐसा करना ही चाहिये। इस मौके पर श्रीमन्, मुझे याद आता है, मैं ब्यावर में रहता हूँ, वहां पर बहुत से पंजाबी हैं, कुछ और लोग हैं। वहां पर ये मनी-लैन्डर्स कर्जदारों से बहुत हाई रेट से ब्याज वसूल करते हैं। जो लोग मिलों में मजदूरी करते हैं, उनके यहां जब १० तारीख होती है तो वहां पर जाकर बैठ जाते हैं। उनके घर पर जाते हैं, उनके घरों के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं और उनकी बेइज्जती करते हैं। उनके लिये यह कहना कि उनको किस तरह की सजा दी जावे, चाहे उनको सिम्पल इम्प्रिज़नमेंट की सजा दी जावे या रिगरस इम्प्रिज़नमेंट या जुर्माना वसूल करें तो ठीक नहीं होगा। इस प्रकार के लोगों को कठोर दंड देना उचित होगा।

एक माननीय सदस्य : इसमें यह दिया हुआ है....

मेजर श्री फतहसिंह : यह आगे आ रहा है, जिसको दिया गया है। क्लॉज़ ३७ में बताया गया है "General provision regarding penalties,-Whoever fails to comply with, or acts in contravention of, any provision of this Act, shall, if no specific penalty has been provided for in this Act, be punishable."

(a) for the first offence with fine which may extend to two hundred rupees." यह क्लॉज़ ठीक है लेकिन यहां २००) रु० के बजाय ५००) रु० वसूल किये जाने चाहिये। इसके बाद 'बी' एन्ड 'सी' क्लॉज़ के बजाय : "for the second or any subsequent offence with rigorous imprisonment for a term which may extend to six months and fine which may extend to Rs. 500/-" इस तरह से हो तो यह deterrent punishment होगी और इन सामाजिक तत्वों से, जिनसे हमारे बहुत सारे गरीबों और किसानों का शोषण होता है राहत मिल सकेगी।

अब, श्रीमान्, हम क्लॉज़ ४० की तरफ आते हैं। इसमें कहा गया है:

(मेजर श्री फतहसिंह)

"Arrest and imprisonment in execution of decree for money against agricultural debtors abolished."

यह तो ठीक है कि किसी भी किसान में अगर कोई कर्जा है तो उसको एरेस्ट नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसमें आपने बढ़ाया है कि अगर १५ हजार से ज्यादा कर्जा हो तो उसको एरेस्ट किया जा सकता है। मैं कहूँगा कि वे भी किसान हैं। इसलिये १५ हजार को हटा दिया जावे। आज-कल १५ हजार की सालाना आमदनी होना कोई बहुत ज्यादा नहीं है।

एक माननीय सदस्य : वह तो कर्जा है।

मेजर श्री फतहसिंह : कर्जा है। I am Sorry. Clause 41. "Attachment of agricultural produce-Notwithstanding any thing contained in the Code of Civil Procedure, 1908 (Central Act V of 1908) not more than one third of the agricultural produce of a judgment debtor shall be liable to attachment in execution of any decree or decrees based on a loan or loans." श्रीमान्, मैं इस क्लॉज़ का विरोध करता हूँ और इस तरह से विरोध करता हूँ कि मान लें कि कोई किसान कर्जदार है उसने केवल १२ मन जौ या गेहूँ पैदा किये और उसकी प्रोड्यूस से १।३ को आपने एटेच कर दिया यानी ४ मन आपने एटेचमेंट किया तो इसमें बड़ी हार्डशिप होगी। इसलिये राजस्व मंत्री इस पर सोचें कि ऐसी बातों को ध्यान में रखते हुए जो छोटे किसान हैं उनको किस तरह से राहत दी जावे, तो वह भी उचित होगा।

बस इतना ही कह कर मैं जो यह बिल आया है इसका स्वागत करता हूँ और माननीय राजस्व मंत्री को धन्यवाद देता हूँ। लेकिन मैं यह चाहूँगा कि १४ तारीख को विधान सभा का सेशन खत्म हो रहा है इसलिये यह सिलेक्ट कमेटी में जावे और सिलेक्ट कमेटी कल ही बैठे और १४ तारीख को इस पर विचार हो जावे। जितना जल्दी यह विधेयक पास होता है उतना ही जल्दी शोषितों को लाभ होगा। इसको अधिक लम्बा नहीं खींचना चाहिये, ताकि गरीब लोगों को लाभ हो। धन्यवाद।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव सिलेक्ट कमेटी में भेजने के लिये प्रस्तावित किया है उसको, जैसा मैंने पहले ही निवेदन किया था कि सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया जावे ताकि जो हमारी ओर से कमियें रह गई हैं वे कमियें दूर हो जावें। लेकिन कुछ मूल विषयों को लेकर बातें कही हैं उनके लिये मैं कुछ कहना आवश्यक समझूंगा।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि सरकार ने इससे पहले किसानों को राहत पहुंचाने के लिये कोई कदम नहीं उठाये हैं। मैं समझता हूँ कि यह उनका कहना सही नहीं है। पिछले जो भी कानून इस सदन में बनाये गये हैं उनको देखें तो उनको मालूम होगा कि जहां तक मनी लेन्डिंग या सूद का प्रश्न है, सरकार ने बराबर कानून बनाये हैं और कदम उठाये हैं। इससे पहले हमने रिडेम्पशन ऑफ रूरल इनडेटनेस एक्ट पास किया है। पुराने कर्जे किसी तरह से किसानों के हों तो इसके द्वारा

(श्री दामोदरलाल व्यास)

उनको लाभ मिल सकता है। इसमें सूद की दरें secured and unsecured debts पर एन्फोर्स कर दिया है और सैकड़ों-हजारों मुकदमे सिविल कोर्ट में चल रहे हैं और किसानों को राहत मिल रही है जिनकी एप्ली-केशन्स दी हुई हैं।

अब इन्ट्रेस्ट की बात है। जैसा भीम से या ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि सूद के मामलों में किसानों को कोई राहत नहीं मिली। मगर Secured and un-secured debts के लिये हमने यह किया है कि पिछले वर्षों में किसी वक्त में ज्यादा सूद लिया गया हो तो कर्जदार को अधिकार होगा कि वह सिविल कोर्ट में उसको रीओ-पन करावे और कर्जदार पर इस बात की पाबन्दी होगी, he is bound to produce all the documents in a court. और सिविल कोर्ट इसको रि-एग्ज़ामिन करके पिछले साल में जो ज्यादा सूद लिया गया है उसको एडजस्ट किया जावेगा और वापिस मुजरे लिया जावेगा।

(एक माननीय सदस्य के खड़े होने पर घंटी)

अगर ६ वर्षों के पहले उसने ऐसा किया है तो किया होगा। मगर पुराने कर्जे का हिसाब री-ऑपन हो सकता है उस सूरत में कि जो अगर रेट ऑफ इन्ट्रेस्ट मुकर्रर है उससे ज्यादा लिया है यह वापिस दिया जा सकता है।

इससे पहले हमने Usurous Loans Act पास किया है। इसमें भी इन्ट्रेस्ट की दरें हैं। इससे ज्यादा कोई इन्ट्रेस्ट नहीं ले सकता। किसानों की हालत देखते हुए मनीलेन्डर सूद ज्यादा नहीं ले सकता। हमने मनीलेन्डिंग बिज़नेस को इस तरह से रेगुलेट करना चाहा कि जो डिसऑनेस्ट मनीलेन्डर हैं, जो कानून का अनुचित फायदा उठा कर, किसानों की इल्लिट्रेसी का फायदा उठा कर ज्यादा ब्याज वसूल करना चाहते हैं उसके लिये यह कानून रेगुलेट करने के लिये है। इसमें लाइसेन्स का प्रोविज़न इसलिये रखा गया है कि उनका रजिस्ट्रेशन हो जिससे वे रूल्स से पाबन्द हो जावें। रजिस्ट्रेशन करने का मतलब यह है कि बगैर रजिस्ट्रेशन के कोई आदमी इस कार्य को नहीं कर सकता और जो सरकारी मशीनरी है उसको इन्सपे-क्शन करने में सहूलियत रहती है। इसलिये रजिस्ट्रेशन लाजमी है।

इसमें कुछ प्रोविज़न रखे गये हैं। डेटर को जानकारी वक्त वक्त पर दे। इसके लिये मनीलेन्डर पास बुक देगा या तीसरे महीने में उसके एकाउन्ट को उसके पास भेज देगा। दूसरी बात यह है कि वह हिसाब गलत नहीं कर ले और उसके दस्तखत नहीं करा ले इसलिये यह ऑल्टरनेटिव रखा है कि पास बुक भेज दे या एवरी क्वार्टरली एकाउन्ट्स भेज दे। यह रजिस्टरिंग ऑथोरिटी रजिस्ट्रार है उनके पास भेजना पड़ेगा। बहरहाल जितने प्रोवि-ज़न्स हैं उनके जरिये किसानों को मोलेस्टेशन से बचाना है। अधिक इन्ट्रेस्ट न ले सकें उससे उनको रोकना है और इन्ट्रेस्ट की शरह मुकर्रर कर देना है। आपने कहा कि यह सरकार पर नहीं छोड़ना चाहिये। इस पर सिलेक्ट कमेटी विचार कर सकती है, सदन

(श्री दामोदरलाल व्यास)

में भी विचार हो सकता है। यही इन्ट्रेस्ट होगा, यह पोसिबिलिटी नहीं होगी।

मेजर श्री फतहसिंह : I said, let us fix the maximum.

श्री दामोदरलाल व्यास : That is all right. The Select Committee will consider that. That is one alternative. यह हो सकता है कि मेग्ज़िमम कर देवें। Interest may vary on the secured and unsecured debts. हमने ऑलरेडी कहा है कि सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड पर है। डेट रिडेम्प्शन लॉ है उसमें प्रोवाइड कर रखा है। परन्तु इन्ट्रेस्ट का प्रश्न है, सिक्स इयर्स का पीरियड रखा है, काफी है रीओपन करने के लिए। पुराने कर्जे के लिए दूसरा कानून है और यहां उसको रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। इन्ट्रेस्ट यदि ज्यादा चार्ज किया है तो वह रिएडजस्ट हो सकता है।

इसके अलावा कुछ माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये कि सजा कम रखी है और अधिक होनी चाहिये। डेटरेन्ट होना चाहिये। यह ठीक है और इस पर बिल के वक्त में विचार हो सकता है। कोई मनीलैंडर कानून को वॉयलेट करे और बच जावे तो यह अलग अलग ऑफेन्स की नेचर पर होगा।

अटेचमेंट ऑफ प्रोड्यूस के लिए माननीय सदस्यों ने कहा कि १।३ नहीं होनी चाहिये। यह प्रोविज़न रिपीट किया है, Otherwise it is not necessary. Therefore, as a matter of fact this provision is redundant. बिल ड्राफ्ट करने के बाद लॉ को अमेन्ड कर दिया और ऑलरेडी प्रोविज़न कर दिया है। जब ऑलरेडी एग्जेम्ट कर दिया है तो इसमें आवश्यक नहीं है और १।३ रखा है उसको रिपीट किया जाय। छोटे काश्तकार की नजीर लेकर आप कहते हैं तो १।३ में सीड वगैरह निकालने का प्रोविज़न है, सदन में कन्सीडरेशन की स्टेज पर आवेगा और सिलेक्ट कमेटी में जावेगा तो उस पर और विचार कर लिया जायगा। मैं इससे सहमत हूँ कि इसको सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय और सिलेक्ट कमेटी के माननीय सदस्यों के नाम आज शाम तक या कल पेश कर दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान मनी लैंडर्स बिल, १९६१ को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय। प्रवर समिति के सदस्यों के नाम बाद में प्रस्तुत कर दिये जावेंगे।

(स्वीकृत)

विधेयक प्रवर समिति के सुपुर्द किया गया।

राजस्थान सरकार अनुदान विधेयक १९६१

(विचारार्थ एवं पारित)

श्री दामोदरलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान गवर्नमेंट ग्रान्ट्स बिल, १९६१ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : डॉ० चन्द्रकला।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : मैं मूव नहीं करना चाहती।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : मैं पेश नहीं करना चाहता ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सोहनलाल भटनागर ।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : मैं पेश नहीं करना चाहता ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान गवर्नमेंट ग्रान्ट्स बिल, १९६१ विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया ।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान गवर्नमेंट ग्रान्ट्स बिल, १९६१ को पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान गवर्नमेंट ग्रान्ट्स बिल, १९६१ को पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया ।

राजस्थान राज्य पशु मेला विधेयक, १९६१

(प्रवर समिति को)

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान स्टेट केटल फेयर बिल, १९६१ को विचारार्थ लिया जाय ।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान स्टेट केटल फेयर बिल, १९६१ को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन दुबारा सदन में पेश करे । सदस्यों के नाम बाद में पेश कर दिये जावेंगे ।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं मंजूर करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : You accept the proposition ?

श्री दामोदरलाल व्यास : Yes, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : Then the names of the members ?

डॉ० बहादुरसिंह : बाद में प्रस्तुत कर दूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान स्टेट केटल फेयर बिल, १९६१ को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जिसके सदस्यों के नाम बाद में प्रस्तुत कर दिये जावेंगे ?

(स्वीकृत)

राजस्थान स्टेट केटल फेयर बिल, १९६१ को प्रवर समिति के सुपुर्द किया गया ।

Page No.64

राजस्थान मद्य–निषेध विधेयक, १६५८

श्री दामोदरलाल व्यास : एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉ पेश कर रहे हैं इसलिए मैं आज इसको पेश नहीं कर रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : Not moving it today.

We now adjourn to meet tomorrow at 11 A. M.

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. १. ४६ बजे, दिनांक १२ अप्रेल, १६६१ के म. पू. ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई)

Page No.65

संक्षिप्त विवरण

(सोमवार, ११ अप्रैल, १९६१)

स्कम्भ स्कम्भ

तारांकित प्रश्नों के शीर्षक ७९९१

मैनेजर, राजस्थान स्टेट होटल, जयपुर द्वारा स्टेनलैस स्टील की वस्तुओं की खरीद हेतु स्वीकृत टेण्डर ।

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में कमी ।

जिला जालोर में आबादी योग्य भूमि की कमी ।

समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित सवाई माधोपुर जिले के छात्रावास ।

बीकानेर शहर के सार्वजनिक पानी के स्टेण्ड ।

हट्टूंडी बालिका विद्यालय, अजमेर ।

जिला जालोर में चकबन्दी का कार्य ।

बीकानेर के भुट्टा कुए के हौज में भिष्टा डालने वालों के विरुद्ध कार्यवाही ।

श्री शंकरलाल केडिया द्वारा महाराजा कॉलेज, जयपुर में गबन किया जाना ।

हनुमानगढ़–तलवाड़ा सड़क ।

डिप्टी कलेक्टर्स जागीर के कार्यालय के कर्मचारियों को हार्ड ड्यूटी अलाउन्स ।

महिला पोलीटेक्निक संस्था की स्थापना ।

राजस्थान साहित्य अकादमी ।

सवाई माधोपुर जिले के अनुसूचित जाति एवं जन जाति के भूमिहीन व्यक्तियों को आवंटित भूमि ।

जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित क्षेत्रों में आबू रोड तहसील का समावेश ।

अवकाश प्राप्त अधिकारियों के कार्य काल में अभिवृद्धि या पुनर्नियुक्ति ।

हिन्डोन–छ्यमान धोलेटा सड़क का निर्माण।

चाकसू तहसील के बी. टी. सी. अध्यापकों को सिलेक्शन ग्रेड के एरियर की रकम का भुगतान।

सैटल्ड ग्रामों की ५०० रु० तक की आय वाली पुनर्ग्रहीत जागीर भूमि के मुआवजे के वेरिफिकेशन में विलम्ब।

चूरू जिले के चकदड़ीबा क्षेत्र में स्थित तांबे की खान।

भाखरा क्षेत्र के गोगामेड़ी बीड़ में भूमि का अस्थाई आवंटन।

तहसील देवली में स्थित आदर्श गांधी ग्राम।

राजस्थान सरकार द्वारा कोरेस्पोन्डेन्स कोर्स व रात्रि कॉलेज खोलने के बारे में भारत सरकार को प्रस्तुत सुझाव।

सागर–रिड़मलसर सिपाहियान का बास सड़क का निर्माण।

जयपुर शहर में हुए अग्निकांड और वृष्टि से प्रभावित हरिजन परिवारों को सहायता।

डूंगर कॉलेज, बीकानेर में डिग्री स्तर पर समाज शास्त्र विषय का शिक्षण।

सोजत सिटी से सोजत रोड एवं बगड़ी को बिजली।

पाली व जोधपुर जिले में शिकमी काश्तकारों को खातेदारी हक।

स्थगित प्रश्न

(४–४–६१)

नगरपालिकाओं को कृषि भूमि अवाप्ति के अधिकार।

भाखरा की बिजली बीकानेर को सस्ती दर पर प्रदान करना।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर आध घन्टे के लिए चर्चा ७७६३

१९६१ की हाई स्कूल परीक्षा के प्रारम्भिक गणित तथा अंग्रेजी के प्रश्न-पत्रों के आउट हो जाने तथा वैकल्पिक गणित के द्वितीय प्रश्न-पत्र के अशुद्ध मुद्रण के सम्बन्ध में श्री भैरोंसिंह (१४) ने सदन में चर्चा उठाई।

मुख्य मन्त्री ने इसका उत्तर दिया।

	स्कम्भ
सदन की मेज पर रखा गया पत्र	७७४०

श्री पूनमचन्द विश्नोई, उप-मन्त्री, ने राजस्थान वित्तीय निगम का पांचवां वार्षिक प्रतिवेदन (३१ मार्च, १९६० तक) सदन की मेज पर रखा।

विधायी कार्य–विचारार्थ लिये गए विधेयक

१. राजस्थान कसर भोम उत्सादन विधेयक, १९६१ ७७४१

श्री दामोदरलाल व्यास, राजस्व मन्त्री के इस प्रस्ताव पर कि उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिया जाय श्री भैरोंसिंह (१४) ने यह संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि विधेयक को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय।

तदुपरान्त विधेयक प्रवर समिति के सुपुर्द किया गया जिसके सदस्यों के नाम बाद में घोषित किये जायेंगे।

२. राजस्थान भूदान यज्ञ (संशोधक तथा विस्तारक) विधेयक, १९६१ ७७४४

श्री दामोदरलाल व्यास, राजस्व मंत्री, के प्रस्ताव पर उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिया गया तथा उसे सदन द्वारा पारित भी किया गया।

स्कम्भ

३. राजस्थान लैंड रेवेन्यू (संशोधन) विधेयक, १९६१ ७७४५

श्री दामोदरलाल व्यास, राजस्व मन्त्री के प्रस्ताव पर उपरोक्त विधेयक विचारार्थ लिया गया तथा उसे सदन द्वारा पारित भी किया गया।

४. राजस्थान साहूकार विधेयक, १९६१ ७७५७

श्री दामोदरलाल व्यास, राजस्व मन्त्री, के इस प्रस्ताव पर कि उक्त विधेयक को विचारार्थ लिया जाय डॉ० चन्द्रकला ने यह संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि विधेयक को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय।

वाद-विवाद के पश्चात् संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर विधेयक एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया गया जिसके सदस्यों के नाम बाद में घोषित किये जायेंगे।

स्कम्भ

५. राजस्थान सरकार अनुदान विधेयक, १९६१ ७७८५

श्री दामोदरलाल व्यास, राजस्व मन्त्री, के प्रस्ताव पर उपरोक्त विधेयक विचारार्थ लिया गया तथा उसे सदन द्वारा पारित भी किया गया।

६. राजस्थान राज्य पशु मेला विधेयक, १९६१ ७७८६

श्री दामोदरलाल व्यास, राजस्व मन्त्री, के इस प्रस्ताव पर कि उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिया जाय डॉ० बहादुरसिंह ने यह संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि विधेयक को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय।

स्कम्भ

संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर विधेयक प्रवर समिति के सुपुर्द किया गया जिसके सदस्यों के नाम बाद में घोषित किये जायेंगे।

सदन की बैठक १ बज कर ४५ मिनट पर बुधवार, दिनांक १२ अप्रेल, १९६१ को प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित की गई।

बुधवार, १२ अप्रेल, १९६१ की विषय सूची

१. राजस्थान सागरी प्रथा उत्सादन विधेयक, १९६१ (पुरःस्थापन)

२. समस्त सरकारी शिक्षण संस्थाओं में नैतिक तथा धार्मिक शिक्षा अविलम्ब आरम्भ करने सम्बन्धी अशासकीय संकल्प।

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ८७१ का उत्तर देखिये)

Statement showing the number of posts raduced in various Departments

S. No.	Name of the Deptt.	No. of posts surrendered.	No. of persons declared surplus
1	2	3	4
1.	Chief Electoral Officer	—	—
2.	Director of Development	—	7
3.	Legal Remembrancer	—	—
4.	Advocate General, Rajasthan	—	—
5.	Director of Public Relations	—	—
6.	Special Officer, Small Savings Organisation	1	—
7.	Soldiers Board	—	—
8.	Director of Relief Operations	—	4
9.	Food & Supplies Department	—	—
10.	Commissioner for Depttle Enquiries	--	—
11.	Director of Agriculture	—	—
12.	Director of Medical & Health Services	—	—
13.	Chief Engineer, Irrigation Raj., Jaipur	--	—
14.	Inspector General of Registration & Stamps	—	—
15.	Director of Animal Husbandry	—	17
16.	Secy. Board of Secondary Education	—	—
17.	Registrar, Rajasthan University	—	—
18.	Inspector General of Prisons	—	—

1	2	3	4
19.	Director of Archeology & Meseum	2	—
20.	Principal, Law College	—	—
21.	Supdt. Ayurvedic Board	—	—
22.	Director of Employment & Trg. Services	8	—
23.	Secy. Raj. Khadi Village Industries Board	—	—
24.	Director of Economics & Statistics	—	—
25.	Secretary, Rajasthan Canal Board, Jaipur	2	—
26.	Secretary, Underground Water Board, Jodhpur.	—	—
27.	Director of Local Bodies	2	—
28.	Chief Engineer, Raj. Canal Project	24	—
29.	Secretary to Governor	—	—
30.	Registrar, Co-operative Societies	—	—
31.	Secretary, Raj. Electricity Board	—	—
32.	Chief Engineer, P. W. D. (B&R), Jaipur	—	—
33.	Director of Printing & Stationery	8 (Jpr.) 2(Udaipur)	1(Jpr.) -(Udaipur
34.	Settlement Commissioner		13
35.	Secy., Urban Improvement Board	—	—
36.	Jagir Commissioner, Jaipur	1	37
37.	Supdt., Rajasthan State Hotel	—	—
38.	Judg,e Industrial Tribunal	—	—
39.	Director of Insurance	—	—
40.	Director of Transport	—	—
41.	Director of Social Welfare	—	—

1	2	3	4
42.	Director of Relief & Rehabilitation	—	2
43.	Commissioner Khud Kast Land	—	—
44.	Commandant, H. Qrs. 14 Cadet Corps.	—	—
45.	Director of Sanskrit Education	5	2
46.	Organiser, Tourist Facilities	3	—
47.	Spl. Inspector General of Police (Anti-corruption)	—	1
48.	Electric Inspector	2	—
49.	General Manager, Raj. State Roadways	-	—
50.	Director of Consolidation & Holdings	8	—
51.	Secy. Legislative Assembly, Jaipur	—	—
52.	Chief Conservator of Forests	5	—
53.	Supdt., Old Record	—	—
54.	Dewani Hazoori Record	—	—
55.	Inspector General of Police (C. I. D.)	—	—
56.	Labour Commissioner	8	—
57.	Supdt. Gazetteers	—	—
58.	Director of Archieves	—	—
59.	Competent Officer		—
60.	Collector, Jaipur	—	84
61.	Secy. Rajasthan Public Service Commission	-	—
62.	Secy. Board of Revenue, Ajmer	—	4
63.	Secy. Land Record (Board of Revenue)	—	—
64.	Director of Ayurvedic, Raj Ajmer	1	—
65.	Sales Tax Comissioner	—	—

1	2	3	4
66.	Director of Mines & Geology	7	9
67.	Commissioner, Devasthan	6	12
68.	Registrar, Raj. High Court, Jodhpur	—	—
69.	Principal, R.A.S. Training College, Jodhpur	-	—
70.	Director of Technical Education, Jodhpur	1	—
71.	Director of Colonisation, Rajasthan		—
72.	Colonisation Officer, Chambal Irrg. Project, Kota.	—	5
	Director of Education	—	—
74.	Director of Puratatva Mandir	2	—
75.	Principal, All purposes of Revenue, Training School, Tonk	—	—
76.	Principal, Raj. College of Agriculture, Udaipur	—	—
77.	Principal, S. K. N. College of Agr. Jobner	—	—
78.	Director. of Colonisation, Raj. Canal Project, Bikaner (Hanumangarh)	--	14
79.	Director, Raj. Sahitya Academy	—	--
80.	Collector, Bikaner	—	9
81.	Collector, Churu	10	5
82.	,, Bundi	15	—
83.	,, Udaipur	—	26
84.	,, Dungarpur	14	—
85.	,, Bhilwara	—	50
86.	,, Jalore	—	13
87.	,, Pali	—	17

1	2		3	4
88.	Collector	Sirohi	5	4
89.	„	Alwar	—	37
90.	„	Jhunjhunu	5	11
91.	„	Sikar	—	18
92.	„	Ganganagar	23	—
93.	„	Kota	—	55
94.	„	Jhalawar	4	24
95.	„	Chittorgarh	—	43
96.	„	Banswara	--	14
97.	„	Jodhpur	2	18
98.	„	Barmer	3	6
99.	„	Nagaur	—	14
100.	„	Bharatpur	--	32
101.	„	S. Madhopur	—	51
102.	„	Tonk	—	34
103.	„	Jaisalmer	9	--
104.	„	Ajmer	—	31
105.	Commissioner, Udaipur		--	2
106.	„	Jodhpur	—	2
107.	„	Kota	—	1
108.	„	Bikaner	--	2
109.	„	Ajmer	—	2
110.	Principal, Udaipur Polotechnic College		5	—
111.	Commissioner, Excise & Taxation, Udaipur		119	—

1.	2.	3	4
112.	Registrar, Sahitya Academy, Udaipur	—	—
113.	Principal, Polotechnic College, Jodhpur	6	—
114.	Chief Accounts Officer, Rajasthan	—	3
115.	Dy. Director Oriental Studies Jodhpur	1	—
116.	Principal, Polotechnic College, Alwar	—	—
117.	Principal, Polotechnic College, Bikaner	—	—
118.	Director of Primary & Secondary Edu., Bikaner	49	
119.	—do— Jaipur	86	—
120.	—do— Jodhpur	48	—
121.	—do— Kota	62	—
122.	—do— Udaipur	42	—
123.	Employees State Insurance Dispensary, Bhilwara	—	1
124.	Collector, Jagir, Bhilwara		1
125.	,, ,, Udaipur	—	3
126.	Raj. Agriculture College, Uadipur	—	2
127.	Industries Deptt.	—	3
128.	Police Department	—	11
129.	Govt. College, Bhilwara	—	1
130.	Samaj Kalyan Vibhag, Banswara	—	1
131.	Settlement Deptt., Kota	—	2
132.	Asstt. Comminioner Taxation, Jhalawar	1	5
133.	,, Kota	—	3
134.	Director of Colonisation, Kota	—	3
135.	Divisional Forest Officer, Jhalawar	—	4
136.	Labour Officer, Kota	—	1

1.	2	3	4
137.	Govt. College, Kota	—	1
138.	,, Jhalawar	—	1
139.	Supdt. of Police, Kota	—	2
140.	Chambal Mandies Committee, Kota	—	1
141.	Manager, Handloom Centre, Kota	—	1
142.	Book Centre, Kota	—	1
143.	Registrar, Sahakar Samiti, Raj., Jaipur	65	—
144.	Principal, Govt. Polotechnic College, Kota	—	—
145.	,, ,, Ajmer	—	—
146.	Local Fund Audit Deptt.	7	—
147.	Joint Development Commissioner, Raj. ,Jaipur	—	23
		689	807
148.	Govt. Sectt.	37	40
	Grand Total :—	726	847

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ८७३ का उत्तर देखिये)

समाज कल्याण विभाग द्वारा सवाई माधोपुर जिले में सहायता देकर चलाये जा रहे छात्रावासों की सूची

क्र० सं०	स्थान जहां पर छात्रावास है	छात्रावास प्रारम्भ की तिथि	कुल छात्रों की संख्या	हरिजन छात्र	मीणा जाति के छात्र	समाज कल्याण विभाग द्वारा छात्रों को सहायता दी जाती है	प्रत्येक छात्रावास पर एक साल का खर्चा १९५९–६०	१९६०–६१
१	२	३	४	५	६	७	८	९
१.	गंगापुर स. आदिम जाति सेवक संघ, जयपुर ।	२७–२–५९	२५	....	२५	भोजन, सम्बन्धी, मकान स्टेशनरी व अन्य	२९४९.२७	५,९६६.६६
२.	हिन्डोन रा० आदिम जाति सेवक संघ, जयपुर ।	१–६–६०	२४	....	२४	,, ,,	....	३,७००.००
३.	टोडाभीम रा० आदिम जाति सेवक संघ ।	२३–८–६०	२५	....	२५	,, ,,	....	४,१६६.६६

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ८८२ का उत्तर देखिये)

बीकानेर डिविज़न के निम्न व्यक्ति अकादमी के सदस्य हैं जिनकी साहित्यिक प्रवृत्तियों का परिचय इस प्रकार है:—

१. श्री विद्याधर शास्त्री एम० ए० : संस्कृत—हिन्दी एवं राजस्थानी साहित्य के विद्वान् ।

शोध स्नातकों (रिसर्च स्कॉलर) के मार्ग दर्शक (गाइड) गत लगभग तीस वर्षों से साहित्य रचना और साहित्य सेवा में लीन ।

दर्शन—संस्कृत, हिन्दी और राजस्थानी भाषा से सम्बन्धित १२ से अधिक पुस्तकों एवं सैकड़ों लेखों के रचयिता ।

२. श्री अगरचन्द नाहटा : राजस्थान साहित्य—विशेषतः जैन साहित्य के शोध, खोज, अनुसंधान, मूल्यांकन एवं संपादन के कार्य में गत लगभग २८ वर्षों से संलग्न । अपभ्रंश, अर्धमागधी, प्राकृध, और डिंगल भाषाओं तथा प्राचीन लिपियों के जानकार । राजस्थानी साहित्य एवं लोक साहित्य के प्रेमी । अब तक लगभग १,३०० से भी अधिक शोधपूर्ण लेख लिख चुके हैं । इसके अतिरिक्त आपने करीब १५ पुस्तकें लिखी हैं या सम्पादित की हैं ।

३. श्री रावत सारस्त एम ए० : राजस्थान के एक मात्र मासिक मुख—पत्र 'मरुवाणी' के सम्पादक—लेखक और कवि । राजस्थानी भाषा के पुनरुत्थान कार्य में लीन । राजस्थानी—भाषा और साहित्य सम्बन्धी अनेक लेखों के लेखक, राजस्थान के कवि और गद्यकार ।

४. श्री नरोत्तमदास स्वामी एम० ए० : संस्कृत, हिन्दी, राजस्थानी, गुजराती, बंगला, अंग्रेजी, रुसी, जर्मन आदि विश्व की कई भाषाओं के जानकार । वैयाकरण और भाषा वैज्ञानिक—साहित्य की प्राचीनतम से लेकर नीवनतम विद्याओं में समान गति—शोध

स्नातकों के मार्गदर्शक। राजस्थानी साहित्य के पुनरुत्थान में विशेष योग दिया। विविध विषयों पर सैकड़ों लेख तथा हिन्दी और राजस्थानी साहित्य से सम्बन्धित करीब २५–३० पुस्तकें लिखी हैं।

५. श्री शम्भूदयाल सक्सेना (बीकानेर): वयोवृद्ध साहित्यकार। 'सेनानी' साप्ताहिक के सम्पादक। उपान्यास, नाटक, कहानी, समालोचना, काव्य, बाल साहित्य तथा प्रौढ़ शिक्षा सम्बन्धी ७० से भी अधिक पुस्तकें लिख चुके हैं। श्री सक्सेना की गणना हिन्दी के प्रमुख उपन्यासकारों में हैं।

६. श्री कन्हैयालाल सेठिया (सुजानगढ़): प्रांत के हिन्दी और राजस्थान के सर्वाधिक मान्य कवियों की पंक्ति में हैं। हिन्दी और राजस्थान काव्य तथा गद्य काव्य की उनकी ६ पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं।

७. श्री यादवेन्द्र शर्मा 'चन्द्र' (बीकानेर): हिन्दी के सुपरिचित नवयुवक उपन्यासकार एवं कहानीकार श्री चन्द्र की अब तक लगभग १२ पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। समालोचनाओं के गुजराती और मराठी अनुवाद भी हुये हैं।

८. रानी लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (रावतसर): राजस्थानी की श्रेष्ठ गद्य लेखिका और कहानीकार हैं। राजस्थान लोक साहित्य के संग्रह और परिष्कार में उनका विशेष योगदान है। राजस्थानी लोक वार्ताओं, कथाओं, बाल साहित्य तथा यात्रा वर्णन आदि की उनकी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं।

९. श्री मेघराज 'मुकुल' एम० ए० (बीकानेर): श्री 'मुकुल' की गणना हिन्दी जगत के श्रेष्ठ कवियों में है। इनकी राजस्थान कविताओं ने राजस्थानी काव्य को नया मोड़ दिया है। कवि के रूप में श्री 'मुकुल' विशेष लोकप्रिय हैं; यद्यपि ये कहानियां व लेख भी लिखते हैं।

१०. श्री श्रीगोपाल आचार्य: हिन्दी और राजस्थानी के लेखक हैं। राजस्थान साहित्य के अनुसंधान कार्य में विशेष रूप से सक्रिय हैं। समय २ पर आपके कई लेख प्रकाशित होते रहते हैं।

११. प्रो० कन्हैयालाल गोस्वामी (बीकानेर): हिन्दी के कवि और व्यंगकार

के रूप में श्री गोस्वामी का स्थान है। हिन्दी आलोचना के क्षेत्र में भी उनका योगदान है।

१२. श्री अक्षयचन्द्र शर्मा : राजस्थानी साहित्य और लोक साहित्य के अनुसंधान कार्य में श्री शर्मा गत कई वर्षों से सक्रिय हैं। बीकानेर के शोध संस्थानों को उनका विशेष सहयोग है और वे निरंतर लिखते रहते हैं।

परिशिष्ट ४

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ८७० का उत्तर देखिये)

COMPARATIVE STATEMENT OF STAINLESS STEEL UTENSILS

Name of the Party	Thals 15" diameter inside	Katori 3" diameter inside	Rice Plate 5" diameter	Tea Spoons	Glasses	Earnest Money	Sauples	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. M/s Jagendra Pal Jagdish Kumar	G. 20 26/-per piece as per sample 20/-per piece Choki	G. 22 36/-per Dozen	G. 22 6/-per piece	G. 18 9/-per Dozen	G. 22 6.50 per piece	Recd. in Fixed Deposit	Recd.	1. Valid upto 15th March. 2. Sales Tax clearance certificate attached.
2. M/s Bhonri Lal Hanuman Sahai	25/-per Kilo	26/-per Kilo	26/-per kilo	6.60 per Doz.	35/-per Kilo	Recd. Cash	Recd.	1. Sales Tax extra. 2. Any Excise duty Extra.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								3. Sales Tax clearance Certificate not yet Received.
3. M/s Ram Lal Radha Kishan	Rates quoted per set of elevan pieces (Thal one, Katori six, Rice Plate two, Tea spoon one, Glass One) @ Rs, 67/-					Recd. Cash	Recd.	1. Valid upto 15th March. 2. Sales Tax Certificate not enclosed. 3. Terms & Conditions not signed.
4. M/s Rajasthan General Suppliers.	Rates quoted per set of eleven pieces (Details as above)				@ Rs. 70/-	Recd. Cash	Not Recd.	1. Sales Tax certificate not enclosed. 2. Valid upto 15th March.
5. M/s Subha Traders Jodhpur	27/-per piece	3.47 per Piece	8.49 per piece		9/-per Dozen -	Cheque Recd.	Not Recd.	1. Tender form not

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								attached. 2. Sales Tax certificate not enclosed.

Note: Rates have been quoted per piece, per set and per kilo and hence comparision cannot be possible unless the parties may be asked to mention their rates per piece in case of per set, and in second case the articles may be weighed and rates worked out per piece.

Note:- 'Sales Tax' has no concern with the tenders. The word'Sales Tax' written by the Director, Circuit Houses, in remark coloumn of this Comparative Statement should b 'Income Tax'.

परिशिष्ट

COMPARATIVE STATEMENT OF THE PURCHASE OF STAINLESS UTENSILS.

Sl. No.	Name of Articles.	Approximated Demand	M/s Jogendra Pal Jagdish Kumar		M/s Bhonri Lal Hanuman Sahai		M/s Ram Lal Radha Kishan		Remarks
			Rate	Amount	Rate	Amount	Rate	Amount	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Thals	200	26.00 per Piece	5,200.00	22/-per Piece	4,400.00	25.75 per Piece	5,150.00	
2.	Katories	1,200	36.00 per Doxen	3,600.00	24/-per Dozen	2,400.00	36/- per Doz.	3,600:00	
3.	Rice Plates	400	6.00 per piece	2,400.00	2.75per piece	1,100.00	6/- per piece	2,400.00	
4.	Tea Spoons	200 or 17 Dozs.	9.00 per Doz.	153.00	6.60 per Doz.	112.20	8.75 per Doz.	148.75	
5.	Glasses	200	6.50 per piece	1,300.00	5/- per piece	1,000.00	5.90 per piece	1,180.00	
				12,653.00		9,012.20		12,478.75	

परिशिष्ट

Sd/- S. N Misra,
Director, Circuit Houses,
Rajasthan, Jaipur.

Note :- Comparative Statement worked out after getting rates per piece at page 2 and 3 M/s Bhonri Lal Hanuman Das promised for supply before 30th March, 1961 if the order is given in the second week.

परिशिष्ट ५

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६०० का उत्तर देखिये)

नाम तहसील	जोधपुर जिले में तहसीलवार निम्न प्रकार से कितने कृषक दि० १५.१०.५५ को कितनी भूमि पर काबिज थे		उक्त कृषकों में से ३१.१२.६० तक तहसीलवार कितने शिकमी काश्तकारों को कितनी भूमि पर खातेदार दर्ज किया		१५. १०. ५५ को बगैर पर्चे नम्बर १ व २ से तारीख ३१.१२.६० तक तहसीलवार कितनों को खातेदार दर्ज किया व कितनी भूमि पर दर्ज किया गया ।				
	शिकमी काश्तकार		कृषक जो १५.१०.५५ को वगैर पर्चे के काबिज थे ।		शिकमी काश्तकार भूमि का		कृषक जो १५.१०.५५ को वगैर पर्जे के काविज थे ।		
	कृषक	भूमि	कृषक	भूमि			कृषक	भूमि	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
फलोदी	४७२	७५५२	१,२३४	२०,३६६	—	—	—	१११	४,२६०

१	२	३	४	५	६	७	८	९
बिलाडा	३२८	५,०८३.७	८०६	८,०३२.३	२५	२४५.६	६२	१,०१६.७
जोधपुर	१,५००	६,०००	२,१५०	८,६००.०	—	—	२९९	१,४९४.०
ओसियां	१६०	१,३१२	३५२	२,८१६.०	१६०	१,३१२	२३१	१,८४८.०
शेरगढ़	—	—	६४	४,८५२.१०	—	—	६४	४,८५२.१०

परिशिष्ट

	नाम तहसील	कृषक दिनांक १५.१०.५५ को कितनी जमीन पर काबिज थे। शिकमी काश्तकार		कृषक जो १५.१०.५५ को बगैर पर्चे काविज थे		उक्त कृषकों में से ३१.१२.६० तक तहसीलवार कितने शिकमी काश्तकारों को खातेदार दर्ज किया गया व कितनी जमीन पर		१५.१०.५५ को बगैर पट्टे खुद प्रश्न (१) व (२) में दर्ज काबिज कृषकों में से ता. ३१.१२.६० तक तहसीलदार ने विशेष कितनों को खातेदार दर्ज किया व कितनी जमीन पर दर्ज किया गया।	
		कृषक	जमीन	कृषक	जमीन	कृषक	जमीन	कृषक	जमीन
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
१.	पाली	१,८६०	४,४७८	२,४१८	१०,५६७	—	—	६१७	८,२६० एकड़
२.	खारची	३९४	६,१२६॥)४	१,६३७	१,७७७)२	—	—	७२	६७६॥ बीघा
३.	देसूरी	१,०३७	१६,३१६	४,२१३	४६,३३४	२०८	३४९५	२,९५२	३७,१४८ ,,
४.	पाली	१,८२०	—	३,६२७	—	—	—	१०	१६०।२ ,,
५.	रायपुर	—	—	१,०२५	४,८१६)२	—	—	७५	३८२ ,,
६.	सोजत	१,५२४	१६,६३३)७	४,६१६	५३,५६६)१२	७२	५४६	१२६	३,०५५)१६ ,,
७.	जैतारण	८११	१०,३१७)२	१,६३८	१४,७७८॥)	नहीं	नहीं	५३	१,१५८)४ ,,

शुद्धि-पत्र

(मंगलवार, ११ अप्रैल, १९६१)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
७६६६	स्कम्भ	५६६६	७६६६
७६७४	,,	७५७४	७६७४
७६७५	,,	७५७५	७६७५
७६७७	अन्तिम से ३	कलेवटर	कलेक्टर
७६७८	१५	ड्रिलिंग	ड्रिलिंग
७६७९	८	मिट्टी	मिट्टी
७६८५	७	तहसींल	तहसील
७६९१	अन्तिम से ८	श्री मैरोंसिंह	श्री भैरोंसिंह
७६९२	स्कम्भ	२	७६९२
,,	अन्तिम से ९	श्री मैरोंसिंह	श्री भैरोंसिंह
७६९५	१२	वियत मन्त्री	विद्युत मन्त्री
७७०४	स्कम्भ	०७०४	७७०४
७७०५	७	कोटरी	कटोरी
७७०९	१२	समात	समाप्त
,,	१५	हापिल	हासिल
७७१०	८ व १९	श्री मैरोंसिंह	श्री भैरोंसिंह
७७१२	१–२	तो हर महीने यह तो सही नहीं है। अनुदान देना पड़ता है।	यह तो सही नहीं है। अनुदान तो हर महीने देना पड़ता है।
,,	१२	श्री मोहनलाल सुखाडिया	श्री मोहनलाल सुखाड़िया
७७१६	७	नथी	नत्थी
७७१६	अन्तिम से ८	श्री मैरोंसिंह	श्री भैरोंसिंह
७७२०	अन्तिम से ६	अनसूचित	अनुसूचित
७७२१	शीर्ष	(श्री मोहब्वतसिंह)	(श्री मोहब्बतसिंह)
,,	९	(श्री बद्रीप्रसाद गुता)	(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)
७७२३	अन्तिम से २	का	की
७७२४	१६	मैथेनेटिक्स	मैथेमेटिक
७७२५	शीर्ष	(श्री मैरोंसिंह)	(श्री भैरोंसिंह)
,,	७	ारी	सारी
,,	१५	फिज़िक्स,	फिज़िक्स

Page No.89

१	२	३	४
७७२७	शीर्ष	(श्री मैरोंसिंह)	(श्री मैरोंसिंह)
,,	अन्तिम से २	श्री मैरोंसिह	श्री मैरोंसिह
७७२७–२८	शीर्षक	११ अप्रेल, ६०	११ अप्रेल, ६१
७७२६	२३	ाहन्दी	हिन्दी
७७३१	१६	कि ा सलेक्स	का सिलेक्स
७७३२	१५	ताम	तमाम
,,	१८	इश्य	इश्यू
७७३३	१५	पर्सेंट	पर्सेंट
,,	२२	यिचार	विचार
७७३४	१	निवदन	निवेदन
७७३५–४०	शीर्षक	११ अप्रेल, ६०	११ अप्रेल, ६१
७७३६	स्कम्भ	७७६	७७३६
,,	१५	श्री मोहनलाल सुखाड़या	श्री मोहनलाल सुखाड़िया
७७४०	३	श्री मैरोंसिह	मैरोंसिह
,,	६	श्री मोहनलाल सुखा ियां	श्री मोहनलाल सुखाड़ियां
,,	१०	श्री मोहनलाल सखाड़िया	,,
,,	अन्तिम से ६	श्री मैरोंसिह	श्री मैरोंसिंह
७७४१	स्कम्भ	७७७१	७७४१
,,	३	(०२.३०. म. प.)	(१२.३० म. प.)
,,	१८	(श्री मोधोपु)	(श्रीमाधोपुर)
७७४२	शीर्षक	विवेयका	विधेयक
७७४४	२	संशोधन	संशोधक
७७४५	२	विस्तारका	विस्तारक
,,	अन्तिम से ८	श्री मैरोंसिह	श्री मैरोंसिह
७७४७–४८	शीर्षक	११ अप्रेल, ६०	११ अप्रेल, ६१
७७५०	६	esctnd	extend
७७५१	स्कम्भ	७७१	७७५१
७७५२	१३	अमेंडमेंटस	अमेंडमेंट्स
७७५३	१५	जितो	जितने
७७५६	८	ज ादा	ज्यादा
७७५६	शीर्षक	राजस्था ।	राजस्थान
७७५६–६६	,,	११ अप्रेल, ६०	११ अप्रेल, ६१

१	२	३	४
७७६०	१८	कि । ों	किसानों
,,	२२	की गई की है	की की गई है
,,	२३	जाये।	जायेगा
,,	अन्तिम से ३	कुडक	कुड़क
७७६१	स्कम्भ	७७१	७७६१
,,	शीर्ष	(डॉ चन्द्रकला)	(डॉ० चन्द्रकला)
७७६७	अन्तिम पंक्ति	मेजर श्री फतहसिह	मेजर श्री फतहसिंह
७७६८	११	डॉ० बहादुरसिह	डॉ० बहादुरसिंह
७७६९	६	मेजर श्री फाहसिंह	मेजर श्री फतहसिंह
७७७३	१८	lenderhas	lender has
७७७४	अन्तिम से ५	लैंडर्स	लैंडर्स
७७७८	११	मेजर श्री फतहसिह	मेजर श्री फतहसिंह
७७८५	शीर्षक	अनुदान विधेयक उपज	अनुदान विधेयक
७७८६	१८	डॉ० बहादुरसिह	डॉ० बहादुरसिंह
७७९२	७	पुनर्ग्रहीतं	पुनर्ग्रहीत
७७९५	८	७७८६	७७८५
७७९८	अन्तिम से ४	Judg, e	judge
७८०२	अन्तिम से ५	Comminioner	Commissioner
७८०५	१२	प्राकृध	प्राकृत
,,	१६	३. श्री रावत सारस्त एम ए.	३. श्री रावत सारस्वत एम. ए.
७८०६	१५	उनका	इनका
,,	१६	उनकी	इनकी
,,	अन्तिम से ४	श्री श्रीगोपाल आचार्व	श्री श्रीगोपाल आचार्य
,,	,,	लेख्क	लेखक
७८१०	अन्तिम पंक्ति	Should b	Should be
७८१३	अन्तिम से ४	काविज	काबिज
७८१५	४	,,	,,